ला इल्मी के बाइस चन्दे की बाबत होने वाले गुनाहों की तरफ़ निशान देही करने वाली किताब

Chande Ke Baare Mein Suwal Jawab (Hindi)

चन्दे के बारे में सुवाल जवाब

बा'ज़ उन मसाइल का बयान जिन का जानना मस्जिदों, मद्रसों और मज़्हबी व समाजी इदारों के चन्दा कुनिन्दगान के लिये फ़र्ज़ है।

अज़: शैख़े तरीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, हज़रते अल्लामा मौलाना अबू बिलाल

मुहम्मद इल्यास अत्तार क़ादिरी र-ज़वी

मस्जिद की इफ़्तारी का मस्अला

मद्रसे में मेहमानों की ख़ातिर तवाज़ोअ़

समाजी इदारे के अस्पताल में ज़कात.....

चन्दे करने वालों की तरबिय्यत का तरीक़ा

मस्जिद व मद्रसा की अश्या जुदा जुदा रखने के म-दनी फूल

गु-रबा को ख़ालें लेने दीजिये

म-दनी क़ाफ़िला और मेहमानों की ख़ैर ख़्वाही

पेशकश : मजलिसे मक-त-बतुल मदीना (दा'वते इस्लामी)

मक-त-बतुल मदीना

सिलेक्टेड हाउस, अलिफ़ की मस्जिद के सामने, तीन दरवाज़ा अहमदआबाद-1. गुजरात, इन्डिया

Mo.091 93271 68200 E-mail : maktabahind@gmail.com www.dawateislami.net

SC1286

याद दाश्त

दौराने मुत़ा–लआ़ ज़रूरतन अन्डर लाइन कीजिये, इशारात लिख कर सफ़ह़ा नम्बर नोट फ़रमा लीजिये। اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ इ़ल्म में तरक़्क़ी होगी।

उ़न्वान	सफ़ह़ा	उ़न्वान	सफ़ह़ा

याद दाश्त

दौराने मुत़ा–लआ़ ज़रूरतन अन्डर लाइन कीजिये, इशारात लिख कर सफ़ह़ा नम्बर नोट फ़रमा लीजिये। اِنْ شَآءَالله عَزَّوَجَلَّ इ़ल्म में तरक़्क़ी होगी।

उ़न्वान	सफ़ह़ा	उ़न्वान	सफ़ह़ा

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

चन्दे के बारे में सुवाल जवाब

येह किताब **(चन्दे के बारे में सुवाल जवाब)**

शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी ह़ज़रत अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल **मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी** र-ज़वी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ने **उर्दू** ज़बान में तह़रीर फ़रमाई है।

मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी) ने इस किताब को **हिन्दी** रस्मुल ख़त़ में तरतीब दे कर पेश किया है और **मक-त-बतुल मदीना** से शाएअ़ करवाया है। इस में अगर किसी जगह कमी बेशी पाएं तो मजलिसे तराजिम को (ब ज़रीअ़ए मक्तूब या ई-मेइल) मुत्तलअ़ फ़रमा कर सवाब कमाइये।

राबित़ा : मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी)
मक-त-बतुल मदीना
सिलेक्टेड हाउस, अलिफ़ की मस्जिद के सामने,
तीन दरवाज़ा, अह़मदआबाद-1, गुजरात,
MO. 9374031409
E-mail : translationmaktabhind@dawateislami.net

ला इल्मी के बाइस चन्दे की बाबत होने वाले गुनाहों की त़रफ़ निशान देही करने वाली किताब

चन्दे के बारे में सुवाल जवाब

मुअल्लिफ़ :

शैख़े त़रीक़त अमीरे अहले सुन्नत बानिये दा'वते इस्लामी ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना **अबू बिलाल मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी रज़वी** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

नाशिर :

मक-त-बतुल मदीना अह़मदआबाद

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

नाम किताब : **चन्दे के बारे में सुवाल जवाब**

मुअल्लिफ़ : शैख़े त़रीक़त अमीरे अहले सुन्नत बानिये दा'वते इस्लामी ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना **अबू बिलाल मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी र-ज़वी** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

सिने त़बाअ़त : शा'बानुल मुअ़ज़्ज़म सि. 1432 हि., अगस्त सि. 2011 ई.

नाशिर : मक-त-बतुल मदीना, सिलेक्टेड हाउस, तीन दरवाज़ा अह़मदआबाद-1. गुजरात, इन्डिया

मक-त-बतुल मदीना की मुख़्तलिफ़ शाख़ें

मुम्बई : 19,20, मुह़म्मद अ़ली रोड, मांडवी पोस्ट ऑफ़िस के सामने, मुम्बई फ़ोन : 022-23454429

देहली : 421, मटिया मह़ल, उर्दू बाज़ार, जामेअ़ मस्जिद, देहली फ़ोन : 011-23284560

नागपूर : ग़रीब नवाज़ मस्जिद के सामने, सैफ़ी नगर रोड, मोमिनपूरा, नागपूर, (M) 09373110621

अजमेर शरीफ़ : 19 / 216 फ़लाह़े दारैन मस्जिद, नाला बाज़ार, स्टेशन रोड, दरगाह, अजमेर : 0145 2629385

म-दनी इल्तिजा : किसी और को येह किताब छापने की इजाज़त नहीं है।

फ़ेहरिस

उ़न्वान	सफ़ह़ा	उ़न्वान	सफ़ह़ा
चन्दे की शर-ई हैसिय्यत	10	तावान अदा करने का त़रीक़ा	33
चन्दा पार्टी केह कर मज़ाक़ उड़ाना कैसा	11	चन्दे की रक़म गुम हो गई तो ?	35
बद तरीन सूद मुसल्मान की आबरू रेज़ी	12	चन्दे के ग़लत़ इस्ते'माल में तावान की सूरतें	36
मुसल्मान की आबरू उस के माल से अहम है	12	ज़कात ग़ैरे मस्रफ़ में ख़र्च कर दी, उस का ह़ल ?	38
मोमिन की ह़ुर्मत का 'बे से बढ़ कर है	13	तावान की रक़म न हो तो.....?	38
यहूदो नसारा की बद ख़स्लतें	14	अगर किसी सय्यिद पर तावान चढ़ गया हो तो...?	40
क्या सरकार ने भी कभी चन्दा किया है	14	फ़ित्रा ग़ैरे मस्रफ़ में ख़र्च कर डाला अब क्या करें ?	40
उ़स्माने ग़नी ने कितना चन्दा पेश किया ?	16	हर फ़र्द मसाइल नहीं जानता, इस का ह़ल ?	41
चन्दा करने से रोकना कैसा ?	17	चन्दा करने वालों की तरबिय्यत का त़रीक़ा	42
क्या हर चन्दे को वक़्फ़ का पैसा बोल सकते हैं ?	18	चन्दा ज़ाती एकाउन्ट में जम्अ़ करवाना कैसा ?	43
कुफ़्फ़ार से चन्दा मांगना कैसा ?	19	माले ग़सब की ता'रीफ़	45
मस्जिद के चन्दे से नियाज़ करना कैसा ?	20	सूद से मस्जिद के इस्तिन्जाखाने बनाना कैसा ?	45
मस्जिद के चन्दे से चराग़ां	20	सूद के पैसों से ह़ज	47
इजतिमाअ़ का चन्दा बच गया तो क्या करे ?	21	लरज़ा ख़ैज़ ह़िकायत	47
कई अफ़राद से लिया हुवा चन्दा बच जाए तो क्या करे ?	22	ह़राम माल से ह़ज करने वाले की शामत	48
12 अफ़राद से लिया हुवा चन्दा बच गया तो.....?	23	सूद न लें तो बेन्क वाले ग़लत़ इस्ते'माल कर सकते हैं !	49
मस्जिद की इफ़्त़ारी का मस्अला	24	ख़ून की नहर	49
मस्जिद की बची हुई इफ़्त़ारी का क्या करे ?	26	गोया मां के साथ ज़िना	50
मस्जिद के चन्दे के मसारिफ़	26	पेट में सांप	50
चन्दे की रक़म ज़ाती काम में ख़र्च डाली तो ?	29	मद्रसे में मेहमानों की ख़ात़िर तवाज़ोअ़	51
मस्जिद का चन्दा उधार दे दिया तो ?	32	ग़ैरे मुस्तह़िक़ ने मद्रसे का खाना खा लिया तो ?	52
अमानत रखे हुए चन्दे को उधार लेना कैसा ?	33	मस्अला मा'लूम न हो और खा लिया तो ?	52

उ़न्वान	सफ़ह़ा	उ़न्वान	सफ़ह़ा
ग़ैरे ह़क़दार को खाना न देना वाजिब है	53	ह़ीला करने का आसान त़रीक़ा	70
मद्रसे में बाहर से बहुत सारा खाना आ जाए तो क्या करें ?	54	फ़क़ीर के वकील से क्या मुराद है ?	71
मद्रसे का खाना बच जाए तो.....?	55	वकील ज़कात पर क़ब्ज़ा करने के बा'द ख़र्च कर सकता है?	71
मद्रसे के मत़बख़ से खाना पकाना	55	वकील का क़ब्ज़ा मुवक्किल ही का क़ब्ज़ा केहलाएगा	71
क़ाफ़िले वालों का फ़िनाए मस्जिद में खाना पकाना	56	ह़ीला करते वक़्त कहा : ''रख मत लेना'' तो ?	72
मद्रसे का खाना बाहर वाला खाए या नहीं ?	56	क्या चेक के ज़रीए ह़ीला हो सकता है ?	72
मद्रसे के कम्बल दूसरा कोई इस्ते'माल कर सकता है या नहीं ?	57	बहुत बड़ी रक़म का ह़ीला कैसे हो !	73
मस्जिद के कूलर का ठंडा पानी घर ले जाना	57	ह़ीले की रक़म दीनी कामों में....	73
मस्जिद का सादा पानी भर कर ले जाना	58	क्या ह़ीले की रक़म से तोह़फ़ा.....	74
मद्रसा अगर बड़ी इमारत में हो तो पानी का हुक्म	58	सय्यिद को ह़ीले की रक़म देना कैसा ?	76
मस्जिद की अश्या मद्रसे में इस्ते'माल.....	59	सय्यिद के साथ भलाई करने का अ़ज़ीम सिला	77
मस्जिद व मद्रसे की अश्या जुदा जुदा रखने के म-दनी फूल	60	सय्यिद से भलाई करने वाले को आक़ा की ज़ियारत होगी	78
मद्रसे की किताबों पर अपना नाम वग़ैरा लिखना कैसा ?	61	कम मालदार के लिये सय्यिद की ख़िदमत का त़रीक़ा	78
मद्रसे का डेस्क तोड़ डाला तो ?	61	ह़ीले के बा'द रक़म लौटाने के मोह़तात अल्फ़ाज़	79
मद्रसे के डेस्क वग़ैरा पर कुछ लिखना	61	ज़कात के वकील के लिये मोह़तात़ अल्फ़ाज़	79
इज़ाले का त़रीक़ा	62	कुफ़्फ़ार की इम्दाद करना कैसा ?	80
चन्दे के कुल्ली इख़्तियारात के मस्अले	62	समाजी इदारे के अस्पताल में ज़कात	81
कुल्ली इख़्तियार के मोह़तात़ अल्फ़ाज़	63	फ़लाह़ी इदारों के लिये ज़कात के इस्ते'माल	81
ह़ीले के शर-ई दलाइल	64	ग़ैर मुस्लिम को माले वक़्फ़ से देना जाइज़ नहीं	82
कान छेदने का रवाज कब से हुवा ?	66	चन्दा कारोबार में लगाना कैसा ?	83
गाय के गोश्त का तोह़फ़ा	67	चन्दे की रक़म से इजतिमाई क़ुरबानी के लिये गायें ख़रीदना	84
ज़कात का शर-ई ह़ीला	67	क़ुरबानी की खालें स्कूल की	84
100 अफ़राद को बराबर बराबर सवाल मिले	68	ग़ुरबा को खालें लेने दीजिये	85
फ़क़ीर की ता'रीफ़	69	खालों के लिये बे जा ज़िद मत कीजिये	86
मिस्कीन की ता'रीफ़	70		

उन्वान	सफ़ह़ा	उन्वान	सफ़ह़ा
सुन्नी मदारिस की खालें मत काटिये	86	म-दनी क़ाफ़िले के लिये मिली हुई रक़म दूसरे दीनी कामों में..?	96
सुन्नी मद्रसे को खाल खुद दे आइये	87	मालदारों को चन्दे से इजतिमाअ़ में ले जाना कैसा ?	96
अपनी क़ुरबानी की खाल बेच दी तो ?	88	वक़्फ़ के माल के ग़लत इस्ते'माल का अ़ज़ाब	98
म-दनी क़ाफ़िले के अख़राजात के बारे में		म-दनी क़ाफ़िला या सालाना इजतिमाअ़ के लिये सुवाल ...	98
सुवाल जवाब	89	इजतिमाअ़ की खुसूसी ट्रेन के लिये 5 म-दनी फूल	100
क़ाफ़िले में सब यक्सां रक़म जम्अ़ करवाएं	90	क्या दुन्यवी क़ानून पर अ़मल करना ज़रूरी है?	102
मगर ख़ुराक सब की यक्सां नहीं होती....?	90	जमान जब्त कर लेना कैसा ?	103
म-दनी क़ाफ़िला और महमानों की ख़ैरख़्वाही	91	दो त़रफ़ा किराए की गाड़ी के लिये एह़तियातें	103
इख़्तितामे क़ाफ़िला पर बची हुई रक़म	92	त़ै शुदा से ज़ाइद सुवारी बिठाना	105
दूसरे के ख़र्च पर सफ़र किया, रक़म बच	92	ट्रेन में भी त़ै शुदा सुवारियां ही बिठाइये.....	106
आधी ज़िन्दगी, आधी अ़क़्ल और आधा इ़ल्म !	93	समाजी इदारे अ़तिय्यात दीनी कामों में.....	107
गरीबों के लिये रक़म मिली, मालदारों पर ख़र्च	94		

येह रिसाला पढ़ कर दूसरे को दे दीजिये

शादी ग़मी की तक़रीबात, इज्तिमाआ़त, आ'रास और जुलूसे मीलाद वग़ैरा में **मक-त-बतुल मदीना** के शाएअ़ कर्दा रसाइल और म-दनी फूलों पर मुश्तमिल पेम्फ़लेट तक़्सीम कर के सवाब कमाइये, गाहकों को ब निय्यते सवाब तोह़फ़े में देने के लिये अपनी दुकानों पर भी रसाइल रखने का मा'मूल बनाइये, अख़्बार फ़रोशों या बच्चों के ज़रीए अपने मह़ल्ले के घर घर में माहाना कम अज़ कम एक अ़दद सुन्नतों भरा रिसाला या म-दनी फूलों का पेम्फ़लेट पहुंचा कर नेकी की दा'वत की धूमें मचाइये और खूब सवाब कमाइये।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ह़लाल व ह़राम के मसाइल का सीखना फ़र्ज़ है

रह़मते दो आ़लम, **नूरे मुजस्सम**, शाहे बनी आदम, **नबिय्ये मोह़तशम** صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने मुअ़ज़्ज़म है : ''जो कोई **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ के फ़राइज़ के मुतअ़ल्लिक़ एक या दो या तीन चार या पांच कलिमात सीखे और उसे अच्छी त़रह़ याद कर ले और फिर लोगों को सिखाए तो वोह **जन्नत** में दाख़िल होगा।

(अत्तरग़ीब वत्तरह़ीब, जि.1, स.54, ह़दीस:20)

मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह **इमाम अह़मद रज़ा ख़ान** عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : हर शख़्स पर उस की ह़ालते मौजूदा के मस्अले सीखना फ़र्ज़ ऐन है और उन्हीं में से मसाइले ह़लाल व ह़राम कि हर फ़र्दे बशर इन का मोह़ताज है।

(तफ़्सीली मा'लूमात के लिये फ़तावा र-ज़विय्या, जि.23, स.623 ता 630 का मुत़ालआ़ फ़रमाइये)

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! मज़हबी व फ़लाही काम अक्सर चन्दे ही पर चलते हैं, जूं तूं कर के **चन्दा** तो कर ही लिया जाता है मगर इल्मे दीन की कमी के बाइ़स एक ता'दाद है जो इस के इस्ते'माल में शर-ई ग़-लत़ियां कर के गुनाहों में जा पड़ती है। **चन्दा** वुसूल करने वालों के लिये चन्दे के ज़रूरी मसाइल का सीखना फ़र्ज़ है लिहाज़ा नेकियां कमाने और मुसल्मानों को गुनाहों से बचाने के मुक़द्दस जज़्बे के तह़त सवाब की निय्यत से चन्दे के मुत़अल्लिक़ सुवालन जवाबन मा'लूमात फ़राहम करने की ह़क़ीर कोशिश की है। अल्लाह عَزَّوَجَلَّ दा'वते इस्लामी की ''मजलिसे इफ़्ता'' और ''मजलिस अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या'' के उ-लमाए किराम كَثَّرَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام को अज्रे अ़ज़ीम अ़ता फ़रमाए कि उन्हों ने किताबे हाज़ा के मुन्दरजात की बड़ी अ-रक़ रेज़ी के साथ तफ़्तीश (छानबीन) फ़रमाई और बा'ज़ मक़ामात पर अहम रिवायात व जुज़्इय्यात का इज़ाफ़ा

कर के इस किताब की इफ़ादिय्यत दोबाला कर दी ! बिला ख़ौफ़े लौमते लाइम इस ह़क़ीक़त का ए'तिराफ़ करता हूं कि येह किताब इन्हीं की ख़ुसूसी रहनुमाई और फ़ैज़ाने नज़र का समर है वरना सच्ची बात येही है कि जिस का नाम इल्यास क़ादिरी है उस को सह़ीह़ त़रीक़े से क़लम पकड़ना भी नहीं आता। **या रब्बे करीम !** अपने गुनहगार तरीन बन्दे इल्यास से हमेशा के लिये राज़ी हो जा और बे पूछे बख़्श दे। अपने प्यारे ह़बीब صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ اٰلِہٖ وَسَلَّم की प्यारी उम्मत की मग़्फ़िरत फ़रमा। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہ تعالٰی علیہ واٰلہٖ وسلَّم

हर इस्लामी भाई और इस्लामी बहन लाज़िमन इस किताब का मुत़ालआ़ करे और ज़रूरतन बार बार पढ़े ताकि मसाइल अज़बर हो जाएं, जहां तक बन पड़े अपने अ़लाक़े में वाक़ेआ़ मस्जिदों, मद्रसों, मज़हबी व समाजी इदारों के ज़िम्मादारों नीज़ सुन्नी आ़लिमों की ख़िदमतों में ब निय्यते सवाब येह किताब तोह़फ़तन पेश कीजिये।

दुआ़ए अ़त्तार

या रब्बे मुस्त़फ़ा عَزَّوَجَلَّ इस किताब का मुत़ालआ़ करने वालों और वालियों का ह़ाफ़िज़ा ख़ूब क़वी कर दे कि इन को सह़ीह़ मसाइल याद रहें और अ़मल करने और दूसरों को सिखाने की सआ़दत नसीब हो। या अल्लाह عَزَّوَجَلَّ ! जो इस किताब को अपने अ़ज़ीज़ों के ईसाले सवाब के लिये नीज़ दीगर अच्छी अच्छी निय्यतों के साथ तक़्सीम करे, बिल्ख़ुसूस मस्जिदों, मद्रसों, मज़हबी व समाजी इदारों के ज़िम्मे दारों और सुन्नी आ़लिमों के हाथों में पहुंचाए, उस का और उस के तुफ़ैल मुझ गुनहगारों के सरदार का भी दोनों जहां में बेड़ा पार कर दे। या अल्लाह عَزَّوَجَلَّ हम सब को इख़्लास की ला ज़वाल दौलत से मालामाल फ़रमा।

मेरा हर अ़मल बस तेरे वासित़े हो कर इख़्लास ऐसा अ़त़ा या इलाही

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہ تعالٰی علیہ واٰلہٖ وسلَّم

त़ालिबे ग़मे मदीना
व बक़ीअ़
व मग़्फ़िरत

7 शा'बानुल मुअ़ज़्ज़म हि. 1429 10-8-2008

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

''चन्दा करना सुन्नत है'' के तेरह हुरूफ़ की निस्बत से येह किताब पढ़ने की 13 निय्यतें

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم : نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهٖ या'नी ''मुसल्मान की निय्यत उस के अ़मल से बेहतर है ।''

(अल मो'जमुल कबीर लित़्तबरानी, अल ह़दीस:5942, जि.6, स.185)

दो म-दनी फूल : (1) बिग़ैर अच्छी निय्यत के किसी भी अ़मले ख़ैर का सवाब नहीं मिलता । (2) जितनी अच्छी निय्यतें ज़ियादा, उतना सवाब भी ज़ियादा ।

﴿1﴾ ह़त्तल वस्अ़ इस का बा वुज़ू और ﴿2﴾ क़िब्ला रू मुत़ालआ़ करूंगा ﴿3﴾ इस के मुत़ालए़ के ज़रीए़ फ़र्ज़ उ़लूम सीखूंगा ﴿4﴾ जो मस्अला समझ में नहीं आएगा उस के लिये आयते करीमा فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۴۳﴾ तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : ''तो ऐ लोगो इ़ल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इ़ल्म नहीं ।'' (पा.14, अन्नह़ूल:43) पर अ़मल करते हुए उ़-लमा से रुजूअ़ करूंगा ﴿5﴾ (अपने ज़ाती नुस्ख़े पर) इन्दज़्ज़रूरत ख़ास ख़ास मक़ामात पर अन्डर लाइन करूंगा ﴿6﴾ (ज़ाती नुस्ख़े पर) याददाश्त वाले सफ़ह़े पर ज़रूरी निकात लिखूंगा ﴿7﴾ जिस मस्अले में दुश्वारी होगी उस को बार बार पढ़ूंगा ﴿8﴾ ज़िन्दगी भर अ़मल करता रहूंगा ﴿9﴾ जो नहीं जानते उन्हें सिखाऊंगा ﴿10﴾ दूसरों को येह किताब पढ़ने की तरग़ीब दिलाऊंगा ﴿11﴾ (कम अज़ कम 12 अ़दद या ह़स्बे तौफ़ीक़) येह किताब ख़रीद कर दूसरों को तोह़फ़तन दूंगा ﴿12﴾ इस किताब के मुत़ालए़ का सवाब सारी उम्मत को ईसाल करूंगा ﴿13﴾ किताबत वग़ैरा में शर-ई ग़लती मिली तो नाशिरीन को लिख कर मुत्त़लअ़ करूंगा (ज़बानी कहना या कहलवाना ख़ास मुफ़ीद नहीं होता)

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ उस पर दस रहमतें भेजता है । (مسلم)

चन्दे के बारे में सुवाल जवाब

शैतान लाख सुस्ती दिलाए मगर ब निय्यते सवाब येह किताब (107 सफ़ह़ात) मुकम्मल पढ़ लीजिये اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ **आप के इल्म में ख़ूब इज़ाफ़ा होगा ।**

दुरूद शरीफ़ की फ़ज़ीलत

अल्लाह के प्यारे रसूल, रसूले मक़्बूल, सय्यिदा आमिना के गुलशन के महकते फूल صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने शफ़ाअ़त निशान है : ''शबे जुमुआ़ और रोज़े जुमुआ़ (या'नी जुमा'रात के ग़ुरूबे आफ़्ताब से ले कर जुमुआ़ का सूरज डूबने तक) मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत कर लिया करो, जो ऐसा करेगा क़ियामत के दिन मैं उस का **शफ़ीअ़ व गवाह** बनूंगा ।'' (अल जामेउ़स्सग़ीर लिस्सुयूत़ी, स.87, ह़दीस:1405)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

चन्दे की शर-ई ह़ैसिय्यत

सुवाल : मसाजिद व मदारिसे इस्लामिय्या वग़ैरा दीनी कामों के लिये **चन्दा** करना कैसा है

जवाब : जाइज़ बल्कि कारे सवाब है और इस की अस्ल सुन्नत से साबित । चुनान्चे मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن एक सुवाल के जवाब में **फ़तावा**

र-ज़विय्या जिल्द 16 सफ़ह़ा 418 पर इर्शाद फ़रमाते हैं : ''मस्जिद में अपने लिये मांगना जाइज़ नहीं और उसे देने से भी उ़-लमा ने मन्अ़ फ़रमाया है।'' (चन्द सुतूर के बा'द लिखते हैं) और किसी दूसरे के लिये मांगना या मस्जिद ख़्वाह किसी और ज़रूरते दीनी के लिये **चन्दा** करना **जाइज़** और **सुन्नत** से साबित है।''

(फ़तावा र-ज़विय्या, जि.16, स.418)

मज़ीद सफ़ह़ा 468 पर फ़रमाते हैं : ''उमूरे ख़ैर (या'नी भलाई के कामों) के लिये **चन्दा** करना अह़ादीसे सह़ीह़ा से साबित है, मालदार पर वाजिब नहीं कि सारी मस्जिद अपने माल से बनाए, अम्रे ख़ैर (या'नी भलाई के काम) में चन्दे की तह़रीक दलालते ख़ैर (या'नी भलाई की त़रफ़ रहनुमाई) है। (ह़दीसे मुबारक में है) : ''जो कारे ख़ैर की राहनुमाई करे उस को भी उतना ही अज्र मिलता है जितना कारे ख़ैर करने वाले को।''

(सह़ीह़ मुस्लिम, स.1050, ह़दीस:1893)

चन्दा पार्टी कह कर मज़ाक़ उड़ाना कैसा

सुवाल : दीनी कामों के लिये **चन्दा** करने वालों को बा'ज़ लोग तह़क़ीरन ''**चन्दा** पार्टी'' कहते और उन का मज़ाक़ उड़ाते हैं, उन की इस्लाह़ के लिये कुछ **म-दनी फूल** बयान कीजिये।

जवाब : मुसल्मान की तह़क़ीर या उस का मज़ाक़ उड़ाना और दिल दुखाना **ह़राम** और जहन्नम में ले जाने वाला काम है । बह़रो बर के बादशाह, दो आ़लम के शहन्शाह, साह़िबे मज्दो जाह, उम्मत के ख़ैर ख़्वाह, आमेना के महरो माह صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने इ़ब्रत निशान है : مَنْ اٰذٰى مُسْلِمًا فَقَدْ اٰذَانِىْ وَمَنْ اٰذَانِىْ فَقَدْ اٰذَى اللهَ या'नी जिस ने (बिला वज्हे शर-ई) किसी मुसल्मान को ईज़ा दी उस ने मुझे ईज़ा दी और जिस ने मुझे ईज़ा दी उस ने **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ को ईज़ा दी ।''

(अल मो'जमुल अवसत़ लित़्बरानी, जि.2, स.386, ह़दीस:3607)

बद तरीन सूद मुसल्मान की आबरू रेज़ी

सरकारे वाला तबार, बि इज़्ने परवर्द गार दो जहां के मालिको मुख़्तार, शहन्शाहे अबरार صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने गोहर बार है : ''**बदतरीन सूद** मुसल्मान की आबरू में ना ह़क़ दस्त दराज़ी है ।'' (सुननु अबी दावूद, जि.4, स.353, ह़दीस:4876)

मुसल्मान की आबरू उस के माल से अहम है

मुह़क़्क़िक़ अ़लल इ़त्लाक़, ख़ातमुल मुह़द्दिसीन, ह़ज़रते अ़ल्लामा **शैख़ अ़ब्दुल ह़क़ मुह़द्दिस देहल्वी** عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى इस ह़दीसे पाक के तह़त फ़रमाते हैं : इस (या'नी मुसल्मान की इ़ज़्ज़त में ना ह़क़ दस्त अन्दाज़ी) से मुराद उस की **ग़ीबत** करना, उस को

गाली देना, उसे ह़क़ीर जानते हुए **तकब्बुर** करना है बशर्ते कि कोई शर-ई ह़िक्मत व मस्लह़त न हो । (मज़ीद तह़रीर फ़रमाते हैं) इस को (या'नी मुसल्मान की इ़ज़्ज़त पर ना ह़क़ हाथ डालने को) **बद तरीन सूद** इस लिये क़रार दिया गया है कि मुसल्मान की इ़ज़्ज़त व आबरू उस के हर (क़िस्म के) माल से बढ़ कर (क़ीमती) होती है तो यक़ीनन इस (ना ह़क़ आबरू रेज़ी) में फ़साद दूसरे माल से बढ़ कर ही होगा । ''ना ह़क़'' की क़ैद इस लिये लगाई गई है कि बा'ज़ सूरतों में (मुसल्मान की इ़ज़्ज़त पर हाथ डालना) **मुबाह़** होता है जैसा कि वोह किसी का ह़क़ नहीं देता या **ज़ालिम** है या ज़रूरतन कभी **गवाह** पर जरह़ की जाती है । इसी त़रह़ रुवात (या'नी अह़ादीसे मुबारका के राविय़ों) पर ह़िफ़ाज़ते दीन की ख़ात़िर मुह़द्दिसीने किराम (رَحِمَہُمُ اللّٰہُ السَّلام) जरह़ (या'नी राविय़ों के ऐ़बों को ज़ाहिर) करते हैं और ऐसी सूरतों में ग़ीबत मुबाह़ (जाइज़) है ।

(अशिअ़्अ़तुल्लम्आ़त, जि.4, स.157)

मोमिन की ह़ुर्मत का'बे से बढ़ कर है

सुनने इब्ने माजा में है : **ख़ातमुल मुर्सलीन, रह़मतुल्लिल आ़लमीन** صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ اٰلِہٖ وَسَلَّم ने का'बए मुअ़ज़्ज़मा को मुख़ात़ब कर के इर्शाद फ़रमाया : **''मो'मिन की ह़ुर्मत तुझ से ज़ियादा है ।''** (सुनने इब्ने माजा, जि.4, स.319, ह़दीस:3932)

यहूदो नसारा की बद ख़स्लतें

बहर ह़ाल मुसल्मान का येह शेवा ही नहीं कि ख़्वाह मख़्वाह किसी की तज़लील करे । मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه **फ़तावा र-ज़विय्या** जिल्द 24 सफ़ह़ा 108 और 109 पर नक़्ल करते हैं : यहूदियों और ईसाइयों के अख़्लाक़ में से येह है कि दूसरों को **इल्ज़ाम** लगाए जाएं और उन की **इज़्ज़त** में हाथ डाला जाए और लाया'नी व बे मक़्सद बातों में ग़ौत़ाज़नी की जाए। ह़ज़रते सय्यिदुना अबू हुरैरा رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ से रिवायत है, **सरकारे मदीना** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : आदमी की इस्लाम की ख़ूबियों में से एक येह है कि वोह काम छोड़ दे जो उसे नफ़्अ़ न दे।

(सुननुत्तिरमिज़ी, जि.4, स.142, ह़दीस:2324)

क्या सरकार ने भी कभी चन्दा किया है

सुवाल : क्या सरकारे मदीना صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم से **चन्दा करना** साबित है ?

जवाब : जी हां, जिहाद के लिये **चन्दे** की तरग़ीब इर्शाद फ़रमाने की येह रिवायत निहायत मश्हूर है चुनान्चे ह़ज़रते सय्यिदुना अ़ब्दुर्रह़मान बिन ख़ब्बाब رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ से मरवी है कि : मैं बारगाहे नबवी عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام में ह़ाज़िर था और **हुज़ूरे अकरम, नूरे मुजस्सम,** रसूले मोह़तरम, रह़मते आ़लम, शाहे बनी आदम, **नबिय्ये मोह़तशम,** सरापा जूदो करम صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم सह़ाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان को "जैशे उ़स्रत" (या'नी ग़ज़्वए

तबूक) की तैयारी के लिये तरग़ीब इर्शाद फ़रमा रहे थे। ह़ज़रते **सय्यिदुना उ़स्मान इब्ने अ़फ़्फ़ान** رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ने उठ कर अ़र्ज़ की : **या रसूलल्लाह** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم पालान और दीगर **मुतअ़ल्लिक़ा** सामान समेत **सो100 ऊंट** मेरे ज़िम्मे हैं। हुज़ूर सरापा नूर, फ़ैज़ गन्जूर, शाहे ग़यूर صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم ने सह़ाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان से फिर तरग़ीबन फ़रमाया : तो **ह़ज़रते सय्यिदुना उ़स्माने ग़नी** رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ दोबारा खड़े हुए और अ़र्ज़ की : **या रसूलल्लाह** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم ! मैं तमाम सामान समेत दो **सो200 ऊंट** ह़ाज़िर करने की ज़िम्मादारी लेता हूं। दो[2] जहां के सुल्त़ान, सरवरे ज़ीशान, मह़बूबे रह़मान صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم ने सह़ाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان से फिर तरग़ीबन इर्शाद फ़रमाया तो **ह़ज़रते सय्यिदुना उ़स्माने** ग़नी رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ने अ़र्ज़ की : **या रसूलल्लाह** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم मैं मअ़ सामान तीन सो300 ऊंट अपने ज़िम्मे क़बूल करता हूं।

रावी फ़रमाते हैं : मैं ने देखा कि हुज़ूरे अन्वर, मदीने के ताजवर, **शाफ़ेए महशर**, बि इज़्ने रब्बे अक्बर, ग़ैबों से बा ख़बर, मह़बूबे दावर صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم ने येह सुन कर मिम्बरे मुनव्वर से नीचे तशरीफ़ ला कर दो मरतबा फ़रमाया : ''आज से **उ़स्मान** (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) जो कुछ करे उस पर मुवाख़ज़ा (या'नी पूछगछ) नहीं।''

(सुननुत्तिरमिज़ी, जि.5, स.391, ह़दीस:3721)

उ़स्माने ग़नी ने कितना चन्दा पेश किया ?

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! आजकल देखा गया है कि बा'ज़ लोग दूसरों के सामने जज़्बात में आ कर **चन्दा** लिखवा तो देते हैं मगर जब देने की बारी आती है तो उन पर भारी पड़ जाता है ह़त्ता कि कुछ तो देते भी नहीं, मगर क़ुरबान जाइये ! **सय्यिदुल अस्ख़िया,** उ़स्माने बा ह़या رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ के जूदो सख़ा पर कि आप رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ ने अपने ए'लान से बहुत ज़ियादा **चन्दा** पेश किया चुनान्चे मुफ़स्सिरे शहीर **ह़कीमुल उम्मत** ह़ज़रते मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْحَنَّان इस ह़दीसे पाक के तह़त फ़रमाते हैं : ख़याल रहे कि येह तो उन का ए'लान था मगर ह़ाज़िर करने के वक़्त (आप رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ ने) **नौ सो पचास ऊंट, पचास घोड़े और एक हज़ार अशरफ़ियां पेश कीं फिर बा'द में दस हज़ार और पेश कीं,** (मुफ़्ती साह़िब मज़ीद फ़रमाते हैं) ख़याल रहे कि आप رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ ने पहली बार में एक सो का ए'लान किया, दूसरी बार सो के इ़लावा और दो सो का, तीसरी बार और तीन सो का, **कुल छे सो ऊंट** (पेश करने) का ए'लान फ़रमाया। (मिर्आतुल मनाजीह़, जि.8, स.395)

अल्लाह से क्या प्यार है उ़स्माने ग़नी का
मह़बूबे ख़ुदा यार है उ़स्माने ग़नी का

चन्दा करने से रोकना कैसा ?

सुवाल : दीनी कामों के लिये **चन्दा** करने वाले को रोकना कैसा ?

जवाब : बिला वज्हे शर-ई इस कारे ख़ैर से रोकने की शर-अ़न मुमानअ़त है । चुनान्चे **फ़तावा र-ज़विय्या** जिल्द:23 सफ़ह़ा:127 पर मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह **इमाम अह़मद रज़ा ख़ान** عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن एक सुवाल के जवाब में इर्शाद फ़रमाते हैं : उमूरे ख़ैर के लिये मुसल्मानों से इस त़रह़ **चन्दा** करना बिद्अ़त नहीं बल्कि **सुन्नत** से साबित है । जो लोग इस से रोकते हैं (वोह) مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ۝ (**तर्जमए कन्ज़ुल ईमान :** भलाई से बड़ा रोकने वाला ह़द से बढ़ने वाला गुनहगार (सू-रतुल क़लम, पा.29, आयत:12) में दाख़िल होते हैं । सय्यिदुना जरीर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से है, कुछ (ह़ज़रात) बरह्ना पा, बरह्ना बदन सिर्फ़ एक **कमली** कफ़नी की त़रह़ चीर कर गले में डाले ख़िदमते अक़्दसे **हुज़ूरे पुरनूर,** सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم में ह़ाज़िर हुए, **हुज़ूरे पुरनूर,** रह़मते आ़लम صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم ने उन की मोह़ताजी देखी, चेहरए अन्वर का रंग बदल गया । **बिलाल** رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ को अज़ान का हुक्म दिया, बा'दे नमाज़ ख़ुत्बा फ़रमाया, बा'दे तिलावते आयाते मुबारका इर्शाद किया : ''कोई शख़्स अपनी अशरफ़ी से स-दक़ा करे, कोई रूपै से, कोई कपड़े से, कोई अपने क़लील गेहूं से, कोई अपने थोड़े छूहारों से, यहां तक फ़रमाया, अगर्चे

आधा छूहारा ।'' इस इर्शादे गिरामी (या'नी **चन्दा** देने की तरग़ीब) को सुन कर **एक अन्सारी** رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ **रूपियों का थैला** उठा लाए जिस के उठाने में उन के हाथ थक गए, फिर लोग पै दर पै स-दक़ात लाने लगे, यहां तक कि **दो^{2} अम्बार** (दो^{2} ढेर) खाने और कपड़े के हो गए, यहां तक कि मैं ने देखा कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ اٰلِہٖ وَسَلَّم का चेहरए अन्वर ख़ुशी के बाइस कुन्दन (या'नी ख़ालिस सोने) की त़रह़ दहकने लगा और इर्शाद फ़रमाया : ''जो शख़्स इस्लाम में कोई अच्छी राह निकाले उस के लिये उस का सवाब है और उस के बा'द जितने लोग उस राह पर अ़मल करेंगे सब का सवाब उस (अच्छी राह निकालने वाले) के लिये है बिग़ैर इस के कि उन (अ़मल करने वालों) के सवाबों में कुछ कमी हो ।'' (सह़ीह़ मुस्लिम, स.508, ह़दीस:1017)

क्या हर चन्दे को वक़्फ़ का पैसा बोल सकते हैं ?

सुवाल : क्या हर त़रह़ के **चन्दे** की रक़म को ''वक़्फ़ का पैसा'' कहा जा सकता है ?

जवाब : बा'ज़ सूरतों में **चन्दा** ''वक़्फ़'' के हुक्म में आता है और बा'ज़ सूरतों में नहीं आता । चुनान्चे सदरुश्शरीआ़, बदरुत़्त़रीक़ा ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللّٰہِ الْقَوِی की बारगाह में **सुवाल** हुवा : मस्जिदों, मद्रसों, की ता'मीर व अख़राजात के लिये या किसी और मज़हबी व

दीनी ज़रूरत के लिये जो **चन्दे** वुसूल होते हैं येह महज़ स-दक़ा हैं या **वक़्फ़** भी कहे जा सकते हैं ? **अल जवाब :** उ़मूमन येह **चन्दे** स-द-क़ए नाफ़िला होते हैं उन को वक़्फ़ नहीं कहा जा सकता कि **वक़्फ़** के लिये येह ज़रूर है कि अस्ल ह़बस (मह़फ़ूज़) कर के उस के मनाफ़ेअ़ काम में सर्फ़ किये जाएं। जिस के लिये **वक़्फ़** हो, न येह कि ख़ुद अस्ल ही को ख़र्च कर दिया जाए। येह **चन्दे** जिस ख़ास ग़-रज़ के लिये किये गए हैं उस के ग़ैर में सर्फ़ नहीं किये जा सकते। अगर वोह ग़-रज़ पूरी हो चुकी हो तो जिस ने दिये हैं उस को वापस किये जाएं। या उस की इजाज़त से दूसरे काम में ख़र्च करें। बिग़ैर इजाज़त करना **ना जाइज़** है।

(फ़तावा अम्जदिय्या, जि.3, स.38)

कुफ़्फ़ार से चन्दा मांगना कैसा ?

सुवाल : दीनी कामों के लिये **कुफ़्फ़ार** से **चन्दा** लेना कैसा ?

जवाब : मम्नूअ़ है। मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह **इमाम अह़मद रज़ा ख़ान** عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : किसी दीनी काम के लिये **कुफ़्फ़ार** से **चन्दा** लेना अव्वल तो ख़ुद ही मम्नूअ़ और सख़्त मा'यूब है। **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم फ़रमाते हैं : हम किसी मुश्रिक से मदद नहीं लेते। (सुननो अबी दावूद, जि.3, स.100, ह़दीस:2732, फ़तावा र-ज़विय्या, जि.14, स.566)

मस्जिद के चन्दे से नियाज़ करना कैसा ?

सुवाल : **मस्जिद** के नाम पर किया हुवा **चन्दा** ग्यारहवीं शरीफ़ की नियाज़ के खाने पर सर्फ़ कर सकते हैं या नहीं ?

जवाब : अगर किसी मस्जिद का क़दीम से उ़र्फ़ चलता आ रहा है तो ग्यारहवीं शरीफ़ उस मस्जिद के चन्दे से कर सकते हैं वरना नहीं कर सकते । **चन्दे** का उसूल येह है कि जिस मद्द (या'नी उ़न्वान) में वुसूल किया उस के इ़लावा किसी और मद्द में इस्ते'माल करना गुनाह है ।

मस्जिद के चन्दे से चराग़ां

सुवाल : मस्जिद के चन्दे की रक़म से मस्जिद पर **जश्ने विलादत** के दिनों में **चराग़ां** करना कैसा ?

जवाब : अगर **चन्दा** देने वालों की सराह़तन या दलालतन इजाज़त हो तो कर सकते हैं वरना नहीं । **सराह़तन** से मुराद येह है कि मस्जिद के लिये **चन्दा** लेते वक़्त केह दिया कि हम आप के **चन्दे** से **जश्ने विलादत** और ग्यारहवीं शरीफ़, शबे बराअत वग़ैरा बड़ी रातों के मवाक़ेअ़ पर नीज़ र-मज़ानुल मुबारक में मस्जिद में रौशनी भी करेंगे और उस ने इजाज़त दे दी । दलालतन येह है कि **चन्दा** देने वाले को मा'लूम है कि इस मस्जिद पर **जश्ने विलादत** और दीगर बड़ी रातों के मवाक़ेअ़ पर और र-मज़ानुल मुबारक

में **चराग़ां** होता है उस में मस्जिद ही का **चन्दा** इस्ते'माल किया जाता है । आ़फ़िय्यत इसी में है कि चराग़ां वग़ैरा के लिये अलग से **चन्दा** किया जाए, जितना **चन्दा** हो जाए उसी से **चराग़ां** कर लिया जाए और चराग़ां में जो कुछ बिजली ख़र्च हुई उस के पैसे भी उसी से अदा किये जाएं ।

इजतिमाअ़ का चन्दा बच गया तो क्या करे ?

सुवाल : दा'वते इस्लामी के सुन्नतों भरे इज्तिमाअ़ के लिये जो **चन्दा** किया था, वोह बच गया तो क्या करें ? क्या मस्जिद या मद्रसे में या अपने तन्ज़ीमी ह़ल्क़े के लिये दरियां वग़ैरा ख़रीदने में उसे ख़र्च कर सकते हैं ?

जवाब : इजतिमाअ़, जल्सा, ना'त ख़्वानी, **जश्ने विलादत** की सजावट, अअ़रासे बुज़ुर्गाने दीन رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِیْن और ग्यारहवीं शरीफ़ की नियाज़ वग़ैरा के लिये लिया हुवा **चन्दा** बच जाने की सूरत में **चन्दा** देने वाले अगर मा'लूम हों तो बची हुई रक़म उन्हीं को लौटानी ज़रूरी है, उन की इजाज़त के बिग़ैर किसी दूसरे मसरफ़ में इस्ते'माल करना जाइज़ नहीं और अगर मा'लूम न हों तो जिस काम के लिये **चन्दा** देने वालों ने दिया था उसी में सर्फ़ करें (म-सलन सुन्नतों भरे इजतिमाअ़ के लिये दिया था तो किसी दूसरे सुन्नतों भरे इजतिमाअ़ पर ख़र्च करें) अगर इस त़रह़ का कोई

दूसरा काम न पाएं तो फ़ुक़रा पर तसद्दुक़ करें । चुनान्चे **मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, वलिय्ये ने'मत, अ़ज़ीमुल ब-र-कत, अ़ज़ीमुल मर्तबत, परवानए शम्ए रिसालत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, ह़ामिये सुन्नत, माह़िये बिद्अ़त, आ़लिमे शरीअ़त, पीरे त़रीक़त, बाइसे ख़ैरो ब-र-कत, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अल्ह़ाज अल ह़ाफ़िज़ अल क़ारी शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान** عَلَيْهِ رَحْمَةُالرَّحْمٰن **फ़तावा र-ज़विय्या** जिल्द:16 सफ़ह़ा:206 पर फ़रमाते हैं : **चन्दे** का जो रूपिया काम ख़त्म हो कर बचे लाज़िम है कि **चन्दा** देने वालों को ह़िस्सए रसद वापस दिया जाए या वोह जिस काम के लिये अब इजाज़त दें उस में सर्फ़ हो, बे उन की इजाज़त के सर्फ़ करना **ह़राम** है, हां जब उन का पता न चल सके तो अब येह चाहिये कि जिस त़रह़ के काम के लिये **चन्दा** लिया था इसी त़रह़ के दूसरे काम में उठाएं (या'नी इस्ते'माल करें) म-सलन **ता'मीरे मस्जिद** का **चन्दा** था मस्जिद ता'मीर हो चुकी तो बाक़ी भी **किसी मस्जिद की ता'मीर** में उठाएं, ग़ैर काम म-सलन ता'मीरे मद्रसा में सर्फ़ न करें और अगर इसी त़रह़ का दूसरा काम न पाएं तो वोह बाक़ी रूपिया फ़क़ीरों को तक़्सीम कर दें । (फ़तावा र-ज़विय्या, जि.16, स.206)

कई अफ़राद से लिया हुवा चन्दा बच जाए तो क्या करे ?

सुवाल : मख़्सूस मद्द म-सलन मद्रसे की ता'मीर के लिये कई अफ़राद

से **चन्दा** लिया गया हो और उस में से कुछ रक़म बच जाए तो क्या उस बची हुई रक़म के दूसरे मसरफ़ में इस्ते'माल के बारे में एक एक से इजाज़त लेनी पड़ेगी ?

जवाब : जी हां । फ़क़त बा'ज़ की इजाज़त काफ़ी न होगी, सब से इजाज़त मिल गई फ़बिहा (या'नी मुराद ह़ासिल), वरना जितनों से इजाज़त ली उन ही के ह़िस्से में तसर्रुफ़ करना जाइज़ होगा ।

12 अफ़राद से लिया हुवा चन्दा बच गया तो.....?

सुवाल : मद्रसे में ठन्डे पानी का कूलर लगाने के लिये 12 अफ़राद से एक एक हज़ार रूपै ह़ासिल किये और उन में से **चार हज़ार** बच गए । इन बक़िय्या चार हज़ार के मद्रसे के लिये थाल ख़रीदने का ज़ेहन बना तो क्या अब भी **12 अफ़राद** से इजाज़त लेनी ज़रूरी होगी या चार की इजाज़त काफ़ी है ?

जवाब : अगर रक़म इस त़रह़ मिला दी थी कि किसी के नोटों वग़ैरा की शनाख़्त न रही थी तब तो **12 अफ़राद** से इजाज़त लेनी होगी और अगर रक़म जुदा जुदा रखी थी या मिला दी थी मगर शनाख़्त बाक़ी थी या नोटों पर निशान लगा दिये थे और मा'लूम है कि बक़िय्या **चार हज़ार** फुलां फुलां चार[4] अफ़राद के बच रहे हैं तो सिर्फ़ उन चार[4] अफ़राद की इजाज़त काफ़ी होगी । मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह **इमाम अह़मद रज़ा ख़ान** عَلَیْہِ رَحْمَۃُ الرَّحْمٰن बाक़ी बच जाने वाले **चन्दे**

के मुतअ़ल्लिक़ फ़रमाते हैं : **चन्दा** जिस काम के लिये लिया गया हो जब उस के बा'द बचे तो वोह उन्हीं की मिल्क है जिन्हों ने **चन्दा** दिया है। كَمَا حَقَّقْنَاهُ فِيْ فَتَاوِيْنَا (जैसा कि इस की तह़क़ीक़ हम ने अपने फ़तावा में की है) इन को ह़िस्सए **रसद** वापस दिया जाए या जिस काम में वोह कहें सर्फ़ किया जाए''

(फ़तावा र-ज़विय्या, जि.16, स.247)

मस्जिद की इफ़्तारी का मस्अला

सुवाल : र-मज़ानुल मुबारक में लोग रोज़ादारों के लिये मस्जिद में जो इफ़्तारी भिजवाते हैं उस में से ग़ैर रोज़ादार का खाना कैसा ? अगर गुनाह है तो क्या इस का गुनाह मुन्तज़िमीन पर भी होगा ?

जवाब : जो इफ़्तारी रोज़ादारों के लिये भेजी जाती है वोह ग़ैर रोज़ादार नहीं खा सकता। बिल्फ़र्ज़ कोई मरीज़ या मुसाफ़िर है या किसी वजह से उस का रोज़ा टूट चुका है तो वोह उस **इफ़्तारी** में शरीक न हो। **मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत** رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه फ़रमाते हैं : **इफ़्तारी** में ग़ैर रोज़ादार अगर रोज़ादार बन कर शरीक होते हैं मुतवल्लियों पर इल्ज़ाम नहीं। बहुतेरे ग़नी (या'नी मालदारों) फ़क़ीर बन कर भीक मांगते और ज़कात लेते हैं। देने वाले की ज़कात अदा हो जाएगी कि ज़ाहिर पर हुक्म है और लेने वाले को **ह़रामे क़त्ई** है यूंही उन ग़ैर रोज़ादारों को इस का खाना

ह़राम है । वक़्फ़ का माल मिस्ले माले यतीम है जिसे ना ह़क़ खाने पर अल्लाह तबारक व तआ़ला ने पारह 4 सूरतुन्निसा की आयत नम्बर 10 में इर्शाद फ़रमाया :

اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِیْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ؕ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ⑩

तर्जमए कन्ज़ुल ईमान : वोह तो अपने पेट में निरी आग भरते हैं और कोई दम जाता है कि भड़कते धड़े[1] में जाएंगे । (पा.4, अन्निसा:10)

हां मुतवल्ली दानिस्ता ग़ैर रोज़ादार को शरीक करें तो वोह भी आ़सी व मुजरिम व ख़ाइन व मुस्तह़िक़े अ़ज़ल (या'नी ख़ियानत करने वाले और बर त़रफ़ किये जाने के लाइक़) हैं । रहा अक्सर या कुल (इफ़्त़ारी करने वालों) का मुरक्क़हुल ह़ाल (या'नी ख़ुश ह़ाल, खाता पीता) होना इस में कोई ह़-रज नहीं (कि) **इफ़्त़ारी** मुत्लक़ रोज़ादार के लिये है अगर्चे ग़नी (या'नी मालदार) हो जैसे सक़ाया मस्जिद (या'नी मस्जिद के बरतन) का पानी हर नमाज़ी के ग़ुस्ल व वुज़ू को है अगर्चे बादशाह हो ।

(फ़तावा र-ज़विय्या, जि.16, स.487)

अलबत्ता अगर किसी मस्जिद या अ़लाक़े का उ़र्फ़ येही हो कि रोज़ादार और ग़ैर रोज़ादार दोनों को इफ़्त़ारी खिलाते हों तो वहां ग़ैर रोज़ादार को भी इजाज़त होगी । और जहां तक बच्चों के

1. भड़कते धड़े या'नी भड़कती आग

खाने का तअ़ल्लुक़ है तो उ़मूमी उ़र्फ़ येही है कि इफ़्तारी भेजने वालों की त़रफ़ से उस पर कोई ए'तिराज़ नहीं किया जाता लिहाज़ा बच्चों का खाना जाइज़ है ।

मस्जिद की बची हुई इफ़्तारी का क्या करे ?

सुवाल : लोगों का मस्जिद में भेजा हुवा **इफ़्तारी** का जो सामान थाल में बच गया उस का क्या किया जाए ?

जवाब : उ़र्फ़ येही है कि देने वाले बचा हुवा वापस नहीं लेते मुन्तज़िमीन की सवाब दीद पर है कि दूसरे दिन के लिये बचाना चाहें बचा लें, ख़ुद खा लें, दूसरों को खिला दें या तक़्सीम कर दें ।

मस्जिद के चन्दे के मसारिफ़

सुवाल : मस्जिद के सन्दूक़्चे का जम्अ़ शुदा **चन्दा** नीज़ जुमुआ़ या बड़ी रातों को मस्जिद के लिये जो **चन्दा** मिलता है वोह किस त़रह़ इस्ते'माल किया जाए ?

जवाब : मस्जिद के नाम पर मिला हुवा **चन्दा** वहां के उ़र्फ़ (या'नी रवाज) के मुत़ाबिक़ इस्ते'माल करना होगा म-सलन इमाम, मुअज़्ज़िन और ख़ादिम की तनख़्वाहें, मस्जिद की बिजली का बिल, इ़मारते मस्जिद या उस की अश्या की ह़स्बे ज़रूरत मरम्मत, ज़रूरते मस्जिद की चीज़ें म-सलन लोटे, झाड़ू, पाएदान, बत्ती, पंखे, चटाई वग़ैरा । मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत,

इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह **इमाम अह़मद रज़ा ख़ान** عَلَيْهِ رَحْمَةُالرَّحْمٰن के एक मुबारक फ़त्वे का इक़्तिबास ग़ौर से मुला-ह़ज़ा फ़रमा लीजिये اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ इस से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चुनान्चे फ़रमाते हैं : यहां हुक्मे शर-ई येह है कि अवक़ाफ़ (या'नी वक़्फ़ की हुई चीज़ों) में पहली नज़र शर्ते वाक़िफ़ (या'नी वक़्फ़ करने वाले की शर्त) पर है (कि) येह ज़मीन व दुकानें उस ने जिस ग़-रज़ के लिये मस्जिद पर वक़्फ़ की हों उन में सर्फ़ किया जाएगा अगर्चे वोह इफ़्तारी व शीरीनी व रौशनिये ख़तम (शरीफ़) हो और उस के सिवा दूसरी ग़-रज़ में उस का सर्फ़ करना **ह़राम ह़राम और सख़्त ह़राम** अगर्चे वोह बिनाए मद्रसए दीनिया हो। **वाक़िफ़** की शर्त ऐसे ही वाजिबुल अ़मल है जैसे शारेअ़ की नस (या'नी क़ुरआन व ह़दीस का हुक्म)। (दुर्रे मुख़्तार, जि.6, स.664) ह़त्ता कि अगर उस ने सिर्फ़ ता'मीरे मस्जिद के लिये (रक़म) वक़्फ़ की तो मरम्मते शिकस्त व रीख़्त (या'नी टूट फूट की मरम्मत) के सिवा मस्जिद के लोटे चटाई में भी सर्फ़ नहीं कर सकते (और) इफ़्तारी वग़ैरा (तो) दर किनार, और अगर मस्जिद के मसारिफ़े राएजा फ़िल मसाजिद (या'नी मस्जिदों में जिन चीज़ों में ख़र्च करने का उ़र्फ़ हो उन) के लिये **वक़्फ़** है तो ब क़-दरे मअ़हूद (या'नी उ़र्फ़ की मिक़्दार में) शीरीनी व रौशनिये ख़तम (शरीफ़) में सर्फ़ (या'नी ख़र्च करना) जाइज़ (मगर) इफ़्तारी व मद्रसे में **ना जाइज़,** न

उसे तनख़्वाहे मुदर्रिसीन वग़ैरा में सर्फ़ कर सकते हैं कि येह अश्या मसारिफ़े मस्जिद (या'नी मस्जिद के अख़राजात) से नहीं। जब ख़ुद **वाक़िफ़** के लिये इह़दास (या'नी नई चीज़ शुरूअ़ करना) **वक़्फ़** में जाइज़ नहीं तो मह़ज़ अजनबी शख़्स के लिये कैसे जाइज़ हो सकता है और अगर उस ने इन चीज़ों की भी सराह़तन (या'नी वाज़ेह़ लफ़्ज़ों में) इजाज़त **शराइते वक़्फ़** में रखी या मसारिफ़े ख़ैर की तअ़मीम कर दी (या'नी हर क़िस्म का अच्छा काम कर सकते हैं येह केह दिया) या यूं कहा कि दीगर मसारिफ़े ख़ैर ह़स्बे सवाब दीदे मुतवल्ली (या'नी मुतवल्ली को दीगर भलाई के मसारिफ़ में ख़र्च करने के कुल्ली इख़्तियारात दिये) तो उन में भी मुत़्लक़न या ह़स्बे सवाबदीदे मुतवल्ली (या'नी मुतवल्ली की सवाबदीद के मुत़ाबिक़) सर्फ़ हो सकेगा। ग़-रज़ हर त़रह़ उस के शराइत़ का इत्तिबाअ़ किया जाएगा और अगर शराइत़ मा'लूम नहीं तो उस के मुतवल्लियों का क़दीम (या'नी शुरूअ़ ही) से जो अ़मल दर आमद रहा उस पर नज़र होगी, अगर हमेशा से इफ़्त़ारी व शीरीनी व रौशनिये ख़तम (शरीफ़) कुल या बा'ज़ में सर्फ़ होता रहा (तो) उस में अब भी होगा वरना अस्लन नहीं और इह़दासे मद्रसा (या'नी नया मद्रसा बनाना) बिल्कुल ना जाइज़। क़दीम से होने के येह मा'ना कि इस का हुदूस (या'नी वुजूद में आना) मा'लूम न हो और अगर मा'लूम है कि येह बिला शर्त़ बा'द को ह़ादिस हुवा (या'नी पहले न था बा'द में जारी हुवा) तो क़दीम नहीं अगर्चे सो[100] बरस

से हो अगर्चे न मा'लूम हो कि कब से है।

(फ़तावा र-ज़विय्या, जि.16, स.485,486)

चन्दे की रक़म ज़ाती काम में ख़र्च डाली तो ?

सुवाल : मस्जिद या मद्रसे के लिये किया हुवा **चन्दा** अगर मुतवल्ली अपने ज़ाती इस्ते'माल में ले आए तो उस के लिये क्या हुक्म है ? अगर येही काम ग़ैर मुतवल्ली से सरज़द हो तो क्या करे ? जल्दी में उतनी ही रक़म पल्ले से चन्दे में डाल दी उस के लिये क्या हुक्म है ?

जवाब : चन्दे के अह़काम मुतवल्ली और ग़ैर मुतवल्ली के लिये अलग अलग हैं। अगर मस्जिद या मद्रसा मौजूद हैं और उन का कोई मुतवल्ली भी है तो उन की मज़ीद ता'मीर के लिये या उन के मसारिफ़ (अख़राजात) के लिये जो **चन्दा** मुतवल्ली के पास जम्अ़ होता है येह मस्जिद या मद्रसे के लिये हिबा होता है और मुतवल्ली मस्जिद या मद्रसे की त़रफ़ से **वकील बिल क़ब्ज़** होता है लिहाज़ा चन्दे के मुतवल्ली के क़ब्ज़े में आते ही हिबा ताम (या'नी हिबा मुकम्मल) हो जाता है और **चन्दा** मस्जिद या मद्रसे की मिल्क में आ जाता है और मालिक की मिल्क से निकल जाता है। अगर मुतवल्ली इस **चन्दे को** अपने ज़ाती काम में ख़र्च करेगा तो गुनाहगार होगा कि उस ने **माले वक़्फ़** को अपने ज़ाती काम में ख़र्च किया और उस पर लाज़िम आएगा कि जितना रूपिया उस ने अपने ज़ाती काम में ख़र्च किया है उतना अपने पल्ले से उसी काम में लगा दे जिस काम

के लिये **चन्दा** लिया गया है और साथ साथ तौबा भी करे। मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : "उस पर तौबा **फ़र्ज़** है और **तावान** अदा करना फ़र्ज़ है जितने दाम अपने सर्फ़ (ज़ाती इस्ते'माल) में लाया था अगर येह उस मस्जिद का मुतवल्ली था तो उसी मस्जिद के तेल बत्ती में सर्फ़ करे दूसरी मस्जिद में सर्फ़ कर देने से भी बरिय्युज़्ज़िम्मा न होगा और अगर मुतवल्ली न था तो जिस ने उसे दाम (**चन्दा**) दिये थे उसे वापस करे कि तुम्हारे दिये हुए दामों (या'नी चन्दे) से इतना ख़र्च हुवा और इतना बाक़ी रहा था कि तुम्हें देता हूं। इस लिये कि अगर वोह मुतवल्ली है तो तस्लीमे ताम हो गई (या'नी सिपुर्द करना मुकम्मल हो गया) वरना देने वाले की मिल्क पर बाक़ी है।"

(फ़तावा र-ज़विय्या, जि.16, स.461)

अगर चन्दा लेने वाला ग़ैरे मुतवल्ली है या जिस चीज़ के लिये **चन्दा** लिया गया है उस का कोई मुतवल्ली नहीं या अभी मस्जिद या मद्रसा वग़ैरा बनाने की तरकीब है और उस के लिये चन्द अफ़राद **चन्दा** जम्अ़ कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में चूंकि कोई मुतवल्ली नहीं लिहाज़ा जब तक **चन्दा** उस काम में सर्फ़ नहीं हो जाता जिस के लिये लिया गया है तो उस वक़्त तक **चन्दा चन्दा** दिहन्दा (या'नी **चन्दा** देने वाले) की मिल्क पर बाक़ी रहेगा लिहाज़ा उन **चन्दा** वुसूल करने वालों में से किसी ने

भी **चन्दे** को अपने ज़ाती काम में ख़र्च कर दिया तो वोह गुनाहगार होगा और अब इस पर वाजिब है कि जितनी रक़म इस ने अपने ज़ाती काम में ख़र्च की है उतनी ही रक़म **चन्दा दिहन्दा** (या'नी जिस ने **चन्दा** दिया था उस) को वापस करे कि **चन्दा** अभी **चन्दा** दिहन्दा (या'नी **चन्दा** देने वाले) की मिल्क में बाक़ी था और अगर इस ने बिला इजाज़ते **चन्दा** दिहन्दा अपनी त़रफ़ से उस काम में रक़म ख़र्च कर दी जिस काम के लिये **चन्दा** लिया जा रहा था तो भी बरी न होगा । क्यूं कि उस ने ह़क़ीक़त में जो चन्दे की रक़म ली थी वोह तो अपने किसी काम में ख़र्च कर के हलाक कर चुका था । अब जो रक़म पल्ले से दे रहा है वोह **चन्दा** देने वाले को देनी है या फिर उस से नई इजाज़त लेनी ज़रूरी है ।

मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَیْہِ رَحْمَۃُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं **:** "हम ने अपने फ़तावा में इस बात की तह़क़ीक़ की है जो **चन्दा** लोगों से मसरफ़े ख़ैर (या'नी भलाई के कामों) के लिये जम्अ़ किया जाता है वोह देने वालों की मिल्क पर बाक़ी रहता है । (फ़तावा र-ज़विय्या, जि.16, स.244) **फ़तावा आ़लमगीरी** में है **:** "किसी शख़्स ने लोगों से मस्जिद बनाने के लिये **चन्दा** जम्अ़ किया और इन दराहिम (रूपियों) को उस ने अपनी ज़ाती ज़रूररियात पर ख़र्च कर लिया फिर उस के बदले में मस्जिद की ज़रूरत में अपना माल ख़र्च किया तो ऐसा करने का उस को कोई इख़्तियार नहीं

है अगर इस त़रह़ कर लिया, तो अगर **चन्दा** देने वालों को जानता है तो **चन्दा** देने वालों को उस का **तावान** (उतनी ही रक़म) वापस करे या उन से नई इजाज़त ले।

(फ़तावा आ़लमगीरी, जि.2, स.480)

मस्जिद का चन्दा उधार दे दिया तो ?

सुवाल : **अगर** चन्दे के सन्दूक़चे से निकली हुई रक़म का ग़लत़ इस्ते'माल हो गया म-सलन मुतवल्लियाने मस्जिद ने इत्तिफ़ाक़े राय से किसी ग़रीब मुक़्तदी को उस में से कुछ रक़म **उधार** दे दी और वोह अब अदा नहीं करता। इस का ह़ल ?

जवाब : अव्वल तो येही गुनाह का काम था कि मस्जिद का **चन्दा** किसी मुक़्तदी को उधार दे दिया इस लिये कि जो **चन्दा** मस्जिद के लिये किया जाता है उस में मुक़्तदियों को उधार देने का उ़र्फ़ (रवाज) नहीं। **तौबा** करनी होगी और वोह रक़म डूब जाने की सूरत में जिस जिस ने **क़र्ज़** देने के ह़क़ में फ़ैसला किया उस को **रक़म पल्ले से अदा करनी** होगी। मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह **इमाम अह़मद रज़ा ख़ान** عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : **मुतवल्ली को रवा** (या'नी जाइज़) **नहीं कि माले वक़्फ़ किसी को क़र्ज़ दे या बत़ौरे क़र्ज़ अपने तसर्रुफ़ में लाए।** (फ़तावा र-ज़विया, जि.16, स.574)

बत़ौरे अमानत रखे हुए चन्दे को उधार लेना कैसा ?

सुवाल : अगर किसी के पास अमानतन मस्जिद का **चन्दा** रखवाया गया और उस ने **अमानत** की रक़म को अपने लिये ब त़ौरे क़र्ज़ ले कर ख़र्च कर दिया हो, उस को क्या करना चाहिये ?

जवाब : मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहल सुन्नत, मौलाना शाह **इमाम अह़मद रज़ा ख़ान** عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : मस्जिद ख़्वाह ग़ैर मस्जिद किसी की **अमानत** अपने सर्फ़ में लाना अगर्चे क़र्ज़ समझ कर हो **ह़राम व ख़ियानत** है । तौबा व इस्तिग़्फ़ार फ़र्ज़ है और **तावान** लाज़िम, फिर (उतनी ही रक़म) दे देने से **तावान** अदा हो गया, वोह गुनाह न मिटा जब तक तौबा न करे । وَاللّٰه تَعَالٰى اَعلم

(फ़तावा र-ज़विय्या, जि.16, स.489)

तावान अदा करने का त़रीक़ा

सुवाल : चन्दा ग़ैरे मस्रफ़ में ख़र्च कर दिया अब उस का **तावान** (ज़मान) अदा करने का क्या त़रीक़ा है ?

जवाब : ऐसे मुआ़मले में **तावान** (ज़मान) अदा करने का त़रीक़ा येह है कि जिस ने **चन्दा** दिया उसे इत्तिलाअ़ करे कि मैं ने आप के बताए हुए मस्रफ़ (या'नी आप ने जहां जहां ख़र्च करने का कहा था या जिन कामों में ख़र्च किया जाना चाहिये था उस) के इलावा में ख़र्च कर दिया है, अगर **चन्दा** देने वाला उसे दुरुस्त क़रार दे

दे (या'नी म-सलन केह दे कोई ह़-रज नहीं) तो येह बरिय्युज़्ज़िम्मा हो जाएगा और अगर वोह उसे दुरुस्त न क़रार दे तो जिस के चन्दे की जितनी रक़म ग़लत़ इस्ते'माल कर दी उतनी ही रक़म पल्ले से **चन्दा** देने वाले को अदा करे म-सलन मस्जिद के **वुज़ू ख़ाने** की ता'मीर या वुज़ू के पानी के लिये टेन्कर मंगवाने की मद्द में जो **चन्दा** किया वोह वैसे ही या बच जाने की सूरत में **चन्दा** देने वाले की इजाज़त के बिग़ैर मस्जिद के **रंगचूने** में ख़र्च कर दिया तो जितनी रक़म रंगचूने पर ख़र्च की वोह अपने पल्ले **चन्दा** देने वाले को लौटाए, वोह फ़ौत हो चुका हो तो उस के वारिसों को दे अगर **बालिग़** वारिस किसी और नेक काम में सर्फ़ करने की इजाज़त दे दें तो जो जो इजाज़त देगा उसी के ह़िस्से में से सर्फ़ किया जा सकता है और अगर उन में **ना बालिग़** या **पागल** भी हैं तो उन का ह़िस्सा हर सूरत में अदा करना वाजिब है, क्यूंकि वोह इजाज़त देने के शर-अ़न अहल नहीं। अगर **चन्दा** देने वाले का कोई वारिस न हो या किसी त़रह़ **चन्दा** देने वाले का पता न लगे तो अब **चन्दा** जिस मद्द में (या'नी जिस काम के लिये) लिया था उसी त़रह़ के काम में **तावान** वाली रक़म ख़र्च कर दे, अगर येह भी न बन पड़े तो उस का हुक्म लुक़्त़े के माल (या'नी गिरी पड़ी मिलने वाली चीज़) की त़रह़ है या'नी मसाकीन में ख़ैरात कर दे या किसी भी मस्रफ़े ख़ैर

म-सलन मस्जिद मद्रसा वग़ैरा में सर्फ़ कर सकता है ।

मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُالرَّحْمٰن **फ़तावा र-ज़विय्या** जिल्द: 23, सफ़ह़ा:563 पर फ़रमाते हैं : "चन्दे का रूपिया **चन्दा** देने वालों की मिल्क रहता है जिस काम के लिये वोह दें, जब उस में सर्फ़ न हो तो फ़र्ज़ है कि उन्हीं को वापस दिया जाए या किसी दूसरे काम के लिये (इस्ते'माल कर लें जिस की) वोह इजाज़त दें, उन (**चन्दा** देने वालों) में जो (ज़िन्दा) न रहा हो उन के वारिसों को दिया जाए या उन के आ़क़िल बालिग़ (वुरसा) जिस काम में (सर्फ़ करने की) इजाज़त दें (उस में इस्ते'माल करें) हां जो इन में (ज़िन्दा) न रहा और उन के वारिस भी (ज़िन्दा) न रहे या पता नहीं चलता या मा'लूम नहीं हो सकता कि किस किस से लिया था क्या क्या था वोह **मिस्ले माले लुक़्ता** है । मसरफ़े ख़ैर म-सलन मस्जिद और मद्रसए अहले सुन्नत व मत़्बए अहले सुन्नत वग़ैरा में सर्फ़ हो सकता है । وَهُوَ تَعَالٰى اعلم मज़ीद मा'लूमात के लिये **फ़तावा र-ज़विय्या** जिल्द:16, सफ़ह़ा:134 पर लिखा हुवा इस्तिफ़्ता और फ़त्वा पढ़ लीजिये ।

चन्दे की रक़म गुम हो गई तो ?

सुवाल : किसी के पास चन्दे की रक़म अमानतन रखी हुई थी और वोह

गुम हो गई या किसी ने चुरा, या छीन ली ऐसी सूरत में भी क्या उस को **तावान** देना होगा ?

जवाब : अमानत का माल अगर अच्छी त़रह़ संभाल कर रखा और ज़ाएअ़ हो गया तो **तावान** नहीं वरना है। मेरे आक़ा **आ'ला ह़ज़रत,** इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن की ख़िदमते सरापा अ़-ज़मत में **अ़र्ज़** की गई : मुतवल्लिये वक़्फ़ के मस्कन (या'नी मकान) व सन्दूक़ से माले वक़्फ़ **चोरी** हो गया **तावान** लाज़िम है या नहीं ? **अल जवाब :** अगर मुतवल्ली ने कोई बे एह़तियाती न की तो उस पर **तावान** नहीं, अगर वोह क़सम खा लेगा तो उस की बात मान ली जाएगी और अगर बे एह़तियाती की म-सलन सन्दूक़ खुला छोड़ दिया, ग़ैर महफ़ूज़ जगह रखा तो उस पर **तावान** है।

(मुलख़्ख़सन फ़तावा र-ज़विय्या, जि.16, स.569, 570)

मद्रसे के चन्दे के ग़लत़ इस्ते'माल में तावान की सूरतें

सुवाल : मद्रसे की किसी ख़ास मद् में लिये हुए चन्दे के ग़लत़ इस्ते'माल की वजह से अगर **तावान** लाज़िम आए तो वोह **तावान** किसे देना होगा ?

जवाब : इस मस्अले में मुतअ़द्दद सूरतें हैं। इन में से **चार सूरतें** अ़र्ज़ करता हूं : ﴾**1**﴿ अगर वोह ज़कात या फ़ित्रा वग़ैरा स-दक़ाते वाजिबा की रक़म या चीज़ थी तो फ़क़ीरे शर-ई को देने (शर-ई हीला करने) से पहले बेजा (म-सलन मुदर्रिसीन की तनख़्वाहों या ता'मीराती कामों वग़ैरा में) इस्ते'माल की सूरत में इस का

तावान ज़कात या फ़ित्रा वग़ैरा सदक़ाते वाजिबा जिस ने दिये थे उसी देने वाले को अदा करे 《2》 अगर वोह आलात व अस्बाब चूल्हे, बरतनों और दीगर सामान के मद्द की चीज़ है जो कि **चन्दा** देने वाले की मिल्क पर बाक़ी रहती है तो भी बेजा इस्ते'माल की सूरत में **तावान चन्दा** देने वाले को ही दिया जाएगा 《3》 अगर वोह आ़म स-द-क़ाते नाफ़िला (अ़तिय्यात DONATION) हैं तो अगर वोह मद्रसे के मुतवल्ली या मुतवल्ली के वकील या'नी **नाज़िम व मोहतमिम** को दे दिये गए म-सलन **नाज़िम** को दिये गए और उस ने उस में बेजा तसर्रुफ़ कर के हलाक कर दिया तो वोह **तावान की रक़म मद्रसे में जम्अ़ करवाएगा** और अगर येह स-दक़ाते नाफ़िला, देने वाले के वकील ही के पास थे और अभी मद्रसे को नहीं दिये गए थे और इस में बेजा तसर्रुफ़ हुवा तो अब **तावान** की रक़म **चन्दा** देने वाले को दी जाएगी और वोह न हो तो उस के वुरसा को और वोह न मिलें तो किसी फ़क़ीरे शर-ई को दे दें अगर्चे वोह फ़क़ीरे शर-ई उसी मद्रसे का त़ालिबे इ़ल्म हो और त़ालिबे इ़ल्म चाहे तो क़ब्ज़े के बा'द वोह रक़म मद्रसे को दे दे 《4》 अगर येह मस्अला खाने वग़ैरा के मुतअ़ल्लिक़ हो म-सलन **नाज़िम** ने मद्रसे का खाना किसी ग़ैरे मुस्तह़िक़ को खिला दिया तो इस सूरत में **तावान** की रक़म मद्रसे में जम्अ़ करवाई जाएगी। और इन सब सूरतों में तौबा भी लाज़िम होगी।

ज़कात गै़रे मस्रफ़ में ख़र्च कर दी, उस का ह़ल ?

सुवाल : मस्अला मा'लूम न होने की वजह से अगर किसी **चन्दा** वुसूल करने वाले ने ज़कात या फ़ित्रा **बिगै़र ह़ीलए शर-ई** के गै़रे मस्रफ़े ज़कात व फ़ित्रा में ख़र्च कर डाला हो तो उस की **तौबा** का क्या त़रीक़ा है ?

जवाब : यहां जहालत उ़ज़्र नहीं, इस ने क्यूं नहीं सीखा ! कि जिस को **चन्दा जम्अ़** करना हो या **चन्दा ख़र्च** करना हो उस के लिये इस के ज़रूरी मसाइल जानना **फ़र्ज़** है। नहीं सीखा तो फ़र्ज़ का तारिक और गुनहगार हुवा। बिल्फ़र्ज़ किसी ने ज़कात या फ़ित्रा की रक़म को बिगै़र ह़ीलए शर-ई गै़रे मस्रफ़ ज़कात व फ़ित्रा में ख़र्च कर डाला तो **तौबा** के साथ साथ उस पर **तावान** भी लाज़िम आएगा। म-सलन किसी ने **दा'वते इस्लामी** को ज़कात दी और ज़िम्मादार ने बिगै़र ह़ीला किये वोह रक़म ता'मीरे मस्जिद या मुदर्रिस की तनख़्वाह या इसी त़रह़ के नेक कामों में सर्फ़ कर दी तो **तौबा** के साथ साथ उसे पल्ले से **तावान** अदा करना होगा अगर्चे वोह रक़म लाखों बल्कि करोड़ों की हो, इस के लिये फ़क़त़ ज़बानी तौबा काफ़ी नहीं।

तावान की रक़म न हो तो.........?

सुवाल : जिस ने लाखों रूपै की ज़कात बिगै़र ह़ीले के गै़रे मस्रफ़ में

सर्फ़ कर दी हो और अब मस्अला मा'लूम हुवा हो मगर **तावान** देने के लिये रक़म न हो तो क्या करे ?

जवाब : अगर येह अब फ़क़ीरे शर-ई है तो उस पर जितना **तावान** है उतनी ज़कात दे कर उस को इस का मालिक बना दिया जाए, अब जिन जिन की **ज़कात** का उस ने ग़लत इस्ते'माल कर डाला था मज़्कूरा त़रीक़ए कार के मुत़ाबिक़ **तावान** अदा करे । या'नी जिन जिन साहिबान की **ज़कात** थी उन को या उन के वकीलों को लौटाए । येह भी हो सकता है कि कोई और फ़क़ीरे शर-ई ज़कात व फ़ित्रा की रक़म अपनी मिल्क बना लेने के बा'द जिस पर **तावान** चढ़ा हुवा हो उस को तोह़फ़े में दे दे या इस का क़ब्ज़ा होने के बा'द उस की इजाज़त ले कर उस की त़रफ़ से **तावान** अदा कर दे । और दोनों सूरतों में **तौबा** भी करे । येह **ह़ीला** इस लिये बयान किया गया कि ला इल्मी की वजह से हुस्ने निय्यत के बा वुजूद जो इस गुनाह और **तावान** में मुब्तला हो गए उन्हें सहूलत हो जाए । येह नहीं कि इस **ह़ीले** को बुन्याद बना कर ज़कात व स-दक़ात वग़ैरा को مَعَاذَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ ना जाइज़ व ह़राम त़रीक़े से इस्ते'माल करना शुरूअ़ कर दिया जाए ! **अगर इस निय्यत से फ़े'ले ह़राम का इर्तिकाब किया कि बा'द में तौबा कर लूंगा और ह़ीले के साथ तावान से भी छुटकारा ह़ासिल कर लूंगा तो बा'ज़ सूरतों में लुज़ूमे कुफ़्र का ह़ुक्म भी हो सकता है ।**

अगर किसी सय्यिद पर तावान चढ़ गया हो तो...?

सुवाल : अगर किसी सय्यिद साहि़ब ने येह भूल की हो तो क्या करे क्यूंकि **सय्यिद ज़ादे** से तो ज़कात का ह़ीला भी नहीं करवा सकते ?

जवाब : किसी सय्यिद साहि़ब ने म-सलन ज़ैद के एक लाख रूपै की **ज़कात** ग़ैरे मस्रफ़ में सर्फ़ कर दी तो अब ब त़ौरे **चन्दा** मिली हुई ज़कात का किसी फ़क़ीरे शर-ई को मालिक बना दिया जाए। फ़क़ीरे शर-ई क़ब्ज़ा कर लेने के बा'द वोह रक़म **सय्यिद साहि़ब** की नज़्र कर दें, अब सय्यिद साहिब क़ब्ज़ा कर लेने के बा'द उस रक़म को **तावान** के मद् में अदा करें या'नी जिन साहि़बान की ज़कात में ख़त़ा की गई थी उन को या उन के वकील को वोह रक़म लौटा दें। और **तौबा** भी करें।

ज़कात फ़ित्रा ग़ैरे मस्रफ़ में ख़र्च कर डाला अब क्या करे ?

सुवाल : कई अफ़राद की ज़कात, फ़ित्रे की रक़म बिग़ैर ह़ीला किये ग़ैरे मस्रफ़ में म-सलन ता'मीरे मस्जिद व मद्रसा और इमाम व मुअज़्ज़िन और मुदर्रिसीन वग़ैरा की तनख़्वाहों में इस्ते'माल कर डालीं ! मस्अला मा'लूम होने पर अब नादिम है। ज़कात व फ़ित्रा देने वालों या उन के वकीलों वग़ैरा की कोई पहचान नहीं। रक़म की गिनती भी नहीं मा'लूम, येह उल्झन कैसे ह़ल हो ?

जवाब : अगर अस्ल मालिकान या उन के वकीलों का किसी भी सूरत में मा'लूम न हो सके या इन का इन्तिक़ाल हो गया हो और वु-रसा तक रसाई मुम्किन न हो तो ऐसी सूरत में अगर रक़म याद है तो शख़्से मज़्कूर (या'नी जिस ने येह ग़-लती की है वोह) इतनी रक़म फ़ुक़रा पर तसद्दुक़ (ख़ैरात) कर दे और **अल्लाह** तआ़ला की बारगाह में तौबा व इस्तिग़्फ़ार की कसरत करता रहे यूं उम्मीद है कि **अल्लाह** तबा-र-क व तआ़ला उस के ह़क़्के़ अ़ब्द से सुबुकदोशी की कोई सबील फ़रमा दे । और अगर येह भी याद नहीं कि कितनी रक़म थी जो कि ग़ैरे मस्रफ़ में इस्ते'माल कर डाली और इस पर दुरुस्त इत्तिलाअ़ की भी कोई सबील नहीं तो ऐसी सूरत में तह़र्री करे या'नी ग़ौर करे कि अन्दाज़न कितनी रक़म उस ने ख़र्च की होगी फिर जितनी रक़म पर गुमान ग़ालिब हो एह़तियातन उस से कुछ ज़ियादा रक़म फ़ुक़रा को स-दक़ा कर दे ।

हर फ़र्द मसाइल नहीं जानता, इस का ह़ल ?

सुवाल : दा'वते इस्लामी बहुत ही बड़ी तह़रीक है, हर फ़र्द उ़मूमन मसाइल से वाक़िफ़ नहीं होता, इन मुआ़मलात का ह़ल क्या ?

जवाब : मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह **इमाम अह़मद रज़ा ख़ान** عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : इल्मे दीन सीखना इस क़-दर कि मज़हबे ह़क़ से आगाह, वुज़ू ग़ुस्ल नमाज़ रोज़े वग़ैरहा ज़रूरियात के अह़काम से मुत्तलअ़

हो। ताजिर तिजारत, मुज़ारेअ़ (किसान) ज़राअ़, अजीर (मज़्दूर, मुलाज़िम) इजारे, ग़-रज़ हर शख़्स जिस ह़ालत में है उस के मुतअ़ल्लिक़ अह़कामे शरीअ़त से वाक़िफ़ हो फ़र्ज़े ऐन है (फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, जि.23, स.647,648) नीज़ जिस पर ज़कात फ़र्ज़ हुई उस पर येह भी फ़र्ज़ है कि ज़कात के ज़रूरी मसाइल सीखे इसी त़रह़ **चन्दा लेने वाले पर भी येह फ़र्ज़ है कि इस के ज़रूरी मसाइल सीखे**। देखिये ! नफ़्स की चाल में आ कर हिम्मत हार कर कहीं दीने इस्लाम की अ़ज़ीम ख़िदमतों के लिये किये जाने वाले **चन्दों** से ही कनारा कशी न कर बैठें, बिल्फ़र्ज़ **चन्दा** करना तर्क कर भी दिया तब भी न जानने वाले के लिये मज़ीद कई त़रह़ के उ़लूम सीखने फ़र्ज़ हैं जिन की हल्की सी झलक आप ने फ़तावा र-ज़विय्या शरीफ़ के जुज़्इय्ये में मुला-ह़ज़ा फ़रमाई। लिहाज़ा हिम्मत कीजिये और सीखने पर कमरबस्ता हो जाइये। **मेरी हर ज़िम्मेदार इस्लामी भाई की ख़िदमत में आ़जिज़ाना म-दनी इल्तिजा है कि जिस को चन्दा या क़ुरबानी की खालें वुसूल करने की इजाज़त दें उस की शर-ई मसाइल में तरबिय्यत भी फ़रमाएं।**

चन्दा करने वालों की तरबिय्यत का त़रीक़ा

सुवाल : चन्दा और खालें वुसूल करने वालों की तरबिय्यत की क्या सूरत होनी चाहिये ?

जवाब : फ़तावा र-ज़विय्या और **बहारे शरीअ़त** वग़ैरा मुबारक किताबें

इन मसाइल से मालामाल हैं इन का मुत़ालआ़ किया जाए। नीज़ येही किताब : **''चन्दे के बारे में सुवाल जवाब''** पढ़ने की इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों को सख़्त ताकीद कीजिये, वक़्त मख़्सूस कर के इस किताब के दर्स का सिल्सिला फ़रमाइये, जो मस्अला समझ में न आए उसे अपनी अटकल से ह़ल करने की भूल करने के बजाए उ़-लमाए अहले सुन्नत से रुजूअ़ कीजिये। समझने का बेहतर त़रीक़ा येह है कि इस किताब से मत़्लूबा ''सुवाल जवाब'' आ़लिम साहिब को दिखा कर रहनुमाई की दरख़्वास्त कीजिये। ज़िम्नन मश्वरा है कि उ़-लमाए किराम की ख़िदमत में ब सद नियाज़ येह किताब नज़्र कर के उन की दुआ़एं लीजिये। अगर **दा'वते इस्लामी** की हर ज़ैली सत़ह़ का ज़िम्मेदार इस्लामी भाई (और इस्लामी बहन) अपनी और अपने अपने मा तह़तों की तरबिय्यत का बीड़ा उठा ले तो اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ लाखों इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों की तरबिय्यत हो जाएगी। इस सिल्सिले में ऊपर सत़ह़ के ज़िम्मेदारों को मिल कर ''म-दनी तह़रीक'' चलानी होगी।

चन्दा ज़ाती एकाउन्ट में जम्अ़ करवाना कैसा ?

सुवाल : किसी ने मद्रसे के चन्दे की रक़म अपनी ज़ाती रक़म में इस त़रह़ मिला दी कि एक ही त़रह़ के सब नोट आपस में मिल गए और मक़्सद येह था कि जब ज़रूरत पड़ेगी निकाल कर मद्रसे पर ख़र्च करूंगा। उस के लिये क्या हुक्म है ?

जवाब : अगर्चे उस की निय्यत रक़म खा जाने की नहीं थी ताहम वोह

गुनहगार है क्यूं कि चन्दे की रक़म अपने ज़ाती माल में इस त़रह़ मिला देना कि नोटों वग़ैरा की शनाख़्त न रहे जाइज़ नहीं। नीज़ इस में मज़ीद क़बाह़तें भी हैं म-सलन अगर किसी को मा'लूम हो गया तो **तोहमत** लगेगी, फ़ौत हो गया तो वोह रक़म डूब जाने का इम्कान मौजूद है। **चन्दे** की रक़म अपने घर वग़ैरा में रखनी पड़े तब भी उस में चिठ्ठी लिख कर डाल देनी चाहिये कि येह फुलां फुलां मद्द में फुलां फुलां से इतना इतना लिया हुवा **चन्दा** है। बहर ह़ाल कोई भी ऐसी तदबीर इख़्तियार करनी चाहिये जिस से दुन्या में बा'द वालों को आसानी और आख़िरत में अपनी गुलू ख़लासी हो। चन्दे की रक़म अपने माल में ख़ल्त़ मल्त़ कर देने की मुमानअ़त के मुतअ़ल्लिक़ मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह **इमाम अह़मद रज़ा ख़ान** عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن का फ़त्वा मुला-ह़ज़ा हो। चुनान्चे एक सुवाल के जवाब में फ़रमाते हैं : "जब कि वोह अशरफ़ियां **वकील** (या'नी **चन्दा** लेने वाले) ने अपने माल में ख़ल्त़ कर लीं (या'नी इस त़रह़ मिला डालीं) कि अब तमीज़ नहीं हो सकती (तो **चन्दा** देने वाले का) वोह माल हलाक हो गया और **वकील** (या'नी लेने वाले पर) इस की **ज़मान** (तावान) लाज़िम हुई।" क्यूं कि किसी के माल को अपने माल में मिला देना उसे हलाक करना है और हलाक करने वाला ग़ासिब (या'नी ग़सब करने वाले) की त़रह़ है और ग़सब पर **ज़मान** (तावान) है।" इलख़

(मुलख़्ख़सन फ़तावा र-ज़विय्या, जि.23, स.554)

माले ग़सब की ता'रीफ़

सुवाल : माले ग़सब की क्या ता'रीफ़ है ?

जवाब : सदरुश्शरीआ़, बदरुत्तरीक़ा ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى फ़रमाते हैं : माले मुतक़व्विम (या'नी जिसे शरीअ़त ने माल क़रार दिया हो) मोह़तरम (या'नी शरीअ़त ने जिसे क़ाबिले हुर्मत क़रार दिया है) मन्कूल (या'नी क़ाबिले मुन्तक़िली मालो सामान) से जाइज़ क़ब्ज़े को हटा कर ना जाइज़ क़ब्ज़ा करना **ग़सब** है जब कि येह क़ब्ज़ा ख़ुफ़ियतन (या'नी पोशीदा तौ़र पर) न हो।

(बहारे शरीअ़त, ह़िस्सा:15, स.23)

सूद से मस्जिद के इस्तिन्जा ख़ाने बनाना कैसा ?

सुवाल : सूदी रक़म से ग़रीबों की मदद करना या मस्जिद के इस्तिन्जा ख़ाने ता'मीर करवाना कैसा ? क्या सूदी रक़म चन्दे में दी जा सकती है ?

जवाब : किसी ने **सूद** अगर्चे नेक कामों में ख़र्च करने के लिये लिया ता हम उसे **सूद** लेने का गुनाह होगा। किसी भी नेक काम में **सूद** और **माले ह़राम** नहीं लगाया जा सकता। बल्कि सूदी माल के मुतअ़ल्लिक़ हुक्म येह है कि जिस से लिया उसे वापस करें या उस माल को सदक़ा करें जब कि रिश्वत, चोरी या गुनाहों की उजरत के बारे में हुक्म येह है कि उन्हें भी नेक कामों में ख़र्च नहीं कर सकते बल्कि उन में तो येह ज़रूरी है कि जिस की रक़म

है उसे ही वापस लौटाए और वोह न रहे हों तो उस के वुरसा को दे और वोह भी न मिलें तो फिर सदक़ा कर ने का हुक्म है चुनान्चे मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह **इमाम अह़मद रज़ा** ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : जो माल रिश्वत या तग़न्नी (या'नी गाने) या चोरी से ह़ासिल हुवा उस पर फ़र्ज़ है कि जिस जिस से लिया उन पर वापस कर दे, वोह न रहे हों उन के वुरसा को दे, पता न चले तो फ़क़ीरों पर तसद्दुक़ करे। ख़रीदो फ़रोख़्त किसी काम में उस माल का लगाना **ह़रामे क़त़ई** है बिग़ैर सूरते मज़्कूरा के कोई त़रीक़ा इस के वबाल से सुबकदोशी का नहीं येही हुक्म सूद वग़ैरा उ़क़ूदे फ़ासिदा का है फ़र्क़ सिर्फ़ इतना है कि यहां जिस से लिया बिल्ख़ुसूस उन्हें वापस करना फ़र्ज़ नहीं बल्कि उसे इख़्तियार है कि (जिस से लिया है) उसे वापस दे ख़्वाह इब्तिदाअन तसद्दुक़ (या़नी ख़ैरात) कर दे। (फ़तावा र-ज़विय्या, जि.23, स.551)

और येह भी याद रखे कि सूद व रिश्वत वग़ैरा ह़राम माल को नेक कामों में ख़र्च कर के सवाब की उम्मीद रखने के बारे में मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह **इमाम अह़मद रज़ा ख़ान** عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : उसे या'नी माले ह़राम को ख़ैरात कर के जैसा पाक माल पर **सवाब** मिलता है उस की उम्मीद रखे तो **सख़्त ह़राम** है, बल्कि फ़ु-क़हा (رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى) ने **कुफ़्र** लिखा है। हां वोह

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم : जिस के पास मेरा ज़िक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़ा तहक़ीक़ वोह बद बख़्त हो गया। (ابن سنی)

जो शर-अ़ ने हुक्म दिया कि ह़क़दार (या'नी जिस का माल है वोह, या वोह न रहा हो तो उस का वारिस और वोह भी) न मिले तो फ़क़ीर पर तसद्दुक़ (ख़ैरात) कर दे इस हुक्म को माना तो इस पर (या'नी हुक्मे शरीअ़त पर अ़मल करने पर) सवाब की उम्मीद कर सकता है। (फ़तावा र-ज़विय्या, जि.23, स.580)

सूद के पैसों से ह़ज

सुवाल : सूद वग़ैरा ह़राम माल से ह़ज क़बूल होता है या नहीं ?

जवाब : क़बूलिय्यत की उम्मीद नहीं। सद्रुश्शरीआ़, बद्रुत्तरीक़ा ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی (मक-त-बतुल मदीना की मत़्बूआ़) बहारे शरीअ़त हिस्सा 6 सफ़ह़ा 22 पर फ़रमाते हैं : तोशा माले ह़लाल से ले वरना क़बूले ह़ज की उम्मीद नहीं अगर्चे फ़र्ज़ उतर जाएगा।

लूट के माल से ह़ज करने वाले की लरज़ा ख़ैज़ ह़िकायत

बा'ज़ मशाइख़ फ़रमाते हैं : हम एक मरतबा ह़ज को जा रहे थे कि रास्ते में हमारे क़ाफ़िले का एक ह़ाजी चल बसा। हम ने किसी से फावड़ा मांग कर लिया। क़ब्र खोदी और उस को उस में दफ़्न कर दिया। बे ख़याली में फावड़ा क़ब्र ही में रह गया, **फावड़ा निकालने के लिये हम ने जब क़ब्र खोदी तो एक लरज़ा ख़ैज़ मन्ज़र निगाहों के सामने था, उस शख़्स के हाथ पैर फावड़े के ह़ल्क़े में जकड़े हुए थे !** हम ने क़ब्र

फ़ौरन बन्द कर दी और फावड़े वाले को कुछ पैसे दे कर जान छुड़ा ली। फिर वत़न वापसी पर मर्ह़ूम ह़ाजी की बेवा से उस के आ'माल के बारे में मा'लूमात की तो उस ने बताया कि एक मरतबा इस के हमराह एक मालदार शख़्स ने सफ़र किया। रास्ते में इस ने उस को मार डाला और उस के माल पर क़ब्ज़ा कर लिया अब येह ह़ज और जिहाद सब कुछ उसी के माल से करता रहा है। (शरहुस्सुदूर, स.174)

ह़राम माल से ह़ज करने वाले की शामत

मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह **इमाम अह़मद रज़ा ख़ान** عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : **सूद** के रूपिये से जो कारे नेक किया जाए इस में इस्तिह़क़ाक़े सवाब नहीं। **ह़दीस शरीफ़** में है : "जो माले ह़राम ले कर **ह़ज** को जाता है जब **लब्बैक** कहता है, हातिफ़, ग़ैब से जवाब देता है : न तेरी **लब्बैक़** क़बूल, न ख़िदमत पज़ीर, और तेरा ह़ज तेरे मुंह पर मर्दूद है।[1] यहां तक कि तू येह माले ह़राम (जो) कि तेरे क़ब्ज़े में है उस के मुस्तह़िक़्क़ों को वापस दे। **ह़दीस** में है : **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم फ़रमाते हैं : "बेशक अल्लाह عَزَّوَجَلَّ पाक है, पाक ही चीज़ को क़बूल फ़रमाता है।"[2]

(1) इत्तिह़ाफ़ुस्सादतुल मुत्तक़ीन, ब शरह़ एह़याउल उ़लूमिद्दीन, जि.4, स.727
(2) सह़ीह़ मुस्लिम, स.506, ह़दीस:1015

सूद न लें तो बेन्क वाले ग़लत़ इस्ते'माल कर सकते हैं !

सुवाल : आज कल ''सेविंग एकाउन्ट (SAVING ACOUNT) पर'' बेंक से **सूद** मिलता है, अगर हम न लें तो बेंक वाले इस का ग़लत़ इस्ते'माल करते हैं बद मज़हबों पर सर्फ़ करने का भी इम्कान रहता है, क्या ऐसी सूरत में भी हम **सूद** ले कर बिग़ैर निय्यते सवाब किसी कारे ख़ैर में ख़र्च नहीं कर सकते ?

जवाब : ऐसी सूरत में भी अगर बेंक से **सूद** लेंगे तो गुनहगार होंगे । सेविंग एकाउन्ट (SAVING ACOUNT) खुलवाना ही जाइज़ नहीं क्यूं कि इस पर सूद बनता है । उ़-लमाए किराम सेविंग एकाउन्ट खुलवाने से मन्अ़ फ़रमाते हैं हां करन्ट एकाउन्ट (CURRENT ACOUNT) खुलवाने की इजाज़त देते हैं क्यूं कि इस में **सूद** नहीं बनता । याद रखिये ! शरीअ़त में सूद **ह़रामे क़त़ई** है, सूद लेने वाला, देने वाला, उस की गवाही देने वाला, इस का काग़ज़ लिखने वाला सभी गुनहगार और अ़ज़ाबे नार के ह़क़दार हैं **सूद की मज़म्मत** पर तीन इ़ब्रत नाक रिवायात पढ़िये और ख़ौफ़े ख़ुदा वन्दी عَزَّوَجَلَّ से लरज़िये :

﴾1﴿ खून की नहर

सरकारे वाला तबार, बेकसों के मददगार صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने इ़ब्रत निशान है : ''मैं ने शबे मे'राज देखा कि दो शख़्स मुझे अरज़े मुक़द्दस (या'नी बैतुल मुक़द्दस) ले गए, फिर हम आगे चल दिये यहां तक कि हम एक **खून की नहर** पर

पहुंचे जिस के अन्दर एक शख़्स खड़ा हुवा था, और नहर के कनारे पर दूसरा शख़्स खड़ा था जिस के सामने पत्थर रखे हुए थे, नहर में मौजूद शख़्स जब भी बाहर निकलने का इरादा करता तो कनारे पर खड़ा शख़्स एक पत्थर उस के मुंह पर मार कर उसे उस की जगह लौटा देता, इसी त़रह़ होता रहा कि जब भी वोह (नहर वाला) शख़्स कनारे पर आने का इरादा करता तो दूसरा शख़्स उस के मुंह पर पत्थर मार कर उसे वापस लौटा देता, मैं ने पूछा : ''येह नहर में कौन है।'' जवाब मिला : **''येह सूद खाने वाला है।''**

(सह़ीहुल बुख़ारी, जि.2, स.14, ह़दीस:2085)

﴾2﴿ गोया मां के साथ ज़िना

ख़ा–तमुल मुर्सलीन, रह़मतुल्लिल आ़लमीन صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने इ़ब्रत निशान है : ''**सूद,** 72 गुनाहों का मज्मूआ़ है, उन में सब से हल्का इस त़रह़ है जैसे आदमी अपनी **मां से ज़िना** करे और सब से बढ़ कर ज़ियादती किसी मुसल्मान की बे इ़ज़्ज़ती करना है।''

(अल मु'जमुल अवसत़ लित़्त़बरानी, जि.5, स.227, ह़दीस:7151)

﴾3﴿ पेट में सांप

हुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم का इर्शादे इ़ब्रत बुन्याद है : मे'राज की रात मेरा गुज़र कुछ ऐसे लोगों पर हुवा जिन के पेट घरों की त़रह़ थे जिन में **सांप** थे जो पेटों के बाहर से भी नज़र आ रहे थे, मैं ने जिब्रईल (عَلَيْهِ السَّلَام) से दरयाफ़्त फ़रमाया :

''येह कौन हैं ?'' तो उन्हों ने बताया : **''येह सूद खाने वाले हैं।''**

(सुनने इब्ने माजा, जि.3, स.72, ह़दीस:2273)

मुफ़स्सिरे शहीर ह़कीमुल उम्मत ह़ज़रते मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْحَنَّان इस ह़दीसे पाक के तह़त फ़रमाते हैं : आज अगर एक मा'मूली कीड़ा पेट में पैदा हो जाए तो तन्दुरुस्ती बिगड़ जाती है, आदमी बे क़रार हो जाता है तो समझ लो कि जब उस का पेट सांपों बिच्छूओं से भर जाए तो उस की तकलीफ़ व बे क़रारी का क्या ह़ाल होगा ! रब عَزَّوَجَلَّ की पनाह।

(मिर्आतुल मनाजीह़, जि.4, स.259)

मद्रसे में आने वाले मेहमानों की ख़ातिर तवाज़ोअ़

सुवाल : दा'वते इस्लामी के जामिअ़तुल मदीना में मेहमान आते हैं, उन की **ख़ैर ख़्वाही** या'नी खाना और चाय पानी वग़ैरा जामिअ़तुल मदीना के चन्दे से कर सकते हैं या नहीं ?

जवाब : कोई सा भी दीनी मद्रसा हो सब के लिये येह मस्अला है कि जितना उ़र्फ़ जारी हो उतनी मेहमान नवाज़ी कर सकते हैं मगर वाक़ेई **मेहमान** होने चाहियें जैसा कि उ़-लमा व मशाइख़े किराम और शख़्सिय्यात **दा'वते इस्लामी** के मुख़्तलिफ़ जामिअ़तुल मदीना के दौरे पर तश्रीफ़ लाते हैं। इन ह़ज़रात की इन के साथ ख़ुसूसी तौ़र पर तश्रीफ़ लाए हुए रु-फ़क़ा समेत ख़ैरख़्वाही (ख़ातिर तवाज़ोअ़) कर सकते हैं। ज़रूरतन मेज़बानी

करने वाले भी मेहमानों के साथ शरीक हो सकते हैं। ख़िलाफ़े उ़र्फ़ व आ़दत अपने **दोस्तों** और रिश्तेदारों को ठहराना, और खिलाना पिलाना रवा (या'नी जाइज़) नहीं।

ग़ैरे मुस्तह़िक़ ने मद्रसे का खाना खा लिया तो ?

सुवाल : अगर मद्रसे के त़-लबा का खाना किसी ग़ैर ह़क़दार ने खा लिया तो **गुनाह** व **तावान** किस पर ?

जवाब : अगर मद्रसे की इन्तिज़ामिया के मुक़र्रर कर्दा ज़िम्मादार या खाना तक़्सीम करने वाले ने जानबूझ कर ग़ैरे ह़क़दार को ख़ुद खाना दिया तो गुनहगार हुवा **तौबा** भी करे और **तावान** भी दे। अगर खाने वाले को भी पता है कि मैं ह़क़दार नहीं हूं तो येह भी गुनहगार है मगर इस सूरत में इस पर **तावान** नहीं, **तौबा** करे। अगर मद्रसे का खाना त़-लबा में बांटा जा रहा था और इस में कोई ग़ैरे ह़क़दार भी शरीक हो गया तो इस सूरत में **तावान** खाने वाले पर होगा बांटने वाले पर नहीं।

मस्अला मा'लूम न हो और खा लिया तो ?

सुवाल : अगर मस्अला मा'लूम न हो तो क्या फिर भी जानबूझ कर मद्रसे के त़-लबा का खाना खा लेना ब सूरते जहालत मा'सिय्यत है ?

जवाब : बा'ज़ सूरतों में मा'सिय्यत है म-सलन मद्रसे का खाना होना मा'लूम हो और येह खाने वाला मद्रसे का मख़्सूस मद्ऊ़ नहीं (म-सलन मद्रसे के दौरे (VISIT) पर आने वाली शख़्सिय्यात के

साथ आए हुओं में से नहीं) है तो ब सूरते जहालत भी गुनहगार होगा कि इस त़रह़ के मसाइल जानना ज़रूरी हैं ।

ग़ैरे ह़क़दार को खाना न देना वाजिब है

सुवाल : अगर खाना तक़्सीम करते वक़्त ग़ैरे मुस्तह़िक़ को देख लिया तो इस को मन्अ़ करना वाजिब होगा या नहीं ? अगर मन्अ़ नहीं किया और ला इ़ल्मी या जहालत की वजह से कोई शख़्स त़-लबा का खाना खाने में मुब्तला हुवा, क्या बांटने वाला भी **गुनहगार** और तावान का सज़ावार होगा ?

जवाब : अगर ग़ैरे मुस्तह़िक़ को देख लिया और इस का ग़ैरे मुस्तह़िक़ होना भी जानता है तो **उसे खाना न देना वाजिब है, देगा तो गुनहगार और तावान का सज़ावार होगा ।** हां सब मिल कर थाल में खा रहे हैं और इस (बांटने वाले) ने अपनी त़रफ़ से मुस्तह़िक़ीन को दिया और ग़ैरे मुस्तह़िक़ को देने की निय्यत नहीं और मन्अ़ पर क़ुदरत भी नहीं तो देने वाला गुनहगार नहीं होगा । अगर मन्अ़ करने पर क़ादिर हो और मुरुव्वत में मन्अ़ न करे तो गुनहगार होगा । मन्अ़ करने के लिये मौइ़ज़ए ह़-सना से काम ले या'नी कोई उ़म्दा अन्दाज़ इख़्तियार करे म-सलन उस के कान में नरमी से केह दे या मस्अला लिख कर पेश कर दे ताकि किसी क़िस्म की बद मज़गी पैदा न हो । अगर बार बार ग़ैर ह़क़दार शरीक हो जाते हों तो यूं लिख कर अपने पास रख ले और दिखा दिया करे : **''इन्तिहाई लजाजत के साथ म-दनी इल्तिजा है आप मुझ से हरगिज़ नाराज़ न हों ह़ुक्मे शरीअ़त**

अ़र्ज़ करता हूं : येह मद्रसे का खाना है, आप के लिये इस का खाना जाइज़ नहीं ।''

मद्रसे में बाहर से बहुत सारा खाना आ जाए तो क्या करें ?

सुवाल : बा'ज़ अवक़ात लोग शादी की दा'वत या मय्यित के ईसाले सवाब या बुज़ुर्गों की नियाज़ का खाना कसीर मिक़्दार में वोह भी बे वक़्त मद्रसे में भिजवा देते हैं । येह खाना या तो त़लबा को काम नहीं आता, या कुछ काम आता है कुछ बच जाता है । अगर ज़ाएअ़ होने का ख़ौफ़ हो तो दूसरों को खिला सकते हैं या नहीं ?

जवाब : आ़म मुसल्मानों को पेश कर दिया जाए । बे वक़्त दिया जाने वाला खाना उ़मूमन वोह होता है जो तक़ारिब में बच जाता है, ज़ाएअ़ होने के ख़ौफ़ से लोग मद्रसे वग़ैरा में भिजवा देते हैं, ग़ालिबन यहां मक़्सूद त़-लबा की ख़िदमत नहीं होती, ज़ेहन येह होता है कि किसी के भी काम आ जाए । इस त़रह़ का खाना बारहा मदारिस में भी ज़ाएअ़ हो जाता होगा । मद्रसे वालों को चाहिये कि ज़रूरत न होने की सूरत में क़बूल न फ़रमाएं अगर क़बूल कर ही लिया तो अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं और उसे ज़ाएअ़ होने से बचाएं और सवाब कमाएं, मुम्किन हो तो फ़्रिज में रख दें और दूसरे दिन काम में लाएं । एह़तियात़ इसी में है कि खाना वुसूल करते वक़्त खाने के मालिक से त़-लबा को खिलाने की क़ैद हटवा कर हर एक

को खिलाने, बांटने वग़ैरा का इख़्तियार ले लिया जाए।

मद्रसे का खाना बच जाए तो.....?

सुवाल : वोह खाना जो मद्रसे में पकाया गया हो और बच जाए दूसरे वक़्त तलबा भी न खाएं, ख़राब हो जाने का अन्देशा होने की सूरत में क्या ऐसा खाना महल्ले में तक़्सीम कर सकते हैं ?

जवाब : जी हां महल्ले या आम मुसल्मानों में तक़्सीम कर सकते हैं।

क़ाफ़िले वालों का मद्रसे के मत्बख़ से खाना पकाना

सुवाल : अगर जामिअ़तुल मदीना से मुल्हिक़ा मस्जिद में **म-दनी क़ाफ़िला** क़ियाम करे और शुरकाए क़ाफ़िला जामिअ़तुल मदीना के मत्बख़ (या'नी बावर्ची ख़ाने) में अपना खाना पका लें तो जाइज़ है या नहीं ?

जवाब : जाइज़ नहीं। क्यूं कि गेस का बिल, माचिस, बरतन वग़ैरा सब पर चन्दे की रक़म सर्फ़ की जाती है। बा'ज़ अवक़ात ऐसा भी होता होगा कि लोग जामिअ़तुल मदीना के लिये बरतन वग़ैरा **वक़्फ़** कर देते होंगे। ऐसी सूरत में भी बाहर वालों को इस्ते'माल की शरअ़न इजाज़त नहीं हो सकती। **म-दनी क़ाफ़िले** वालों के लिये ज़रूरी है कि अपने चूल्हे बरतन वग़ैरा की तरकीब रखें, **नमक** भी कम पड़ने की सूरत में मद्रसे से न लें। येह भी ज़ेहन में रहे कि यूं केह कर भी नहीं ले सकते कि चलो अभी ले लेते हैं,

पैसे दे देंगे या जितना लिया है उस से ज़ियादा दे देंगे। ज़िम्नन अ़र्ज़ है कि येह एह़तियात़ हर जगह लाज़िमी है कि **फ़िनाए मस्जिद** बल्कि ख़ारिजे मस्जिद में भी ऐसी जगह पकाएं जहां से मस्जिद के अन्दर धूआं या बदबू वग़ैरा दाख़िल न हो। खाना खाने या धोने पकाने वग़ैरा में वहां की दरी या फ़र्श वग़ैरा बिल्कुल आलूदा न हो इस का ख़याल रखना ज़रूरी है।

क़ाफ़िले वालों का फ़िनाए मस्जिद में खाना पकाना

सुवाल : क्या म-दनी क़ाफ़िले वालों का **फ़िनाए मस्जिद** में खाना पकाना जाइज़ है ?

जवाब : मस्जिद को बदबूदार चीज़ों से बचाना **वाजिब** है अगर फ़िनाए मस्जिद में खाना पकाने के बा वुजूद मस्जिद को (म-सलन माचिस की तीली जलने पर उड़ने वाली बदबू, कच्चे गोश्त, कच्चे लह्सन व प्याज़ वग़ैरा की) **बदबू** से बचाया जा सकता हो तो जाइज़ है।[1] अलबत्ता ऊपर दिये गए जवाब में मज़्कूर एह़तियातें ज़रूर मल्हूज़ रहें।

क्या म-दनी क़ाफ़िले वाले जामिअ़तुल मदीना का खाना खा सकते हैं ?

सुवाल : म-दनी क़ाफ़िले के मुसाफ़िर **दा'वते इस्लामी** के जामिअ़तुल मदीना

1. मक-त-बतुल मदीना का मत़्बूआ़ रिसाला ''मस्जिदें ख़ुश्बूदार रखिये'' (32 सफ़ह़ात) का मुत़ालआ़ बेह़द ज़रूरी है। फ़ैज़ाने सुन्नत जिल्द अव्वल बाब फ़ैज़ाने र-मज़ान में भी स.1207 ता स. 1227 इस रिसाले का मज़्मून मौजूद है।

मदीना या किसी भी मद्रसे के त़-लबा का खाना खा सकते हैं या नहीं ?

जवाब : नहीं खा सकते ।

मद्रसे के कम्बल दूसरा कोई इस्ते'माल कर सकता है या नहीं ?

सुवाल : मस्जिद में **म-दनी क़ाफ़िला** आ कर ठहरे तो सर्दियों की सूरत में जामि़तुल मदीना के त़-लबा के लिये मिले हुए कम्बल वग़ैरा म-दनी क़ाफ़िले के मुसाफ़िर इस्ते'माल कर सकते हैं या नहीं ?

जवाब : त़-लबा को दिये गए कम्बल त़-लबा के इ़लावा असातिज़ा, अ़मला, और मेहमान इस्ते'माल कर सकते हैं । उन के सिवा म-दनी क़ाफ़िले वाले या आ़म मुसल्मान इस्ते'माल नहीं कर सकते । हां देने वाले ने देने से क़ब्ल सराह़त कर दी हो या'नी वाज़ेह़ अल्फ़ाज़ में केह दिया हो कि म-दनी क़ाफ़िले वाले बल्कि हर मुसल्मान को इस्ते'माल करने का इख़्तियार है तो कर सकते हैं ।

मस्जिद के कूलर का ठंडा पानी घर ले जाना

सुवाल : अपनी दुकान पर या घर में पीने के लिये मस्जिद या मद्रसे के कूलर से ठंडा पानी भर कर ले जाना कैसा ? अगर मुअज़्ज़िन साहि़ब से इजाज़त ले ली हो तो ?

जवाब : ना जाइज़ है । मुअज़्ज़िन, ख़ादिम या इमाम बल्कि मुतवल्ली भी चन्दे की इन चीज़ों को ख़िलाफ़े शरीअ़त इस्ते'माल करने की इजाज़त नहीं दे सकते ।

मस्जिद का सादा पानी भर कर ले जाना

सुवाल : तो क्या सादा पानी भी मस्जिद या मद्रसे से भर कर नहीं ले जाया जा सकता ?

जवाब : जहां जहां मस्जिद या मद्रसे में से भर कर ले जाने का उ़र्फ़ है वहां जाइज़ और जहां उ़र्फ़ नहीं वहां ना जाइज़ । कहीं पानी वाफ़िर (कसीर) मिक़्दार में होता है और लोग बाल्टियां भर भर कर ले जाते हैं तो कहीं पानी की काफ़ी तंगी होती है और ह़ालत येह होती है कि कभी मोटर भी काम करती है तो कभी नहीं करती और पैसे दे कर टेन्कर से पानी मंगवाना पड़ता है ऐसी तंगी की सूरत में सिर्फ़ एक आध बोतल भरने की ह़द तक इजाज़त हो सकती है, इस में भी वहां का उ़र्फ़ देखा जाएगा अगर उ़र्फ़ न हो तो बोतल भर कर भी नहीं ले जा सकते । अगर इन्तिज़ामिया ने सराह़तन लिख कर लगा दिया है कि "पानी भर कर ले जाना मन्अ़ है" तो इस सूरत में भी पानी भर कर न ले जाएं । बहर ह़ाल पानी की क़िल्लत व कसरत के मुत़ाबिक़ हर अ़लाक़े की मस्जिद और मद्रसे का अपना अपना उ़र्फ़ होता है, इसी के ए'तिबार से जवाज़ व अ़दमे जवाज़ (या'नी जाइज़ व ना जाइज़ होने) का हुक्म होगा ।

मद्रसा अगर बड़ी इमारत में हो तो पानी का हुक्म

सुवाल : अगर बड़ी इमारत में मद्रसा हो और सारी इमारत के लिये पानी की एक ही टंकी हो तो क्या अब भी मद्रसे के नल से निकलने वाला पानी मद्रसे ही का केहलाएगा ?

जवाब : जी नहीं, ऐसी सूरत में येह पानी मद्रसे के **वक़्फ़ का पानी** नहीं कहलाएगा । हां मद्रसे की अपनी जुदागाना टंकी में जम्अ़शुदा पानी मद्रसे के लिये **वक़्फ़** का पानी शुमार होगा ।

मस्जिद की अश्या मद्रसे में इस्ते'माल करना कैसा ?

सुवाल : अगर मस्जिद और मद्रसे की इमारत साथ साथ हो तो ऐसी सूरत में **मस्जिद** की दरियां, रह़ल, क़ुरआने पाक वग़ैरा मद्रसे में और **मद्रसे** की इसी त़रह़ की अश्या मस्जिद में इस्ते'माल की जा सकती हैं या नहीं ?

जवाब : नहीं कर सकते । जो चीज़ें मद्रसे के त़-लबा के लिये किसी ने वक़्फ़ कीं वोह त़-लबा ही काम में लाएं और जो मस्जिद में नमाज़ियों के लिये वक़्फ़ की गईं वोह मस्जिद के नमाज़ी ही इस्ति'माल करें । हां त़-लबा भी अगर मस्जिद ही में आ कर वहां के क़ुरआने पाक में से तिलावत करें तो कोई ह़-रज नहीं । ता हम इन पर अपना नाम व पता नीज़ सबक़ वग़ैरा के लिये क़लम से निशानात नहीं लगा सकते । अलबत्ता वोह मदारिस जिन की अलग से कोई ह़ैसिय्यत नहीं होती और वोह मस्जिद ही की इमारत में एक त़रफ़ मख़्सूस जगह पर क़ाइम होते हैं जिन्हें ''मस्जिद का मद्रसा'' भी कहा जाता है । इन में अगर मद्रसे की कोई शै मस्जिद में ले जा कर इस्ते'माल की जाए तो

ह़-रज नहीं क्यूं कि उ़र्फ़न ऐसी जगहों के लिये फ़र्क़ नहीं किया जाता और इस्ते'माल में भी उ़र्फ़ येही होता है ।

मस्जिद व मद्रसे की अश्या जुदा जुदा रखने के म-दनी फूल

सुवाल : जहां मस्जिद व मद्रसतुल मदीना साथ साथ हों वहां येह एह़तियातें निहायत ही दुश्वार होती हैं अगर इस ज़िम्न में कोई **म-दनी फूल** मिल जाएं तो मदीना मदीना ।

जवाब : जहां मस्जिद व मद्रसा साथ साथ हो मगर वोह मद्रसा "मस्जिद का मद्रसा" न हो वहां मस्जिद के कलामे पाक पर इस त़रह़ की मोहर लगा ली जाए **: वक़्फ़ बराए मस्जिद, मद्रसे में ले जाना मन्अ़ है ।** इसी त़रह़ मद्रसे के कलामे पाक पर येह मोहर लगाइये **: वक़्फ़ बराए मद्रसतुल मदीना, मस्जिद में ले जाना मन्अ़ है ।** अगर वक़्फ़ करने वाले से सराह़तन इजाज़त ले ली है कि मस्जिद व मद्रसा दोनों जगह इस्ते'माल करने का हर त़रह़ से इख़्तियार है तो यूं मोहर लगाइये **: वक़्फ़ बराए मस्जिद व मद्रसतुल मदीना ।** इसी त़रह़ दरियों और दीगर चीज़ों के लिये अ़लामात मुक़र्रर कर दीजिये म-सलन मद्रसे की चीज़ों पर तारा ★ और मस्जिद की अश्या पर चांद ☽ बना दिजिये और त़-लबा वग़ैरा को इन अ़लामात के बारे में समझा दीजिये ।

मद्रसे की किताबों पर अपना नाम वग़ैरा लिखना कैसा ?

सुवाल : त़-लबा मद्रसे के मुस्ह़फ़ शरीफ़, क़ाइदे या दर्सी किताबों पर अपना नाम वग़ैरा लिख सकते हैं या नहीं ?

जवाब : इन्तिज़ामिया की त़रफ़ से किताबों वग़ैरा पर नम्बर लिख दिये जाएं और त़ालिबे इल्म उन को याद कर लें । त़-लबा अपनी त़रफ़ से अपना नाम वग़ैरा कुछ न लिखें ।

मद्रसे का डेस्क तोड़ डाला तो ?

सुवाल : किसी की वजह से मद्रसे का डेस्क टूट गया क्या करे ?

जवाब : अगर उस की अपनी ग़-लती से डेस्क टूटा या कोई सा नुक़्सान हुवा तो **तावान** देना होगा अगर अपनी ग़-लती से ऐसा नहीं हुवा तो इस पर मुवाख़ज़ा नहीं ।

मद्रसे के डेस्क वग़ैरा पर कुछ लिखना

सुवाल : मद्रसे के डेस्क, दरवाज़े और दीवार वग़ैरा पर कुछ लिखना कैसा ?

जवाब : मद्रसा और मस्जिद की चीज़ों पर कुजा, किसी दूसरे के मकान, दुकान, दीवार, दरवाज़ें या गाड़ी और बस वग़ैरा चीज़ों पर भी बिला इजाज़ते शर-ई कुछ लिखना स्टीकर या इश्तिहार चस्पां करना मम्नूअ़ है । مَعَاذَاللّٰہ عَزَّوَجَلَّ बा'ज़ बद अख़्लाक़ और गन्दी ज़ेहनिय्यत के लोग मस्जिदों, मद्रसों या अ़वामी इस्तिन्जा ख़ानों की दीवारों और दरवाज़ों पर फ़ोह़ूश बातें तह़रीर करते और गन्दी तस्वीरें बनाते हैं उन को अल्लाह عَزَّوَجَلَّ से डरते हुए तौबा कर

लेनी चाहिये नीज़ उस का इज़ाला भी करना होगा।

इज़ाले का त़रीक़ा

सुवाल : मद्रसे वग़ैरा की दीवार या डेस्क पर कुछ लिखा और अब मस्अला मा'लूम हो जाने पर नादिम है क्या करे ? इज़ाले की क्या सूरत होगी ?

जवाब : इस लिखाई को इस त़रह़ साफ़ करे कि उस चीज़ को किसी त़रह़ का नुक़्सान न पहुंचे। म-सलन मुम्किन हो तो पानी वाले कपड़े से आहिस्ता आहिस्ता मिटाए, अगर रंग ख़राब हो जाए या धब्बा पड़ जाए तो जो रंग पहले से लगा हुवा है उसी त़रह़ का रंग इस त़रह़ लगाए कि जो नक़्स या बद नुमाई पैदा हो गई थी वोह दूर हो जाए। तौबा भी करे। इज़ाला करने से क़ब्ल ज़रूरतन मद्रसे की इन्तिज़ामिया या उस घर या दुकान के मालिक को ए'तिमाद में ले ले ताकि किसी क़िस्म का फ़साद वग़ैरा न हो। वक़्फ़ के मक़ामात म-सलन मस्जिद या मद्रसे की इन्तिज़ामिया का मुआ़फ़ कर देना काफ़ी न होगा इज़ाला ज़रूरी है। हां अगर किसी की ज़ाती दीवार वग़ैरा पर लिखा था, चॉकिंग वग़ैरा की थी तो उस का (चौकीदार या मुलाज़िम या किराए दार वग़ैरा नहीं बल्कि अस्ल) मालिक अगर मुआ़फ़ी दे दे तो इज़ाले की ह़ाजत नहीं।

चन्दे के कुल्ली इख़्तियारात के मस्अले

सुवाल : अगर दा'वते इस्लामी के लिये **चन्दा** या खाल देने वाले ने देते वक़्त "कुल्ली इख़्तियारात" दे दिये क्या फिर भी फ़लाह़ी कामों

में ख़र्च नहीं कर सकते ?

जवाब : नहीं कर सकते। **चन्दा** या उस खाल से मिलने वाली रक़म को **दा'वते इस्लामी** के तै़ शुदा त़रीक़े कार के मुत़ाबिक़ ही ख़र्च करना होगा, अगर उ़र्फ़ से हट कर किसी और नेक काम में ख़र्च कर दिया तो **तावान** अदा करना होगा जिस किसी ने जितनी रक़म ख़र्च की वोह उसे पल्ले से लौटानी पड़ेगी और तौबा भी करनी होगी।

कुल्ली इख़्तियार के मोह़तात़ अल्फ़ाज़

सुवाल : ज़कात फ़ित्रा वग़ैरा अ़ति़य्यात लेते वक़्त किस त़रह़ के अल्फ़ाज़ कहे जाएं जिस से हर त़रह़ के नेक काम में इस्ते'माल की इजाज़त हो जाए।

जवाब : ज़कात, फ़ित्रा जो कि स-दक़ाते वाजिबा में से हैं उन में कुल्ली इख़्तियार लेने की ह़ाजत नहीं क्यूंकि उन में मुस्तह़िक़ को मालिक बनाना शर्त़ है। लोग अगर्चे ज़कात या फ़ित्रा ब ज़ाहिर **दा'वते इस्लामी** को देते हैं मगर दर ह़क़ीक़त वोह **दा'वते इस्लामी** वालों को अपनी ज़कात या फ़ित्रे को उस के सह़ीह़ मस्रफ़ में इस्ते'माल करने के लिये "वकील" बनाते हैं। लिहाज़ा **दा'वते इस्लामी** में पहले इस का शर-ई ह़ीला किया जाता है फिर इस को मुख़्तलिफ़ नेक और जाइज़ कामों में ख़र्च किया जाता है। स-दक़ाते वाजिबा के इ़लावा क़ुरबानी की खालें या जो आ़म **चन्दा** दिया जाता है उन को स-दक़ाते नाफ़िला (या'नी नफ़्ली स-दक़े) केहते हैं। इन का शर-ई ह़ीला करने की ह़ाजत नहीं

होती । चुनान्चे ऐसा **चन्दा** या क़ुरबानी की खाल लेते वक़्त मोहतात अल्फ़ाज़ येह हैं : **''आप इजाज़त दे दीजिये कि आप का चन्दा या क़ुरबानी की खाल दा'वते इस्लामी जहां मुनासिब समझे वहां नेक व जाइज़ काम में ख़र्च करे ।''** येह अल्फ़ाज़ सुन कर देने वाला ''हां'' कह दे या किसी त़रह़ भी आप की बात से मुत्तफ़िक़ हो जाए तो अब हर त़रह़ के नेक व जाइज़ काम में इस्ते'माल करने की शरअ़न इजाज़त मिल जाएगी और यूं काफ़ी सहूलत रहेगी । (याद रहे ! **चन्दा** या खाल के मालिक की इजाज़त ही दुरुस्त मानी जाएगी वहां मौजूद किसी और शख़्स या बच्चे का सर हिला देना काफ़ी नहीं बल्कि ''वकील'' या नुमाइन्दे की अपनी मरज़ी से दी हुई इजाज़त भी (कई सूरतों में) ना काफ़ी होगी उसे चाहिये कि अपने ''मुवक्किल'' (या'नी जिस ने इस को वकील या'नी नुमाइन्दा किया है उस) से सरा-ह़तन या'नी खुले अल्फ़ाज़ में इस की इजाज़त लाए या फ़ोन पर हाथों हाथ बात कर ले या करवा दे) बेहतर येह है कि मज़्कूरा मोहतात अल्फ़ाज़ वाला जुम्ला रसीद पर लिख दिया जाए मगर जो शख़्स **चन्दा** या खाल दे उस को हाथों हाथ पढ़ा या पढ़ कर सुना दिया जाए । सिर्फ़ रसीद दे कर दिल को न मना लिया जाए कि हम ने इजाज़त ले ली है, क्यूं कि यहां मुआ़-मला मज्हूल है वोह उर्दू पढ़ना न जानता हो, या मज़्कूरा इबारत न पढ़े या पढ़ कर समझ न पाए, या रसीद ही फ़ौरन गुम हो जाए या पढ़ कर इत्तिफ़ाक़ न करे कोई भी सूरत हो सकती है । नीज़ ''वकील''

(नुमाइन्दे) की इजाज़त को काफ़ी तसव्वुर न किया जाए बल्कि किसी त़रह़ अस्ल मालिक से फ़ोन पर राबित़ा कर के या उस से मिल कर मज़्कूरा अल्फ़ाज़ में कुल्ली इख़्तियारात की वाज़ेह़ तौ़र पर तरकीब बनाई जाए।

ह़ीले के शर-ई दलाइल

सुवाल : ह़ीले के शर-ई दलाइल बयान फ़रमा दीजिये।

जवाब : ह़ीलए शर-ई का जवाज़ क़ुरआन व ह़दीस और फ़िक़्हे ह़-नफ़ी की मो'तबर कुतुब में मौजूद है। चुनान्चे **ह़ज़रते सय्यिदुना अय्यूब** عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام की बीमारी के ज़माने में आप عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام की ज़ौजए मोह़तरमा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا एक बार ख़िदमते सरापा अ़-ज़मत में ताख़ीर से ह़ाज़िर हुईं तो आप عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام ने क़सम खाई कि "मैं तन्दुरुस्त हो कर **सो[100] कोड़े** मारूंगा" सिह़ह़त याब होने पर **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ ने उन्हें **सो[100] तीलियों** की झाड़ू मारने का हुक्म इर्शाद फ़रमाया। (नूरुल इरफ़ान, स.728, मुलख़्ख़सन) **अल्लाह** तबा-र-क व तआ़ला पारह 23 सूरए صٓ की आयत नम्बर 44 में इर्शाद फ़रमाता है :

وَخُذْ بِیَدِکَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّہٖ وَلَا تَحْنَثْ ط

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और फ़रमाया कि अपने हाथ में एक झाड़ू ले कर इस से मार दे और क़सम न तोड़। (पा.23, صٓ :44)

''आ़लमगीरी'' में **ह़ीलों** का एक मुस्तक़िल बाब है जिस का नाम ''किताबुल ह़ियल'' है चुनान्चे ''आ़लमगीरी किताबुल ह़ियल'' में है, ''जो **ह़ीला** किसी का ह़क़ मारने या उस में शुबा पैदा करने या बात़िल से फ़रेब देने के लिये किया जाए वोह मकरूह है और जो **ह़ीला** इस लिये किया जाए कि आदमी **ह़राम** से बच जाए या **ह़लाल** को ह़ासिल कर ले वोह अच्छा है। इस क़िस्म के ह़ीलों के जाइज़ होने की दलील **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ का येह फ़रमान है :

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَلَا تَحْنَثْ ؕ

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और फ़रमाया कि अपने हाथ में एक झाड़ू ले कर उस से मार दे और क़सम न तोड़। (پ.23, صٓ:44)

(फ़तावा आ़लमगीरी, जि.6, स.390)

कान छेदने का रवाज कब से हुवा ?

ह़ीले के जवाज़ पर एक और दलील मुला-ह़ज़ा फ़रमाइये चुनान्चे **ह़ज़रते** सय्यिदुना अब्दुल्लाह इब्ने अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا से रिवायत है कि एकबार ह़ज़रते सय्यि-दतुना **सारह** और ह़ज़रते सय्यि-दतुना **हाजिरा** رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا में कुछ चपक़लिश हो गई। ह़ज़रते सय्यि-दतुना सारह رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا ने क़सम खाई कि मुझे अगर क़ाबू मिला तो मैं हाजिरा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا का कोई उ़ज़्व काटूंगी। **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ ने ह़ज़रते सय्यिदुना **जिब्रईल** عَلَيْهِ السَّلَام

को ह़ज़रते सय्यिदुना **इब्राहीम** ख़लीलुल्लाह عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام की ख़िदमत में भेजा कि उन में सुल्ह़ करवा दें। ह़ज़रते सय्यि-दतुना **सारह** رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا ने अ़र्ज़ की : ''(مَا حِيلَةُ يَمِيْنِى ؟)'' या'नी मेरी क़सम का क्या ह़ीला होगा ? तो ह़ज़रते सय्यिदुना **इब्राहीम** ख़लीलुल्लाह عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام पर वह्य नाज़िल हुई कि (ह़ज़रते) **सारह** رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا को हुक्म दो कि वोह (ह़ज़रते) हा-जरह رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا के कान छेद दें। **उसी वक़्त से** औ़रतों के कान छेदने का रवाज पड़ा।

(ग़म्ज़ उ़यूनुल बसाइर शरह़े अल अश्बाहु वन्नज़ाइर, जि.3, स.295)

गाय के गोश्त का तोह़फ़ा

उम्मुल मुअमिनीन ह़ज़रते सय्यि-दतुना आ़इशा सिद्दीक़ा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا से रिवायत है कि दो[2] जहां के सुल्त़ान, सरवरे ज़ीशान, मह़बूबे रह़मान صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم की ख़िदमत में **गाय का गोश्त** (तोह़फ़तन) ह़ाज़िर किया गया, किसी ने अ़र्ज़ की : येह गोश्त ह़ज़रते सय्यि-दतुना बरीरा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا पर स-दक़ा हुवा था। फ़रमाया هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَّ لَنَا هَدِيَّةٌ या'नी येह बरीरा के लिये स-दक़ा था हमारे लिये हदिय्या है।

(सह़ीह़ मुस्लिम, स.541, ह़दीस:1075)

ज़कात का शर-ई ह़ीला

इस ह़दीसे पाक से साफ़ ज़ाहिर है कि ह़ज़रते सय्यि-दतुना

बरीरा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا जो कि स-दक़े की ह़क़दार थीं उन को ब त़ौरे स-दक़ा मिला हुवा गाय का गोश्त अगर्चे उन के ह़क़ में **स-दक़ा** ही था मगर उन के क़ब्ज़ा कर लेने के बा'द जब बारगाहे रिसालत में पेश किया गया था तो उस का हुक्म बदल गया था और अब वोह **स-दक़ा** न रहा था । यूं ही कोई मुस्तह़िक़ शख़्स **ज़कात** अपने क़ब्ज़े में ले लेने के बा'द किसी भी आदमी को तोह़फ़तन दे सकता या मस्जिद वग़ैरा के लिये पेश कर सकता है कि मज़्कूरा मुस्तह़िक़ शख़्स का पेश करना अब **ज़कात** न रहा, **ह़दिय्या** या अ़त़िय्या हो गया । फ़ु-क़हाए किराम رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام **ज़कात का शर-ई ह़ीला** करने का त़रीक़ा यूं इरशाद फ़रमाते हैं : **ज़कात** की रक़म मुर्दे की तजहीज़ व तक्फ़ीन या मस्जिद की तामीर में सर्फ़ नहीं कर सकते कि तम्लीके फ़क़ीर (या'नी फ़क़ीर को मालिक करना) न पाई गई, अगर इन उमूर में ख़र्च करना चाहें तो इस का त़रीक़ा येह है कि **फ़क़ीर** को (ज़कात की रक़म का) मालिक कर दें और वोह (तामीरे मस्जिद वग़ैरा में) सर्फ़ करे, इस त़रह़ सवाब दोनों को होगा । (बहारे शरीअ़त, ह़िस्सा:5, स.25)

100 अफ़राद को बराबर बराबर सवाल मिले

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! देखा आप ने ! कफ़न दफ़न बल्कि ता'मीरे मस्जिद में भी **ह़ीलए शर-ई** के ज़रीए **ज़कात** इस्ति'माल की जा सकती है । क्यूंकि ज़कात तो **फ़क़ीर** के ह़क़ में थी, जब **फ़क़ीर** ने क़ब्ज़ा कर लिया तो अब वोह मालिक हो

चुका, जो चाहे करे । **ह़ीलए शर-ई** की ब-र-कत से देने वाले की **ज़कात** भी अदा हो गई और फ़क़ीर भी मस्जिद में दे कर सवाब का ह़क़दार हो गया । **फ़क़ीरे शर-ई** को ह़ीले का मस्अला समझा दिया जाए । **ह़ीला** करते वक़्त मुम्किन हो तो ज़ियादा अफ़राद के हाथ में रक़म फिरानी चाहिये ताकि सब को सवाब मिले म-सलन ह़ीले के लिये **फ़क़ीरे शर-ई** को 12 लाख रूपै ज़कात दी, क़ब्ज़े के बा'द वोह किसी भी इस्लामी भाई को **तोह़फ़तन** दे दे येह भी क़ब्ज़े में ले कर किसी और को मालिक बना दे, यूं सभी ब निय्यते सवाब एक दूसरे को मालिक बनाते रहें, आख़िर वाला मस्जिद या जिस काम के लिये **ह़ीला** किया था उस के लिये दे दे तो اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ सभी को बारह बारह लाख रूपै स-दक़ा करने का सवाब मिलेगा । चुनान्चे **ह़ज़रते सय्यिदुना** अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ से रिवायत है, ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे नुबुव्वत, पैकरे जूदो सख़ावत, सरापा रह़मत, मह़बूबे रब्बुल इ़ज़्ज़त صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : अगर सो[100] हाथों में स-दक़ा गुज़रा तो सब को वैसा ही सवाब मिलेगा जैसा देने वाले के लिये है और उस के अज्र में कुछ कमी न होगी । (तारीख़े बग़दाद, जि.7, स.135, रक़म :3568)

फ़क़ीर की ता'रीफ़

सुवाल : ज़कात व फ़ित्रा फ़क़ीर को देना होता है तो फ़क़ीर की ता'रीफ़ भी बयान कर दीजिये ।

जवाब : फ़क़ीर वोह है कि (अलिफ़) जिस के पास कुछ न कुछ हो मगर

इतना न हो कि निसाब को पहुंच जाए (बा) या निसाब की क़-दर तो हो मगर उस की ह़ाजते अस्लिय्या (या'नी ज़रूरियाते ज़िन्दगी) में मुस्तग़रक़ (घिरा हुवा) हो । म-सलन रहने का मकान, ख़ाना दारी का सामान, सुवारी के जानवर (या स्कूटर या कार) कारीगरों के औज़ार, पहनने के कपड़े, ख़िदमत के लिये लौंडी, ग़ुलाम, इल्मी शुग़्ल रखने वाले के लिये इस्लामी किताबें जो उस की ज़रूरत से ज़ाइद न हों (जीम) इसी त़रह़ अगर मदयून (मक़रूज़) है और दैन (क़र्ज़ा) निकालने के बा'द निसाब बाक़ी न रहे तो फ़क़ीर है अगर्चे उस के पास एक तो क्या कई निसाबें हों ।(रद्दुल मुह़्तार, जि.3, स.333, बहारे शरीअ़त, ह़िस्सा:5, स.59)

मिस्कीन की ता'रीफ़

सुवाल : मिस्कीन की ता'रीफ़ भी इर्शाद हो ।

जवाब : मिस्कीन वोह है जिस के पास कुछ न हो यहां तक कि खाने और बदन छुपाने के लिये इस का मोह़ताज है कि लोगों से सुवाल करे और उसे सुवाल ह़लाल है । फ़क़ीर को (या'नी जिस के पास कम अज़ कम एक दिन का खाने के लिये और पहनने के लिये मौजूद है) बिग़ैर ज़रूरत व मजबूरी सुवाल ह़राम है ।

(फ़तावा आ़लमगीरी, जि.1, स.187,188)

ह़ीला करने का आसान त़रीक़ा

सुवाल : ज़कात व फ़ित्रे के ह़ीले का आसान त़रीक़ा बता दीजिये :-

जवाब : किसी फ़क़ीरे शर-ई को या उस के वकील को माले ज़कात व फ़ित्रा का मालिक बना दिया जाए म-सलन उस को नोटों की गड्डी येह कह कर दे दी कि येह आप की मिल्क है, वोह उस को हाथ में ले कर या किसी त़रह़ क़ब्ज़ा कर ले अब येह इस का मालिक हो गया और किसी भी काम (म-सलन मस्जिद की ता'मीर वग़ैरा) में सर्फ़ कर दे। यूं ज़कात अदा होने के साथ साथ दोनों सवाब के भी ह़क़दार होंगे। اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ।

फ़क़ीर के वकील से क्या मुराद है ?

सुवाल : आप ने कहा, ''शर-ई फ़क़ीर या उस के वकील'' यहां वकील से क्या मुराद है ?

जवाब : इस से मुराद वोह शख़्स है जिसे शर-ई फ़क़ीर ने अपनी ज़कात वुसूल करने की इजाज़त दी हो या उस ने ख़ुद उस से इजाज़त ली हो।

क्या वकील ज़कात पर क़ब्ज़ा करने के बा'द ख़र्च कर सकता है ?

सुवाल : तो क्या वकील भी माले ज़कात पर क़ब्ज़ा करने के बा'द उसे किसी भी काम में सर्फ़ करने का इख़्तियार रखता है ?

जवाब : नहीं। अलबत्ता अगर उसे फ़क़ीर ने इजाज़त दी हो या उस ने ख़ुद इजाज़त ली हो तो कर सकता है।

वकील का क़ब्ज़ा मुवक्किल ही का क़ब्ज़ा कहलाएगा

सुवाल : फ़क़ीरे शर-ई ने वकील को अपनी ज़कात किसी भी काम में

सर्फ़ करने की इजाज़त दी थी या उस ने ख़ुद ही ली थी, तो क्या इस सूरत में भी शर-ई फ़क़ीर को माले ज़कात पर क़ब्ज़ा करना ज़रूरी होगा ?

जवाब : जी नहीं क्यूं कि वकील का क़ब्ज़ा मुवक्किल (या'नी वकील करने वाले) का ही क़ब्ज़ा कहलाएगा।

ह़ीला करते वक़्त कहा : "रख मत लेना" तो ?

सुवाल : क्या ह़ीला करते वक़्त शर-ई फ़क़ीर को येह केह सकते हैं कि वापस दे देना, रख मत लेना वग़ैरा ?

जवाब : न कहे। बिल्फ़र्ज़ ऐसा बोल भी दिया तब भी ज़कात की अदाएगी व ह़ीले में कोई फ़र्क़ नहीं पड़ेगा क्यूंकि स-दक़ात व ज़कात और तोह़फ़ा देने में इस क़िस्म के शरतिय्या अल्फ़ाज़ फ़ासिद हैं। आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़तावा शामी (किताबुज़्ज़कात, बाबुल मसरफ़, जि.3, स.344) के ह़वाले से फ़रमाते हैं : "हिबा (या'नी तोह़फ़े) और स-दक़े शर्ते फ़ासिद से फ़ासिद नहीं होते।" (फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, जि.10, स.108)

क्या चेक के ज़रीए ह़ीला हो सकता है ?

सुवाल : क्या चेक के ज़रीए ज़कात का ह़ीला हो सकता है ?

जवाब : जी नहीं। चूंकि चेक के ज़रीए ज़कात अदा नहीं हो सकती। लिहाज़ा चेक के ज़रीए ज़कात का ह़ीला भी नहीं किया जा सकता।

बहुत बड़ी रक़म का ह़ीला कैसे हो !

सुवाल : बेंक से बड़ी रक़म निकलवाने और फिर शर-ई फ़क़ीर के क़ब्ज़े में देने फिर उस से ले कर दोबारा बेंक में जम्अ़ करवाने में ह़रज होता है कोई आसान ह़ल इर्शाद फ़रमा दीजिये।

जवाब : शर-ई फ़क़ीर अपने नाम से बेंक में सिर्फ़ इतनी रक़म का एकाउन्ट (ACCOUNT) खुलवा ले कि वोह शर-ई फ़क़ीर रहे फिर जितनी रक़म ज़कात की मद में उसे देनी है उसे बता कर उस के एकाउन्ट में जम्अ़ करवा दी जाए। जब वोह रक़म उस के एकाउन्ट में जम्अ़ हो गई तो ज़कात अदा हो गई। अब जिस काम के लिये ह़ीला किया है वोह उस के लिये दे दे। इस की तफ़्सील पहले बयान हो चुकी। याद रहे ! सिर्फ़ वोही एकाउन्ट खुलवाना जाइज़ है जिस पर सूद नहीं बनता म-सलन करन्ट एकाउन्ट (CURRENT ACCOUNT) पर सूद नहीं मिलता जब कि सेविंग एकाउन्ट (SAVING ACCOUNT) पर सूद मिलता है।

ह़ीले की रक़म दीनी कामों में ख़र्च करना कैसा ?

सुवाल : ज़कात फित्रे का ह़ीला कर के उस रक़म को तब्लीग़े दीन के

कामों म-सलन मदारिस, सुन्नतों भरे इजतिमाआ़त और दीनी किताबों की इशाअ़त व तक़्सीम वग़ैरा में इस्ते'माल करना कैसा ?

जवाब : जाइज़ है ।

क्या ह़ीले की रक़म से तोह़फ़ा या नज़राना दे सकते हैं ?

सुवाल : बा'ज़ लोग ज़कात की रक़म का ह़ीला कर के अपने पास महफ़ूज़ रख लेते हैं फिर उस रक़म से बिला इम्तियाज़े अमीर व ग़रीब हर एक को तह़ाइफ़ वग़ैरा तक़्सीम करते हैं, बल्कि उसी ह़ीले शुदा रक़म से उ़-लमा व मशाइख़ को नज़राना भी पेश करते हैं ! क्या इस त़रह़ ज़कात अदा हो जाती है ?

जवाब : ज़कात तो अदा हो जाती है मगर इस त़रह़ बांटना और बिल्ख़ुसूस उ़-लमा व मशाइख़ को ह़ीला शुदा रक़म से नज़राने देना किसी त़रह़ मुनासिब नहीं । फ़तावा फ़क़ीहे मिल्लत जिल्द अव्वल सफ़ह़ा 308 पर ह़ज़रते फ़क़ीहे मिल्लत मुफ़्ती जलालुद्दीन अह़मद अमजदी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى के मुसद्दक़ा (तस्दीक़ कर्दा) फ़त्वे का इक़्तिबास मुला-ह़ज़ा हो । "ज़कात व स-द-क़ए फ़ित्र के अस्ल मुस्तह़िक़ीन ग़ुरबा व मसाकीन हैं । ख़ुदाए तआ़ला का इर्शाद है :

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَ الْمَسٰكِيْنِ

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : ज़कात तो उन्हीं लोगों के लिये है जो मोह़ताज और निरे नादार हों । इलख़ ।

(पा.10, तौबा:60)

लेकिन वोह मदारिसे इस्लामिय्या जिन में ख़ालिस इस्लामी ता'लीम होती है दीन की बक़ा के लिये उन में ज़रूरतन ह़ीले के बा'द सर्फ़ करने की इजाज़त दी गई । मगर अब लोग दुन्यावी स्कूल और कॉलिज जिन में बराए नाम दीनी ता'लीम होती है ज़कात व स-दक़ाते वाजिबा की रक़म ह़ीलए शर-ई से ख़र्च कर के ग़ुरबा व मसाकीन की ह़क़ त-लफ़ी करते हैं जो सरासर ग़लत़ है ।'' मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : अग़नियाए कसीरुल माल (या'नी बड़े सरमाया दारों को चाहिये कि) शुक्रे ने'मत बजा लाएं, हज़ारों रूपै फ़ुज़ूल ख़्वाहिश या दुन्यवी आसाइश या ज़ाहिरी आराइश में उठाने वाले (या'नी कसीर रक़म फ़ुज़ूल ख़र्चियों और आसाइशों में उडाने वाले) मसारिफ़े ख़ैर (या'नी भलाई के कामों) में ह़ीलों की आड़ न लें, मु-तवस्सितुल ह़ाल, (या'नी दरमियानी द-रजे के साह़िबे ह़ैसिय्यत ह़ज़रात) भी ऐसी ज़रूरतों की ग़-रज़ से ख़ालिस ख़ुदा ही के काम में सर्फ़ करने पर इक़्दाम करें । न येह कि مَعَاذَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ उन के ज़रीए से अदाए ज़कात का नाम कर के रूपिया अपने ख़ुर्द बुर्द में लाएं कि येह अम्र मक़ासिदे शरअ़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ और उस में ईजाबे ज़कात (या'नी ज़कात को वाजिब करने की) ह़िक्मतों का यक्सर इब्त़ाल (या'नी सरासर बात़िल कर देना या ख़त्म कर देना) है तो गोया इस का बरतना

(या'नी इस्ते'माल करना) अपने रब عَزَّوَجَلَّ को फ़रेब (या'नी धोका) देना है । रब्बुल आ़लमीन से पनाह चाहते हैं । وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ط **(तरजमए कन्ज़ुल ईमान :** और ख़ुदा ख़ूब जानता है बिगाड़ने वाले को संवारने वाले से (पा.2, अल ब़-क़रह:220)) **अल्लाह** तआ़ला से दुआ़ है कि हमारे आ'माल की इस्लाह़ फ़रमाए और हमारी उम्मीदें बर लाए ।

(फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, जि.10, स.109)

सय्यिद साहि़ब को ज़कात के ह़ीले की रक़म देना कैसा ?

सुवाल : अगर सय्यिद ग़रीब हो तो उस को ज़कात की ह़ीला शुदा रक़म दे सकते हैं या नहीं ?

जवाब : दे तो सकते हैं मगर अफ़्ज़ल येही है कि बिग़ैर ह़ीले के जेबे ख़ास से रक़म नज़्र की जाए । अफ़्सोस सद करोड़ अफ़्सोस ! अपनी औलाद को तो हम दुन्या की हर आसाइश देने के लिये तैयार रहें और औलादे सरवरे काएनात صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم या'नी सादात की ख़िदमात के लिये एक रूपल्ली भी जेबे ख़ास से ह़ाज़िर करने से कतराएं । मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : रहा येह कि फिर इस ज़मानए पुर आशोब में ह़ज़राते सादाते किराम की मुवासात (या'नी इम्दाद व ग़म ख़्वारी) क्यूं कर हो । अकूलु (या'नी मैं कहता हूं) बड़े माल वाले अगर अपने ख़ालिस मालों से ब तौ़रे हदिय्या इन ह़ज़राते उ़ल्या (या'नी बुलन्द मरतबा साहि़बान) की ख़िदमत न करें तो इन (मालदारों)

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم : जिस के पास मेरा ज़िक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद शरीफ़ न पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख़्स है। (ترغیب و ترہیب)

की (अपनी) बे सआ़दती है, वोह वक़्त याद करें जब इन ह़ज़रात (सादाते किराम) के जद्दे अकरम صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم के सिवा ज़ाहिरी आंखों को भी कोई मल्जा व मावा (या'नी पनाह का ठिकाना) न मिलेगा, क्या पसन्द नहीं आता कि वोह माल जो उन्हीं के सदके़ में उन्हीं की सरकार से अ़ता हुवा, जिसे अ़नक़रीब छोड़ कर फिर वैसे ही ख़ाली हाथ ज़ेरे ज़मीन (या'नी क़ब्र में) जाने वाले हैं, उन की खुशनूदी के लिये उन के पाक मुबारक बेटों (या'नी सय्यिदों) पर उस का एक ह़िस्सा सर्फ़ किया करें कि उस सख़्त ह़ाजत के दिन (या'नी ब रोज़े क़ियामत) उस जव्वादे करीम, रऊफ़ुर्रह़ीम के भारी इन्आ़मों, अ़ज़ीम इकरामों से मुशर्रफ़ हों।

सय्यिद के साथ भलाई करने का अ़ज़ीम सिला

इब्ने अ़साकिर अमीरुल मुअमिनीन मौला अ़ली كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَجْهَهُ الْكَرِيْم,से रावी, रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم फ़रमाते हैं : जो मेरे अहले बैत में से किसी के साथ अच्छा सुलूक करेगा मैं रोज़े क़ियामत इस का सिला उसे अ़ता फ़रमाऊंगा। (अल जामेउ़स्सग़ीर लिस्सुयूत़ी, स.533, ह़दीस:8821)

अमीरुल मुअमिनीन उ़स्माने ग़नी رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ से मरवी, रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم फ़रमाते हैं : जो शख़्स औलादे अ़ब्दुल मुत्त़लिब में किसी के साथ दुन्या में नेकी करे उस का सिला देना मुझ पर लाज़िम है जब वोह रोज़े क़ियामत मुझ से

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّی اللہ تعالٰی عَلَیْہِ وَ اٰلِہٖ وَسَلَّم : उस शख़्स की नाक ख़ाक आलूद हो जिस के पास मेरा ज़िक्र हो और वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (حاکم)

मिलेगा । (तारीख़े बग़दाद, जि.10, स.102)

सय्यिद से भलाई करने वाले को क़ियामत में आक़ा की ज़ियारत होगी

अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर ! क़ियामत का दिन, वोह क़ियामत का दिन, वोह सख़्त ज़रूरत सख़्त ह़ाजत का दिन, और हम जैसे मोहताज, और सिला अ़ता फ़रमाने को मुह़म्मद صَلَّی اللہ تعالٰی عَلَیْہِ وَ اٰلِہٖ وَسَلَّم सा साह़िबुत्ताज, ख़ुदा जाने क्या कुछ दें और कैसा कुछ निहाल फ़रमा दें, एक निगाहे लुत़्फ़ उन की जुम्ला मुहिम्माते दो जहां को (या'नी दोनो जहां की तमाम मुश्किलात के ह़ल के लिये) बस है, बल्कि ख़ुद येही सिला (बदला) करोड़ों सिले (बदलों) से आ'ला व अन्फ़स (या'नी नफ़ीस तरीन) है, जिस की त़रफ़ कलिमए करीमा, (जब वोह रोज़े क़ियामत मुझ से मिलेगा) इशारा फ़रमाता है, بِلَفظِ اِذَا ता'बीर फ़रमाना (या'नी ''जब'' का लफ़्ज़ कहना) بِحمدِ الله रोज़े क़ियामत वा'दए विसाल व दीदारे मह़बूबे ज़िल जलाल का मुज़्दा सुनाता है । (गोया सय्यिदों के साथ भलाई करने वालों को क़ियामत के रोज़ ताजदारे रिसालत صَلَّی اللہ تعالٰی عَلَیْہِ وَ اٰلِہٖ وَسَلَّم की ज़ियारत व मुलाक़ात की बिशारत है) मुसल्मानो ! और क्या दरकार है ? दौड़ो और इस दौलत व सआ़दत को लो । وَبِاللهِ التَّوفِيق

कम मालदार के लिये सय्यिद की ख़िदमत का त़रीक़ा

और मु–तवस्सित़ ह़ाल वाले (या'नी जो ज़ियादा मालदार न हों)

अगर मसारिफ़ मुस्तह़ब्बा की वुस्अ़त नहीं देखते तो بِحَمدِ الله वोह तदबीर मुम्किन है कि ज़कात की ज़कात अदा हो और ख़िदमते सादात भी बजा हो या'नी किसी मुसल्मान मस्रफ़े ज़कात मो'तमद अ़लैह (या'नी किसी क़ाबिले ए'तिमाद फ़क़ीरे शर-ई) को कि उस की बात से न फिरे, माले ज़कात से कुछ रूपै ब निय्यते ज़कात दे कर मालिक कर दे, फिर उस से कहे : "तुम अपनी त़रफ़ से फ़ुलां सय्यिद की नज़्र कर दो" इस में दोनों मक़्सूद ह़ासिल हो जाएंगे कि ज़कात तो इस फ़क़ीर को गई और येह जो सय्यिद ने पाया नज़्राना था, इस का फ़र्ज़ अदा हो गया और ख़िदमते सय्यिद का कामिल सवाब उसे और फ़क़ीर दोनों को मिला। (फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, जि.10, स.105 ता 106)

ह़ीले के बा'द रक़म लौटाने के मोह़तात़ अल्फ़ाज़

सुवाल : चन्दा देते या ह़ीले में रक़म लौटाते वक़्त दीनी या समाजी काम के लिये कुल्ली इख़्तियारात देने के मोह़तात़ अल्फ़ाज़ बता दीजिये।

जवाब : (ज़कात फ़ित्रा वग़ैरा स-दक़ाते वाजिबा के इ़लावा) नफ़्ली **चन्दा** देते या ह़ीले में रक़म लौटाते वक़्त देने वाला येह कहे, "येह रक़म दा'वते इस्लामी (या येह इदारा) जहां मुनासिब समझे वहां नेक व जाइज़ काम में ख़र्च करे।"

ज़कात के वकील के लिये मोह़तात़ अल्फ़ाज़

सुवाल : शर-ई फ़क़ीर अपने वकील को ज़कात फ़ित्रा ले कर दा'वते

इस्लामी के म-दनी कामों में सर्फ़ करने के कुल्ली इख़्तियारात किस त़रह़ दे ?

जवाब : वकील को कहने के मोह़तात़ अल्फ़ाज़ ये हैं, ''आप मेरे लिये जो भी ज़कात फ़ित्रा वुसूल करें उसे दा'वते इस्लामी (या फ़ुलां फ़र्द या इदारे) को येह कह कर दे दीजिये कि येह रक़म दा'वते इस्लामी (या फ़ुलां फ़र्द या इदारे) जहां मुनासिब समझे नेक व जाइज़ काम में ख़र्च करे ।''

कुफ़्फ़ार की इम्दाद करना कैसा ?

सुवाल : क्या चन्दे में इस त़रह़ के कुल्ली इख़्तियारात ले लेने से अब समाजी इदारे वाले किसी काफ़िर या मुरतद को दवा फ़राहम कर सकते या उस की माली इम्दाद भी कर सकते हैं ?

जवाब : नहीं कर सकते । क्यूंकि''नेक और जाइज़ काम''की इजाज़त ली है और काफ़िर व मुरतद् की माली इम्दाद या उस की दवा पर रक़म ख़र्च करना''नेक और जाइज़ काम'' नहीं । चुनान्चे मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : ग़ैर मुस्लिम को माले वक़्फ़ से भेजना तो किसी त़रह़ जाइज़ नहीं कि वक़्फ़ कारे ख़ैर के लिये होता है और ग़ैर मुस्लिम को देना कुछ सवाब नहीं । كَمَا فِى الْبَحْرِ الرَّائِق वग़ैरा (या'नी जैसा कि अल बह़रुर्राइक़ वग़ैरा में है) (फ़तावा र-ज़विय्या, जि.16, स 226)

समाजी इदारे के अस्पताल में ज़कात का इस्ति'माल करना कैसा ?

सुवाल : समाजी इदारे के अस्पताल में ज़कात इस्ति'माल की जा सकती है या नहीं ?

जवाब : इस में ज़कात के सहीह़ इस्ति'माल में दुश्वारियां हैं म-सलन अगर इदारे वालों ने ज़कात की रक़म वुसूल की तो तम्लीक (या'नी ह़क़दार को उस रक़म का मालिक बनाना होगा इस) से पहले दवाएं वग़ैरा नहीं ख़रीद सकते। अलबत्ता किसी ने रक़म ला कर दी कि इस से दवाएं ख़रीद कर ज़कात के त़ौर पर मुस्तह़िक़ मरीज़ों को दे देना तो इब्तिदाअन दवाएं ख़रीदने का वकील बनाना और उस के बा'द ज़कात की अदाएगी का वकील बनाना हुवा। लेकिन दवाओं की सूरत में ज़कात की रक़म रखी रहने और अदाएगी में ताख़ीर होने का अन्देशा है नीज़ ज़कात की रक़म से डॉक्टरों और दीगर अ़मले को तनख़्वाहें, जगह का किराया और बिजली का बिल वग़ैरा नहीं दे सकते।

फ़लाही इदारों के लिये ज़कात के इस्ते'माल का त़रीक़ा

सुवाल : समाजी इदारों के अस्पतालों में और दीगर फ़लाही कामों में ज़कात व फ़ित्रे के इस्ते'माल का मुनासिब त़रीक़ा क्या है ?

जवाब : ता'मीरात, मुशा-हरात (या'नी तनख़्वाहों) और किरायों वग़ैरा में ज़कात, फ़ित्रा और वाजिब स-दक़ात इस्ते'माल नहीं किये जा सकते। इन में ह़क़दार को मालिक बनाना शर्त़ है, यहां तक कि किसी मुस्तह़िक़ मरीज़ का इलाज भी करना हो तो ज़कात की दवा उस के क़ब्ज़े में देनी होगी। अगर उस को मालिक बनाए

बिग़ैर ज़कात के पैसे से इन्जेक्शन लगा दिया ऑपरेशन या डॉक्टर की फ़ीस में अदा कर दिये तो ज़कात नहीं होगी। लिहाज़ा फ़ित्रा व ज़कात और वाजिब स-दक़ात का शर-ई ह़ीला कर लिया जाए। अब इस रक़म से सय्यिद व अमीर ग़रीब व फ़क़ीर हर एक का इलाज करना जाइज़ हो गया। बेहतर येह है कि कुरबानी की खालें और दीगर स-दक़ाते नाफ़िला देने वालों नीज़ जिस फ़क़ीरे शर-ई से ज़कात वग़ैरा का ह़ीला किया है वोह जब रक़म वग़ैरा लौटाए तो उस से हर नेक और जाइज़ काम में ख़र्च करने के कुल्ली इख़्तियारात ले लिये जाएं। हर रसीद पर येह इबारत लिख दी जाए : "आप इजाज़त दीजिये कि आप का नफ़्ली **चन्दा** या कुरबानी की खाल हमारा इदारा जहां मुनासिब समझे वहां नेक व जाइज़ काम में ख़र्च करे।" देखिये सिर्फ़ लिख देना काफ़ी नहीं, **चन्दा** या खाल लेते वक़्त एक एक को येह इबारत पढ़ानी या पढ़ कर सुनानी और उस खाल या चन्दे के अस्ल मालिक से मन्जूरी लेनी ज़रूरी है। एक मस्अला येह भी ज़ेह्न में रखिये कि इस के बा वुजूद काफ़िर व मुरतद्द के इलाज पर येह रक़म ख़र्च करना, ना जाइज़ ही रहेगा।

ग़ैर मुस्लिम को माले वक़्फ़ से देना जाइज़ नहीं

मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़तावा र-ज़विय्या जिल्द 16 सफ़ह़ा : 226 पर ग़ैर मुस्लिम को माले वक़्फ़ से

शीरीनी भेजने के बारे में किये गए सुवाल के जवाब में इर्शाद फ़रमाते हैं : ग़ैर मुस्लिम को माले वक़्फ़ से (शीरीनी) भेजना तो किसी त़रह़ जाइज़ नहीं कि वक़्फ़ कारे ख़ैर के लिये होता है और ग़ैर मुस्लिम को देना कुछ सवाब नहीं । كَمَا فِی الْبَحْرِ الرَّائِق वग़ैरा (या'नी जैसा कि बह़रुर्राइक़ वग़ैरा में है) ह़ज़रते सय्यिदुना जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि सरदारे मक्कए मुकर्रमा, सरकारे मदीनए मुनव्वरा صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ اٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : ''अगर वोह बीमार पड़ें तो पूछने न जाओ, मर जाएं तो जनाज़े में ह़ाज़िर न हो ।''

(सुनने इब्ने माजा, जि.1, स.70, ह़दीस:92, दारुल मा'रिफ़ह बैरूत)

चन्दा कारोबार में लगाना कैसा ?

सुवाल : मस्जिद या किसी मज़हबी या समाजी इदारे का **चन्दा** कसीर मिक़्दार में जम्अ़ हो गया हो तो क्या उसे कारोबार में लगा सकते हैं ?

जवाब : ख़्वाह कैसा ही नफ़्अ़ बख़्श कारोबार हो, नहीं लगा सकते । चाहे उस की आमदनी उसी इदारे के लिये इस्ति'माल करने की निय्यत हो । हां अगर **चन्दा** देने वाले ने सरा-ह़तन (या'नी साफ़ लफ़्ज़ों में) इजाज़त दे दी हो तो सिर्फ़ उस की रक़म जाइज़ कारोबार में लगाई जा सकती है । इस ज़िम्न में ''**फ़तावा र-ज़विय्या शरीफ़**'' का एक इक़्तिबास मुला-ह़ज़ा फ़रमाइये, चुनान्चे मेरे आक़ा **आ'ला ह़ज़रत** رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ इसी क़िस्म

के एक सुवाल के जवाब में फ़रमाते हैं : ''चन्दे के रूपै **चन्दा** देने वालों की मिल्क पर रहते हैं । उन से इजाज़त ली जाए, जो जाइज़ बात वोह बताएं उस पर अ़मल किया जाए ।''

(फ़तावा र-ज़विय्या, जि.16, स.410)

चन्दे की रक़म से इज्तिमाई क़ुरबानी के लिये गाऐं ख़रीदना

सुवाल : मज़हबी या फ़लाही इदारे के चन्दे की रक़म से इज्तिमाई क़ुरबानी के लिये बेचने के वासिते़ गाएं ख़रीदी जा सकती हैं या नहीं ?

जवाब : चन्दे की रक़म का कारोबार में लगाना जाइज़ नहीं । इस के लिये **चन्दा** देने वाले से सरा-हतन या'नी साफ़ लफ़्ज़ों में इजाज़त लेनी ज़रूरी है ।

क़ुरबानी की खालें स्कूल की ता'लीम के लिये देना कैसा ?

सुवाल : क्या क़ुरबानी की खालें स्कूल की मुरव्वजा ता'लीम के लिये दे सकते हैं ?

जवाब : मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن की ख़िदमत में कुछ इस त़रह़ का सुवाल हुवा : क़स्बा ''सिकन्दरा राव'' में मद्रसए इस्लामिय्या है । इस में क़ुरआन शरीफ़, उर्दू, अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है, इस की इम्दाद के लिये चिर्मे क़ुरबानी देना मूजिबे सवाब है या नहीं ? अल जवाब : ''मस्रफ़े क़ुरबानी में तीन[3] बातें ह़दीस में इर्शाद हुई हैं : (1) खाओ और (2) ज़ख़ीरा रखो और (3) सवाब का काम करो । (सुनने अबी दावूद, जि.3,

स.132, ह़दीस:2813) अंग्रेज़ी पढ़ना बेशक कोई बात सवाब की नहीं। अगर येह एह़तियात़ हो सके कि उस के दाम सिर्फ़ क़ुरआने मजीद व इ़ल्मे दीन की ता'लीम में सर्फ़ किये जाएं तो दे सकते हैं वरना नहीं।" وَاللّٰہُ تَعَالٰی اَعْلَم (फ़तावा र-ज़विय्या, जि.20, स.506)

गु-रबा को खालें लेने दीजिये

सुवाल : अगर कोई शख़्स हर साल ग़रीबों को खाल देता हो, उस पर **इन्फ़िरादी कोशिश** कर के अपने मद्रसे या दीगर दीनी कामों के लिये **खाल** लेना और ग़रीबों को मह़रूम कर देना कैसा है ?

जवाब : अगर वाक़ेई कोई ऐसा ग़रीब **मुस्तह़िक़** आदमी है जिस का गुज़ारा उसी **खाल** या ज़कात व फ़ित्रा पर मौक़ूफ़ है तो अब उस को मिलने वाले इन अ़त़िय्यात की अपने इदारे के लिये तरकीब कर के उस ग़रीब को मह़रूम करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं। और अगर उन ग़रीबों का गुज़ारा खाल वग़ैरा पर मौ'क़ूफ़ न हो तो खाल का मालिक जिस मस्रफ़ में चाहे दे सकता है म-सलन दिनी मद्रसे को दे दे। मेरे आक़ा **आ'ला ह़ज़रत,** इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَیْہِ رَحْمَۃُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : अगर कुछ लोग अपने यहां की खालें ह़ाजत मन्द यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों को देना चाहें कि उन की सूरते ह़ाजत रवाई येही हो, उसे कोई वाइ़ज़ (या'नी वा'ज़ कहने वाला) या मद्रसे वाला रोक कर मद्रसे के लिये ले ले तो येह उस का **ज़ुल्म** होगा। وَاللّٰہُ تَعَالٰی اَعْلَم

(मुलख़्ख़सन फ़तावा र-ज़विय्या, जि.20, स.501)

खालों के लिये बे जा ज़िद मत कीजिये

सुवाल : अगर कोई शख़्स अहले सुन्नत के किसी मद्रसे या किसी ग़रीब मुसल्मान को खाल देने का वा'दा कर चुका हो उस को ब इस्रार अपने इदारे म-सलन दा'वते इस्लामी के लिये खाल देने पर आमादा करना कैसा ?

जवाब : ऐसा न करे कि यूं आपस में अ़दावत व मुना-फ़रत का सिल्सिला होगा, फ़ित्नों, ग़ीबतों, चुग़्लियों, बद गुमानियों, इल्ज़ाम तराशियों और दिल आज़ारियों वग़ैरा गुनाहों के दरवाज़े खुलेंगे । मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़तावा र-ज़विय्या जिल्द 21, सफ़ह़ा 253 पर फ़रमाते हैं : ''मुसल्मानों में बिला वज्हे शर-ई इख़्तिलाफ़ व फ़ित्ना पैदा करना नयाबते शैत़ान है ।'' (या'नी ऐसे लोग इस मुआ़-मले में शैत़ान के नाइब हैं) ह़दीसे पाक में है : ''फ़ित्ना सो रहा है उस के जगाने वाले पर अल्लाह عَزَّوَجَلَّ की ला'नत ।'' (अल जामेउ़स्सग़ीर लिस्सुयूत़ी, स.370, ह़दीस:5975)

सुन्नी मदारिस की खालें मत काटिये

सुवाल : अगर कोई कहे कि मैं हर साल फ़ुलां सुन्नी इदारे को खाल देता हूं । उस को येह समझाना कैसा कि इस साल हमारे दीनी इदारे म-सलन दा'वते इस्लामी को खाल दे दीजिये ।

जवाब : अगर वोह साहिब किसी ऐसी जगह खाल देते हैं जो कि उस का सह़ीह मस्रफ़ है तो उस इदारे को मह़रूम कर के अपनी तन्ज़ीम के लिये खाल ह़ासिल कर लेना उस इदारे वालों के लिये सदमे का बाइ़स होगा, यूं आपस में कशीदगी पैदा होगी लिहाज़ा हर उस काम से इजतिनाब कीजिये जिस से मुसल्मानों में बाहम रन्जिशें हों **मुसल्मानों को नफ़रत व वह़शत से बचाना बहुत ज़रूरी है।** जैसा कि हुज़ूरे अकरम, नूरे मुजस्सम, शाहे बनी आदम, रसूले मोह़तशम صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم का इर्शादे मुअ़ज़्ज़म है : (بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا) या'नी ख़ुश ख़बरी सुनाओ और (लोगों को) नफ़रत न दिलाओ।

(सह़ीहुल बुख़ारी, जि.1, स.42, ह़दीस:69)

सुन्नी मद्रसे को खाल ख़ुद दे आइये

सुवाल : अगर कहीं दा'वते इस्लामी के लिये खाल लेने पहुंचे, उस ने एक हमें दी और एक खाल बचा कर रखते हुए कहा कि येह अहले सुन्नत के फ़ुलां दारुल उ़लूम को देनी है। आप आधे घन्टे के बा'द मा'लूम कर लीजिये अगर वोह लेने न आएं तो येह खाल भी आप ही ले लीजिये। ऐसी सूरत में क्या करना चाहिये ?

जवाब : येह ज़ेह्न में रहे कि क़ुरबानी की खालें इकट्ठी करना दा'वते

इस्लामी का ''मक़्सद'' नहीं ''ज़रूरत'' है। **दा'वते इस्लामी** का एक मक़्सद **नेकी की दा'वत** आ़म करने की ग़रज़ से नफ़रतें मिटाना और मुसल्मानों के दिलों में **महब्बतों** के चराग़ जलाना भी है। तमाम **सुन्नी इदारे** एक त़रह़ से **दा'वते इस्लामी** ही के इदारे हैं और **दा'वते इस्लामी** तमाम **सुन्नी इदारों** की अपनी अपनी और अपनी सुन्नतों भरी तह़रीक है। मुम्किना सूरत में **अच्छी अच्छी निय्यतें** कर के आप ख़ुद उस सुन्नी दारुल उ़लूम को **खाल** पहुंचा दीजिये। इस त़रह़ اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ मुसल्मानों का दिल भी ख़ुश करने की सआ़दत ह़ासिल होगी। ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे नुबुव्वत, मुस्त़फ़ा जाने रह़मत, शम्ए़ बज़्मे हिदायत, मह़बूबे रब्बुल इ़ज़्ज़त صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : **''फ़राइज़ के बा'द सब आ'माल में अल्लाह عَزَّوَجَلَّ को ज़ियादा प्यारा मुसल्मान का दिल ख़ुश करना है।''**

(अल मो'जमुल कबीर लित़्-बरानी, जि.11, स.59, ह़दीस:11079)

अपनी क़ुरबानी की खाल बेच दी तो ?

सुवाल : किसी ने अपनी क़ुरबानी की **खाल** बेच कर रक़म ह़ासिल कर ली अब वोह **मस्जिद में** दे सकता है या नहीं ?

जवाब : यहां निय्यत का ए'तिबार है। अगर अपनी **क़ुरबानी की खाल** अपनी ज़ात के लिये रक़म के इ़वज़ बेची तो यूं बेचना भी ना जाइज़ है और येह रक़म इस शख़्स के ह़क़ में **माले ख़बीस** है

और इस का स-दक़ा करना वाजिब है लिहाज़ा किसी शर-ई फ़क़ीर को दे दे। और तौबा भी करे और अगर किसी कारे ख़ैर के लिये म-सलन **मस्जिद** में देने ही की निय्यत से बेची तो बेचना भी जाइज़ है और अब **मस्जिद** में देने में कोई ह़रज (भी) नहीं।

म-दनी क़ाफ़िले के अख़राजात के बारे में सुवाल जवाब

सुवाल : सात इस्लामी भाई दा'वते इस्लामी के सुन्नतों की तरबिय्यत के तीन रोज़ा **म-दनी क़ाफ़िले** के मुसाफ़िर बने सब ने अख़राजात के लिये फ़ी कस **92** रूपै ज़म्अ़ करवाए मगर एक ने **63** रूपै पेश किये और सब मिल जुल कर यक्सां तौर पर खाना वग़ैरा खाते रहे, इस सूरत में कोई मस्अला तो नहीं ?

जवाब : अगर मिलजुल कर ख़र्च करना हो तो येह ज़रूरी है कि सब से **यक्सां रक़म** वुसूल की जाए ऐसा न हो कि बा'ज़ से कम ली जाए और खाना, पीना और दीगर सहूलिय्यात बराबर बराबर दी जाएं कि इस सूरत में कम रक़म जम्अ़ करवाने वाले ज़ियादा देने वालों के ह़िस्से में बिला इजाज़ते शर-ई शामिल हो कर गुनाहगार होंगे । **नबिय्ये अकरम** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : एक मुसल्मान का ख़ून, माल और इ़ज़्ज़त दूसरे मुसल्मान पर ह़राम है ।" (मुस्लिम, स.1386, 1387, ह़दीस:2564)

मुफ़स्सिरे शहीर **ह़कीमुल उम्मत** ह़ज़रते मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْحَنَّان इस ह़दीसे पाक के तह़्त फ़रमाते हैं : या'नी कोई मुसल्मान किसी मुसल्मान का माल बिग़ैर उस

की इजाज़त न ले, किसी की आबरू रेज़ी न करे, किसी मुसल्मान को ना हक़ और जुल्मन क़त्ल न करे कि येह सब सख़्त जुर्म हैं। (मिर्आत, जि.6, स.553)

क़ाफ़िले में सब यक्सां रक़म जम्अ़ करवाएं

म-दनी क़ाफ़िले में हर एक यक्सां रक़म जम्अ़ करवाए अगर येह मुम्किन न हो तो जिस के पास कम रक़म हो कोई इस्लामी भाई उस की कमी पूरी कर दे अगर येह न हो सके तो अमीरे क़ाफ़िला फ़क़त मुब्हम (या'नी ग़ैर वाज़ेह) सा ए'लान न करे, बल्कि सब से फ़र्दन फ़र्दन सरा-हतन (या़नी एक एक से साफ़ लफ़्ज़ों में) इजाज़त ले। हां कम रक़म देने वाले की निशानदिही कर के उस को शर्मिन्दा न किया जाए। म-सलन अमीरे क़ाफ़िला एक एक से कहे : म-सलन हम ने सब से फ़ी कस 92 रूपै लिये हैं मगर एक इस्लामी भाई ऐसे हैं जिन्हों ने 63 रूपै दिये हैं, क्या आप की त़रफ़ से इजाज़त है कि वोह भी खाने पीने वग़ैरा मुआ़-मलात में बराबर के शरीक रहें ? जो जो इजाज़त देंगे सिर्फ़ उन ही की त़रफ़ से इजाज़त मानी जाएगी। बिल्फ़र्ज़ किसी ने इजाज़त न दी तो उस का हिसाब अलग रखना ज़रूरी है।

रक़म यक्सां हो मगर ख़ूराक सब की यक्सां नहीं होती....?

सुवाल : येह तो बड़ा मस्अला हो गया ! अगर सब ने बराबर बराबर रक़म जम्अ़ करवाई है फिर भी किसी की ख़ुराक कम होती है और किसी की ज़ियादा, इस का भी ह़ल बता दीजिये।

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهٖ وَسَلَّم : जिस के पास मेरा ज़िक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद शरीफ़ न पढ़ा उस ने जफ़ा की। (عبدالرزاق)

जवाब : येह मस्अला और है, ऐसी सूरत में कम ज़ियादा खाने में कोई ह़-रज नहीं। चुनान्चे सदरुश्शरीआ़, बदरुत्तरीक़ा अ़ल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى (मक-त-बतुल मदीना की मत़्बूआ़) बहारे शरीअ़त ह़िस्सा 16 सफ़ह़ा 24 पर फ़रमाते हैं : ''बहुत से लोगों ने **चन्दा** कर के खाने की चाज़ें तैयार की और सब मिल कर उसे खाएंगे, **चन्दा** सब ने बराबर दिया है और खाना कोई कम खाएगा कोई ज़ियादा इस में ह़-रज नहीं। इसी त़रह़ मुसाफ़िरों ने अपने तोशे और खाने की चीज़ें एक साथ मिल कर खाईं इस में भी ह़-रज नहीं। अगर्चे कोई कम खाएगा कोई ज़ियादा या बा'ज़ की चीज़ें अच्छी हैं और बा'ज़ की वैसी नहीं।''

(आ़लमगीरी, जि.5, स.341,342)

म-दनी क़ाफ़िला और मेहमानों की ख़ैर ख़्वाही

सुवाल : दा'वते इस्लामी के सुन्नतों की तरबिय्यत के म-दनी क़ाफ़िलों में सफ़र के दौरान अक्सर बा'ज़ मक़ामी इस्लामी भाइयों या राहगीरों वग़ैरा को भी खाने में शामिल कर लिया जाता है इस की क्या सूरत होनी चाहिये ?

जवाब : अमीरे क़ाफ़िला पहले दिन इब्तिदा में ही एक एक से इस की भी इजाज़त ले ले। अगर एक फ़र्द ने भी इजाज़त न दी तो उस का ह़िसाब अलग रखना ज़रूरी हो जाएगा।

इख़्तितामे क़ाफ़िला पर बची हुई रक़म का मसरफ़ क्या ?

सुवाल : म-दनी क़ाफ़िले के इख़्तिताम पर अगर मुश्तरिका रक़म बच जाए तो उस के क्या मसारिफ़ हैं ?

जवाब : अमीरे क़ाफ़िला रोज़ का रोज़ ह़िसाब लिख लिया करे सिर्फ़ अपनी याद दाश्त पर ए'तिमाद करने में ग़-लतियों का काफ़ी इम्कान है। वाजिब है कि पाई पाई का ह़िसाब कर के हर एक को उस के ह़िस्से की रक़म लौटा दी जाए। हां जो मरज़ी से अपने ह़िस्से की रक़म किसी कारे ख़ैर में देना चाहे तो दे सकता है। बा हम मश्वरे से म-सलन येह भी तै़ किया जा सकता है कि हम बची हुई रक़म इसी मस्जिद के चन्दे में पेश कर देते हैं।

दूसरे के ख़र्च पर सफ़र किया, रक़म बच गई, क्या करे ?

सुवाल : अगर किसी ने दूसरे इस्लामी भाई की रक़म से म-दनी क़ाफ़िले में सफ़र किया उस में से कुछ रक़म बच गई तो क्या अपनी मरज़ी से उस को किसी कारे ख़ैर में ख़र्च कर सकता है ?

जवाब : नहीं कर सकता। वोह तो उस रक़म में से दूसरों को खिला भी नहीं सकता। न म-दनी क़ाफ़िले के लवाज़िमात से हट कर इस में से कुछ ख़र्च कर सकता है। जो कुछ रक़म बच गई वोह देने वाले को लौटानी होगी वरना गुनहगार होगा। इस की सूरत येही है कि अख़्राजात देने वाले से साफ़ साफ़ लफ़्ज़ों में हर त़रह़ की इजाज़त ले ली जाए। म-सलन उस से अ़र्ज़ की जाए कि आप की रक़म में से हो सकता है कि दीगर इस्लामी

भाइयों को भी खाना खिलाया जाए, इस में से नए इस्लामी भाइयों को तोहफ़े भी दिये जा सकते हैं बच जाने की सूरत में **दा'वते इस्लामी** के चन्दे में भी शामिल कर सकते हैं। लिहाज़ा बराए करम ! हर नेक और जाइज़ काम में ख़र्च करने की कुल्ली इजाज़त इनायत फ़रमा दीजिये। म-दनी क़ाफ़िले में राहे ख़ुदा में पल्ले से ख़र्च करने वाले के लिये सवाब भी ज़ियादा और मसाइल भी कम। ख़र्च में मियाना रवी से काम लीजिये और दोनों जहां की ब-र-कतें लूटिये।

आधी ज़िन्दगी, आधी अ़क़्ल और आधा इल्म !

ह़ज़रते सय्यिदुना अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا रिवायत करते हैं, ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे नुबुव्वत, पैकरे जूदो सख़ावत, सरापा रह़मत, मह़बूबे रब्बुल इ़ज़्ज़त صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने आ़लीशान है : ﴿1﴾ ख़र्च करने में मियाना रवी आधी ज़िन्दगी है और ﴿2﴾ लोगों से मह़ब्बत करना आधी अ़क़्ल है और ﴿3﴾ अच्छा सुवाल आधा इ़ल्म है। (शु-अ़बुल ईमान, जि.5, स.254,254, ह़दीस:6568) इस ह़दीसे मुबारक के तीनों ह़िस्सों की जुदा जुदा शर्ह़ करते हुए मुफ़स्सिरे शहीर ह़कीमुल उम्मत ह़ज़रते मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : سُبْحٰنَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ अ़जीब फ़रमाने आ़ली है ! ﴿1﴾ ख़ुश ह़ाली का दारो मदार दो

चीज़ों पर है : कमाना, ख़र्च करना। मगर इन दोनों में ख़र्च करना बहुत ही कमाल है। कमाना सब जानते हैं, ख़र्च करना कोई कोई जानता है। जिसे ख़र्च करने का सलीक़ा आ गया वोह اِنْ شَآءَاللّٰہ عَزَّوَجَلَّ हमेशा ख़ुश रहेगा ﴿2﴾ अ़क़्ल के सारे काम एक त़रफ़ हैं और लोगों से मह़ब्बत कर के उन्हें अपना बना लेना एक त़रफ़, लोगों की मह़ब्बत से दीनी दुन्यावी हज़ारों काम निकलते हैं, लोगों के दिलों में अपनी मह़ब्बत पैदा कर लो फिर (नेकी की दा'वत दे कर) उन्हें नमाज़ी ह़ाजी ग़ाज़ी (जो चाहो) बना दो। मगर ख़याल रहे कि लोगों की मह़ब्बत ह़ासिल करने के लिये अल्लाह व रसूल (عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) को नाराज़ न कर लो बल्कि लोगों से मह़ब्बत अल्लाह व रसूल (عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) की रिज़ा के लिये होनी चाहिये ﴿3﴾ इ़ल्म व ता'लीम में दो चीज़ें होती हैं, शागिर्द का सुवाल उस्ताद का जवाब, इन दोनों से मिल कर इ़ल्म की तक्मील होती है। अगर शागिर्द सुवाल अच्छे करेगा जवाब भी अच्छे पाएगा।

(मिर्आत, जि.6, स.645,635)

ग़रीबों के लिये रक़म मिली, मालदारों पर ख़र्च कर दी, अब क्या करे ?

सुवाल : अगर किसी ने येह कह कर दा'वते इस्लामी के किसी अ़लाक़े के क़ाफ़िला ज़िम्मादार को कुछ रक़म दी कि ग़रीब इस्लामी भाइयों को म-दनी क़ाफ़िले में सफ़र करवा देना। अब ज़िम्मेदार ने

ग़नी (या'नी मालदार) नए इस्लामी भाइयों को इस जज़्बे के तह़्त उस रक़म से सुन्नतों की तरबिय्यत के म-दनी क़ाफ़िले में सफ़र करवा दिया ताकि वोह म-दनी माह़ोल से क़रीब हो जाएं । ऐसी सूरत में क्या हुक्मे शर-ई है ?

जवाब : ऐसा करने वाला ''ज़िम्मेदार'' दर ह़क़ीक़त ''ग़ैर ज़िम्मेदार'' है, और ऐसी ग़-लत़ी के सबब गुनहगार है, उसे **तावान** भी देना होगा और तौबा भी वाजिब । हां अगर वोह रक़म देने वाला चाहे तो मुआ़फ़ कर सकता है अगर वोह मुआ़फ़ न करे तो जितनी रक़म ग़लत़ इस्ते'माल की इतनी उस देने वाले ज़िम्मेदार को पल्ले से देनी होगी या पल्ले से दी जाने वाली रक़म नए सिरे से ख़र्च करने की इजाज़त लेनी होगी । जब भी कोई ऐसे मौक़अ़ पर ग़रीबों की क़ैद लगा कर **चन्दा** पेश करे तो **चन्दा** क़बूल करने से पेश्तर उस को वाज़ेह़ त़ौर पर इन लफ़्ज़ों में कह देना मुफ़ीद है कि ''आप ''ग़रीबों'' की क़ैद हटा कर हर नेक और जाइज़ काम में ख़र्च करने के कुल्ली इख़्तियारात दे दीजिये कि इस रक़म से ग़रीब सफ़र करे या मालदार, इस से किसी को पूरे अख़्राजात देंगे तो किसी की ह़स्बे ज़रूरत कमी पूरी करेंगे, नीज़ इस से मस्जिद में आए हुए मेहमानों की ख़ैर ख़्वाही भी की जाएगी वग़ैरा ।''(यहां भी येह बात ज़ेह्न में रखिये कि **चन्दा** पेश करने वाला अगर ख़ुद उस रक़म का मालिक है तब तो उस का मज़्कूरा अल्फ़ाज़

सुन कर हां कहना कार आमद होगा और अगर मालिक नहीं म-सलन रक़म भिजवाने वाले का बेटा, भाई या मुलाज़िम वग़ैरा है तो **चन्दा** लाने वाले "वकील" का हां कहना फ़ुज़ूल होगा । लिहाज़ा अस्ल मालिक से कुल्ली इख़्तियारात लेने होंगे । हां अगर पहले ही से मालिक ने येह सारी इजाज़तें दे कर वकील को भेजा है तो अब वकील का इजाज़त देना मान लिया जाएगा)

म-दनी क़ाफ़िले के लिये मिली हुई रक़म दूसरे दीनी कामों में.....?

सुवाल : म-दनी क़ाफ़िले सफ़र करवाने के मद में मिला हुवा **चन्दा** दा'वते इस्लामी के दीगर म-दनी कामों में ख़र्च किया जा सकता है या नहीं ?

जवाब : नहीं किया जा सकता । उस को अलग रखना होगा, अगर दीगर म-दनी कामों में ख़र्च कर दिया तो **तावान** व तौबा की तरकीब बनानी होगी । सहूलत इसी में है कि किसी एक मद में **चन्दा** लेने के बजाए देने वाले की ख़िदमत में हमेशा येह मोहतात जुम्ला ज़िक्र कर देने की आदत बना ली जाए : **बराए करम ! आप हमें हर तरह के नेक और जाइज़ काम में ख़र्च करने की इजाज़त इनायत फ़रमा दीजिये ।**

मालदारों को चन्दे से इज्तिमाअ़ में ले जाना कैसा ?

सुवाल : किसी इस्लामी भाई ने ग़रीब इस्लामी भाइयों को सालाना बैनल अक़्वामी सुन्नतों भरे इज्तिमाअ़ (सहराए मदीना मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ़) में ले जाने के लिये रक़म पेश की

मगर "वकील" उस रक़म से अपने साहिबे हैसिय्यत दोस्तों को ले गया । अब नादिम है, क्या करे ?

जवाब : चन्दा जिस मद में दिया जाए उसी में इस्ते'माल करना वाजिब है । "वकील" ने ख़ियानत की । इस का **तावान** अदा करे या'नी जितनी रक़म मालदारों पर ख़र्च की उतनी पल्ले से **चन्दा** दिहन्दा (या'नी **चन्दा** देने वाले) को पेश कर दे और तौबा भी करे । येह उसूल हमेशा याद रखिये कि **चन्दा** देने वाला शरीअ़त के दाइरे में रह कर जैसा कहे वैसे ही करना होता है । अब जब कि उस ने ग़रीबों की क़ैद लगा दी तो ग़रीबों ही को देना होगा अगर वोह सरा-हतन (या'नी खुले लफ़्ज़ों में) कह दे, "मेरी रक़म से फ़क़त किराया अदा करना, तो उस की रक़म से सिर्फ़ किराया ही अदा किया जाएगा, खा पी नहीं सकते । अगर उस ने कह दिया, "फुलां फुलां को इस रक़म से सालाना इज्तिमाअ़ में ले जाओ" तो अब उन्हीं को ले जाना होगा किसी और को नहीं ले जा सकते, अगर वोह न गए या किसी त़रह़ रक़म बच गई तो वोह रक़म वापस लौटानी होगी, मख़्सूस अ़लाक़े वालों को ले जाने की सराह़त कर दी तो दूसरे अ़लाक़े वाले को नहीं ले जा सकते । अल ग़रज़ चन्दे में अपनी त़रफ़ से न किसी त़रह़ का तसर्रुफ़ करे न ही बिला इजाज़ते शर-ई उस का एक लुक़्मा भी ख़ुद खाए न किसी को खिलाए वरना आख़िरत में पकड़ होगी ।

वक़्फ़ के माल के ग़लत़ इस्ति'माल का अ़ज़ाब

सुवाल : जो माले वक़्फ़ का ग़लत़ इस्ति'माल करे उस के लिये कोई वईद सुना दीजिये ।

जवाब : दो अह़ादीसे मुबा-रका मुला-ह़ज़ा फ़रमाइये : ﴿1﴾ राह़ते क़ल्बे नाशाद, मह़बूबे रब्बुल इ़बाद, रसूले करीम व जव्वाद صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم का इर्शादे इ़ब्रत बुन्याद है : "कुछ लोग अल्लाह तआ़ला के माल में ना ह़क़ तसर्रुफ़ करते हैं, क़ियामत के दिन इन के लिये जहन्नम है ।" (सह़ीहुल बुख़ारी, जि.2, स.348, ह़दीस:3118) ﴿2﴾ हुज़ूर सय्यिदे आ़लम, नूरे मुजस्सम, शाहे बनी आदम صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم फ़रमाते हैं : कितने ही लोग जो अल्लाह عَزَّوَجَلَّ और उस के रसूल के माल में से जिस चीज़ को उन का दिल चाहता है अपने तसर्रुफ़ में ले आते हैं क़ियामत के दिन उन के लिये दोज़ख़ की आग है ।

(सु-ननुत्तिरमिज़ी, जि.4, स.165,166, ह़दीस:2381)

म-दनी क़ाफ़िला या सालाना इज्तिमाअ़ के लिये सुवाल करना कैसा ?

सुवाल : म-दनी क़ाफ़िलों में सफ़र या सुन्नतों भरे इज्तिमाअ़ में शिर्कत के लिये किराए वग़ैरा का सुवाल करना कैसा ?

जवाब : म-दनी क़ाफ़िले में सफ़र या सालाना इज्तिमाअ़ में शिर्कत की ख़ातिर अपनी ज़ात के लिये किराए वग़ैरा अख़राजात का सुवाल करना मिस्कीन को भी ह़लाल नहीं क्यूं कि येह काम

ज़रूरियात में शामिल नहीं यहां तक कि ह़ज व उ़म्रह और सफ़रे मदीना के लिये भी सुवाल करना ह़राम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن के फ़रमान का ख़ुलासा है : जिन को सुवाल करना ह़लाल नहीं ऐसों के सुवाल पर उन का ह़ाल जान कर उन के सुवाल पर कुछ देना कोई कारे सवाब नहीं बल्कि ना जाइज़ व गुनाह और गुनाह में मदद करना है । (मुलख़्ख़सन फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, जि.10, स.303) सरकारे मदीना, सुल्त़ाने बा क़रीना, क़रारे क़ल्बो सीना, फ़ैज़ गन्जीना, साह़िबे मुअ़त्त़र पसीना बाइसे नुज़ूले सकीना صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने बा क़रीना है : जो शख़्स लोगों से सुवाल करे ह़ालां कि न उसे फ़ाक़ा पहुंचा न इतने बाल बच्चे हैं जिन की त़ाक़त नहीं रखता तो क़ियामत के दिन इस त़रह़ आएगा कि उस के मुंह पर गोश्त न होगा ।

(शु-अ़बुल ईमान, लिलि बैहक़ी, जि.3, स.274, ह़दीस:3526)

सदरुल अफ़ाज़िल ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना सय्यिद मुह़म्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِى नक़्ल फ़रमाते हैं : ''बा'ज़ य-मनी ह़ज के लिये बे सामानी के साथ रवाना होते थे और अपने आप को मु-तवक्किल कहते थे और मक्कए मुकर्रमा زَادَهَا اللهُ شَرَفًاوَّتَعْظِيْمًا पहुंच कर सुवाल शुरूअ़ करते और कभी ग़सब व ख़ियानत के भी मुर्तकिब होते । उन के ह़क़ में येह आयते मुक़द्दसा नाज़िल हुई और हुक्म हुवा तो तोशा ले कर

चलो औरों पर बार न डालो, सुवाल न करो कि बेहतर तोशा परहेज़ गारी है।" आयते मुक़द्दसा येह है :

وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और तोशा साथ लो कि सब से बेहतर तोशा परहेज़ गारी है। (पा.2, अल ब-क़रह:197)

(ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, स.49)

इज्तिमाअ़ की ख़ुसूसी ट्रेन के लिये 5 म-दनी फूल

सुवाल : बैनल अक़्वामी सालाना सुन्नतों भरे इज्तिमाअ़ में शहर से सहराए मदीना मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ़ जाने के लिये मुख़्तलिफ़ शहरों से चलाई जाने वाली ख़ुसूसी ट्रेनों के मु-तअ़ल्लिक़ शर-ई अह़काम की रौशनी में ज़िम्मे दार इस्लामी भाइयों के लिये कुछ म-दनी फूल दे दीजिये।

जवाब : ﴾1﴿ जितनी निशस्तें मख़्सूस करवा कर उन के पैसे अदा किये हैं उन से ज़ाइद एक भी इस्लामी भाई मुफ़्त मत बिठाइये वरना गुनहगार होंगे ﴾2﴿ इन्तिज़ामिया से आने जाने का जो वक़्त तै किया हुवा है उस में आप की त़रफ़ से हरगिज़ कोताही नहीं होनी चाहिये, ताख़ीर से निज़ाम मु-तअस्सिर होता और मज़हबी लोगों की भी बदनामी होती है। अगर किसी का इन्तिज़ार किये बिग़ैर तै शुदा वक़्त पर ट्रेन चल पड़ी और बा'ज़ आ़दी सुस्त अफ़राद सुवार होने से रह गए तो اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ आइन्दा के लिये अ़वाम व इन्तिज़ामिया दोनों में ज़िम्मादार इस्लामी भाइयों का ए'तिमाद बहाल हो जाएगा और सारी तरकीब मदीना मदीना

हो जाएगी । जी हां अ़वाम का ए'तिमाद बह़ाल करना भी ज़रूरी है कि ए'लान किये हुए वक़्त पर ट्रेन चलवाने में तन्ज़ीमी ज़िम्मादारान की त़रफ़ से कोताही होगी तो जो ए'लान पर भरोसा कर के वक़्त के मुत़ाबिक आए होंगे वोह बदज़न होंगे, नीज़ येह भी इम्कान है कि वोह ग़ीबतों और बद गुमानियों के गुनाहों में पड़ें, आइन्दा आने ही से कतराएं या ख़ुद भी ताख़ीर से आने के आ़दी बन जाएं और नतीजतन सुन्नतों भरी तह़रीक, दा'वते इस्लामी के बदनामी के अस्बाब बनें । हमेशा हर मुआ़-मले में वक़्त वोही देना चाहिये जिस को निभाना मुम्किन हो और फिर उस की पाबन्दी करवाने में जान लड़ा देनी चाहिये ﴾3﴿ दौराने सफ़र प्लेटफ़ॉर्म पर नमाज़ें पढ़ने में भी इतना ज़ियादा वक़्त न लगाइये कि ट्रेन का अ़मला बदज़न हो और गुनाहों भरी, तौहीन आमेज़ और दिल आज़ार बह़सें छेड़ें ﴾4﴿ ट्रेन की छत या फ़ुट बोर्ड पर हरगिज़ कोई सफ़र न करे कि क़ानून शिकनी के साथ साथ जान का भी ख़त़रा है ﴾5﴿ त़वील सफ़र और इस्लामी भाइयों की कसरत के सबब बेशक सब्र आज़्मा मराह़िल दरपेश होते होंगे, मगर हर ह़ाल में ट्रेन के अ़मले के साथ नरमी नरमी और सिर्फ़ नरमी से तरकीब बनाइये वरना बद अख़्लाक़ियों, दिल आज़ारियों, बदनामियों और बद इन्तिज़ामियों का सिल्सिला रहेगा ﴾6﴿ बिल फ़र्ज़ ट्रेन के अ़मले ने ज़ियादती की हो, तब भी आप हरगिज़ ''ईंट का जवाब पथ्थर से'' मत दीजिये कि नजासत

को नजासत से नहीं पानी से पाक किया जाता है। सब्र व तह़म्मुल से काम लीजिये और ह़िक्मते अ़-मली के साथ मसाइल का ह़ल निकालिये। बिफर कर गालियां सुनाना, पथ्थर बरसाना, तोड़ फोड़ मचाना, हुकूमती इम्लाक जलाना, गाड़ियों को आग लगाना वग़ैरा वग़ैरा अफ़्आ़ल सरासर जहालत, परले द-रजे की ह़माक़त और ख़िलाफ़े शरीअ़त व सुन्नत, ह़राम और जहन्नम में ले जाने वाले काम हैं। मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़िक़्ह का एक उसूल बयान करते हुए फ़रमाते हैं اَلْمُنْكَرُ لَا يُزَالُ بِمُنْكَر या'नी गुनाह का इज़ाला गुनाह से नहीं होता।

(फ़तावा र-ज़विय्या, जि.23, स.639)

क्या दुन्यवी क़ानून पर अ़मल करना ज़रूरी है ?

सुवाल : क्या दुन्यवी क़ानून पर अ़मल करना ज़रूरी है ?

जवाब : वोह दुन्यवी क़ानून जो ख़िलाफ़े शरीअ़त न हो उस पर अ़मल करना ज़रूरी है क्यूं कि अ़मल न करते हुए पकड़े जाने की सूरत में ज़िल्लत उठाने, झूट बोलने या रिश्वत वग़ैरा के गुनाहों में पड़ने का अन्देशा है। मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़तावा र-ज़विय्या, जि.29, स.93 पर फ़रमाते हैं : किसी जुर्मे क़ानूनी का इर्तिकाब कर के अपने आप को ज़िल्लत पर पेश करना भी मन्अ़ है ह़दीस में है, ''जो शख़्स बिग़ैर किसी मजबूरी

के अपने आप को ब ख़ुशी ज़िल्लत पर पेश करे वोह हम में से नहीं।" (अल मो'जमुल औसत़ लित्त़-बरानी, जि.1, स.147, ह़दीस:471)

ज़मानत ज़ब्त़ कर लेना कैसा ?

सुवाल : बस, कोच या वेगन बुक करवाते वक़्त येह त़ै करना कैसा कि अगर हम ने बुकिंग केन्सल करवाई तो हमारी पेशगी जम्अ़ करवाई हुई रक़म तुम ज़ब्त़ कर लेना और अगर तुम ने (या'नी गाड़ी वाले ने) बुकिंग मन्सूख़ की तो दुगनी रक़म वापस देनी होगी या'नी जो रक़म हम ने दी थी वोह भी और उतनी ही मज़ीद।

जवाब : गाड़ी वाले की त़रफ़ से मन्सूख़ी की सूरत में जम्अ़ कर्दा ज़मानत से दुगनी रक़म नहीं ले सकते क्यूंकि येह ता'ज़ीर बिल माल या'नी माली जुर्माना है और माली जुर्माना ना जाइज़ है। फ़ु-क़हाए किराम رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام फ़रमाते हैं : "मज़हबे सह़ीह़ के मुत़ाबिक़ माली जुर्माना नहीं लिया जा सकता।" (अल बह़रुर्राइक़, जि.5, स.68, कोइटा) गाड़ी वाले को भी चाहिये कि बत़ौरे ज़मानत ली हुई रक़म लौटा दे, अगर रख लेगा गुनहगार होगा।

दो त़रफ़ा किराए की गाड़ी के लिये एह़तियातें

सुवाल : सुन्नतों भरे इज्तिमाअ़ वग़ैरा के लिये बस या वेगन दो त़रफ़ा किराए पर लेने की सूरत में वापसी में देर हो जाने पर गाड़ी वाला नाराज़ न हो इस के लिये क्या क्या एह़तियातें करनी

चाहियें ?

जवाब : आने जाने का वक़्त घड़ी के मुताबिक़ तै कर लीजिये । और वक़्त वोही तै कीजिये जिस को आप निभा सकें । तै शुदा वक़्त से ताख़ीर नहीं होनी चाहिये, येह शिकायत फ़ुज़ूल है कि इस्लामी भाई वक़्त पर नहीं पहुंचते ! इस्लामी भाइयों की आदतें किस ने ख़राब कीं ? क्या येह मा'मूल की बसों और ट्रेनों में भी देर से पहुंचते होंगे ! हरगिज़ नहीं, वहां तो शायद वक़्त से पहले ही पहुंच जाते होंगे ! तो आख़िर सुन्नतों भरे इजतिमाअ़ की बसों के लिये ही ताख़ीर से क्यूं आते हैं ? बात दर अस्ल येह है कि बा'ज़ नादान ज़िम्मादारान ख़ुद कोताहियां करते, ''इस का उस का'' इन्तिज़ार करते, कभी अपना इन्तिज़ार करवाते हैं, इस तरह ''ताख़ीर'' का म-रज़ लागू पड़ जाता है । होना येही चाहिये कि जो आए आए, नहीं आए नहीं आए, ज़िम्मादारान बिग़ैर किसी का इन्तिज़ार किये बसें चलवा दें, ऐसा करेंगे तो اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ मा तहतों का ज़ेहन ख़ुद ही बन जाएगा । हां पांच सात मिनट ताख़ीर जो कि गाड़ी वाले नीज़ वक़्त पर आ जाने वाले इस्लामी भाइयों पर गिरां न हो तो हरज नहीं । ख़ुसूसन बड़े इजतिमाअ़ात में येह सूरत पेश आती है कि इजतिमाअ़ के इख़्तिताम में देर सवेर हो जाती फिर वापसी में भीड़ की वजह से भी बा'ज़ अवक़ात बस तक पहुंचते पहुंचते ताख़ीर हो जाती है । लिहाज़ा पहले ही से

अन्दाज़ा लगा कर एक आध घन्टा ज़ियादा वक़्त का तै़ कर लेना मुनासिब है । म-सलन उ़मूमन 10 बजे इज्तिमाअ़ से फ़ारिग़ हो जाते हैं, ता हम 11 बजे तक का वक़्त तै़ किया जाए और गाड़ी वाले से दरख़्वास्त कर दी जाए कि हो सकता है हम जल्द आ जाएं, अगर मुनासिब समझें तो बस चला दीजिये । और अगर न चलाना चाहें तो कोई बात नहीं हम 11 बजे तक اِنْ شَآءَاللّٰہ عَزَّوَجَلَّ इन्तिज़ार कर लेंगे । इस त़रह़ की तरकीब बनाने से اِنْ شَآءَاللّٰہ عَزَّوَجَلَّ काफ़ी आसानी रहेगी ।

तै़ शुदा से ज़ाइद सुवारी बिठाना

सुवाल : पूरी बस किराए पर बुक करवाई और तै़ हुवा कि 40 सुवारियां बिठाएंगे । मगर रवानगी के वक़्त 41 इस्लामी भाई हो गए क्या करें ?

जवाब : सदरुश्शरीआ़ बदरुत्त़रीक़ा ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللّٰہِ الْقَوِی फ़रमाते हैं : इस बाब में क़ाइदए कुल्लिया (या'नी उसूल) येह है कि अ़क़्द (या'नी सौदा तै़ करने) के ज़रीए़ से जब किसी ख़ास मन्फ़अ़त का इस्तिह़क़ाक़ (या'नी मख़्सूस फ़ाइदा ह़ासिल करने का ह़क़ ह़ासिल) हो तो वोह (फ़ाइदा) या उस की मिस्ल (या'नी उस के जैसा) या उस से कम द-रजे का (फ़ाइदा) ह़ासिल करना, जाइज़ है और ज़ियादा ह़ासिल करना जाइज़ नहीं । (बहारे शरीअ़त, ह़िस्सा:14, स.120, मदीनतुल मुर्शिद बरेली शरीफ़) इस फ़िक़्ही

जुज़्इय्या की रौशनी में मा'लूम हुवा कि तै़ शुदा या इस से कम सुवारियां बिठानी जाइज़ और एक भी ज़ाइद बिठानी ना जाइज़। हां जहां येह उ़र्फ़ हो कि तै़ शुदा सुवारियों से दो चार ज़ाइद हो जाने पर ए'तिराज़ नहीं होता वहां 40 के बजाए 41 बिठाने में ह़-रज नहीं। ऐसे मौक़अ़ पर आसानी इस में है कि सुवारियों की ता'दाद बताने के बजाए पूरी गाड़ी की बुकिंग करवा ली जाए। जैसा कि हमारे मुल्क में बारात वग़ैरा के लिये मुकम्मल बस की बुकिंग होती है और इस में सुवारियों की तह़दीद (या'नी ता'दाद की ह़द बन्दी) नहीं होती।

ट्रेन में भी तै़ शुदा सुवारियां ही बिठाइये

सुवाल : अगर ट्रेन की पूरी बोगी बुक करवा ली जाए तो क्या अब हम उस में अपनी मरज़ी से जितनी चाहें सुवारियां बिठा सकते हैं?

जवाब : एक बोगी बुक करवाई हो या पूरी ट्रेन, जितनी सुवारियों का क़ानून है और जितनी सुवारियों का किराया अदा किया है सिर्फ़ उतनी ही सुवारियां बिठा सकते हैं। तै़ शुदा से ज़ाइद एक भी सुवारी मुफ़्त बिठाएंगे तो गुनहगार और दोज़ख़ के ह़क़दार होंगे।

क्या समाजी इदारे अपने अ़तिय्यात दीनी कामों में सर्फ़ कर सकते हैं ?

सुवाल : समाजी इदारे को फ़लाही कामों के लिये मिले हुए अ़तिय्यात दीनी कामों में इस्ति'माल किये जा सकते हैं या नहीं ?

जवाब : समाजी इदारों को लोग फ़लाही कामों के लिये **चन्दा** देते हैं लिहाज़ा देने वाले की इजाज़त के बिग़ैर समाजी इदारे वाले अ़तिय्यात या'नी स-दक़ाते नाफ़िला दीनी कामों में सर्फ़ नहीं कर सकते । म-सलन इन को ग़रीबों, मोह़ताजों और यतीमों में गोश्त बांटने के लिये जो स-दक़े के बकरे वग़ैरा दिये जाते हैं वोह दीनी मदारिस में नहीं दे सकते । अगर देंगे तो **तावान** लाज़िम आएगा ।

या रब्बे मुस्त़फ़ा ! عَزَّوَجَلَّ हमें फ़र्ज़ उ़लूम सीखने का जज़्बा अ़ता फ़रमा । **या अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ दीन की ख़िदमत के लिये ब वक़्ते ज़रूरत ब निय्यते सुन्नत ऐ़न मुत़ाबिक़े शरीअ़त हमें ख़ूब ख़ूब **चन्दा** करने और उसे उस के सो फ़ी सद दुरुस्त मस्रफ़ में सर्फ़ करने की सआ़दत इनायत कर या अल्लाह عَزَّوَجَلَّ हमें बे ह़िसाब बख़्श कर जन्नतुल फ़िरदौस में अपने प्यारे मह़बूब صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ اٰلِہٖ وَسَلَّم का पड़ोस नसीब फ़रमा ।

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہ تعالٰی علیہ واٰلہٖ وسلَّم

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب! صَلَّی اللّٰہُ تعالٰی علٰی محمَّد

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم : जिस के पास मेरा ज़िक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़ा तह़क़ीक़ वोह बद बख़्त हो गया । (ابن سنی)

माख़ज़ व मराजेअ़

नम्बर शुमार	नाम किताब	मत़्बूआ़
1.	क़ुरआने पाक	रज़ा एकेडमी, बम्बई, हिन्द
2.	तर-ज-मए क़ुरआन कन्ज़ुल ईमान	रज़ा एकेडमी, बम्बई, हिन्द
3.	नूरुल इरफ़ान	पीर भाई कम्पनी मर्कज़ुल औलिया लाहोर
4.	तफ़्सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान	रज़ा एकेडमी, बम्बई, हिन्द
5.	सह़ीह़ बुख़ारी	दारुल कुतुबिल इल्मिय्या, बैरूत
6.	सह़ीह़ मुस्लिम	दारो इब्ने ह़ज़म, बैरूत
7.	सु-नने तिरमिज़ी	दारुल फ़िक्र, बैरूत
8.	सु-नने अबी दावूद	दारो एह़याइत्तुरासिल अ़-रबी बैरूत
9.	सु-नने इब्ने माजह	दारुल मा 'रिफ़ह, बैरूत
10.	शु-अ़बुल ईमान	दारुल कुतुबिल इल्मिय्या, बैरूत
11.	अल मो 'जमुल औसत़	दारुल कुतुबिल इल्मिय्या, बैरूत
12.	अल जामिउ़स्सग़ीर	दारुल कुतुबिल इल्मिय्या, बैरूत
13.	मज्मउ़ज़्ज़वाइद	दारुल फ़िक्र, बैरूत
14.	कन्ज़ुल उ़म्माल	दारुल कुतुबिल इल्मिय्या, बैरूत

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم : जिस ने मुझ पर दस मरतबा सुब्ह और दस मरतबा शाम दुरूदे पाक पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी। (مجمع الزوائد)

नम्बर शुमार	नाम किताब	मत्बूआ
15.	मुस्नदे इमामअह्मद	दारुल फ़िक्र, बैरूत
16.	तारीख़े बग़दाद	दारुल कुतुबिल इल्मिय्या, बैरूत
17.	मिरक़ातुल मफ़ातीह़	दारुल फ़िक्र, बैरूत
18.	अशि'अ़तुल्लम्आ़त	कोएटा
19.	मिरआतुल मनाजीह़	ज़ियाउल क़ुरआन पब्लीकेशन्ज़ मर्कज़ुल औलिया लाहोर
20.	अल बह़रुर्राइक़	कोएटा
21.	दुर्रे मुख़्तार व रद्दुल मुह़्तार	दारुल मा'रिफ़ह, बैरूत
22.	फ़तावा आ़लमगीरी	कोएटा
23.	ग़म्ज़ उ़यूनुल बसाइर	बाबुल मदीना कराची
24.	फ़तावा र-ज़विय्या	रज़ा फ़ाउन्डेशन मर्कज़ुल औलिया लाहोर
25.	फ़तावा अम्जदिय्या	मक्तबए र-ज़विय्या बाबुल मदीना कराची
26.	बहारे शरीअ़त	मक-त-बतुल मदीना बाबुल मदीना कराची
27.	शर्ह़ुस्सुदूर	मर्कज़े अहले सुन्नत ब-रकाते रज़ा
28.	इत्तिह़ाफ़ुस्सा-दतुल मुत्तक़ीन	दारुल कुतुबिल इल्मिय्या, बैरूत

फ़रमाने मुस्तफ़ा اَلنِّيَّةُ الْحَسَنَةُ تُدْخِلُ صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّم : **अच्छी नियत इन्सान को जन्नत में दाख़िल करेगी।**

(अलजामिउ़स्सग़ीर लिस्सुयूती, स. 557, ह़दीस : 9326)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

सुन्नत की बहारें

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ तब्लीग़े क़ुरआनो सुन्नत की आलमगीर ग़ैर सियासी तहरीक **दा'वते इस्लामी** के महके महके म-दनी माहोल में ब कसरत सुन्नतें सीखी और सिखाई जाती हैं, हर जुमा'रात इशा की नमाज़ के बा'द आप के शहर में होने वाले दा'वते इस्लामी के हफ़्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमाअ़ में रिज़ाए इलाही के लिये अच्छी अच्छी निय्यतों के साथ सारी रात गुज़ारने की म-दनी इल्तिजा है। आशिक़ाने रसूल के **म-दनी क़ाफ़िलों** में ब निय्यते सवाब सुन्नतों की तरबिय्यत के लिये सफ़र और रोज़ाना फ़िक्रे मदीना के ज़रीए **म-दनी इन्आमात** का रिसाला पुर कर के हर म-दनी माह के इब्तिदाई दस दिन के अन्दर अन्दर अपने यहां के ज़िम्मेदार को जम्अ़ करवाने का मा'मूल बना लीजिये, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ इस की ब-र-कत से पाबन्दे सुन्नत बनने, गुनाहों से नफ़रत करने और **ईमान की हिफ़ाज़त** के लिये कुढ़ने का ज़ेहन बनेगा।

हर इस्लामी भाई अपना येह ज़ेहन बनाए कि "**मुझे अपनी और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह़ की कोशिश करनी है।** اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ" अपनी इस्लाह़ की कोशिश के लिये "म-दनी इन्आमात" पर अ़मल और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह़ की कोशिश के लिये "म-दनी क़ाफ़िलों" में सफ़र करना है। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

मक-त-बतुल मदीना की शाख़ें

मुम्बई : 19, 20, मुह़म्मद अ़ली रोड, मांडवी पोस्ट ऑफ़िस के सामने, मुम्बई फ़ोन : 022-23454429

देहली : 421, मटिया महल, उर्दू बाज़ार, जामेअ़ मस्जिद, देहली फ़ोन : 011-23284560

नागपूर : ग़रीब नवाज़ मस्जिद के सामने, सैफ़ी नगर रोड, मोमिन पुरा, नागपूर : (M) 09373110621

अजमेर शरीफ़ : 19/216 फ़लाहे दारैन मस्जिद, नाला बाज़ार, स्टेशन रोड, दरगाह, अजमेर फ़ोन : 0145-2629385

हैदरआबाद : पानी की टंकी, मुग़ल पुरा, हैदरआबाद फ़ोन : 040-24572786

हुब्ली : A.J. मुढोल कोम्पलेक्स, A.J. मुढोल रोड, ओल्ड हुब्ली ब्रीज के पास, हुब्ली, कर्नाटक. फ़ोन : 08363244860